



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2018-19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2018-19

हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे
2018 - 19
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xv)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(xvii-xix)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	1-4
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद	5-7
3. न्याय प्रशासन	8-12
4. सामान्य प्रशासन	13-23
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	24-34
6. आबकारी और कराधान	35-38
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	39-50
8. शिक्षा	51-66
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	67-84
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	85-98
11. कृषि	99-111
12. उद्यान	112-119
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	120-146
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	147-155
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	156-165
16. वन और वन्य जीवन	166-177
17. निर्वाचन	178-179
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	180-187
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	188-213
20. ग्रामीण विकास	214-225
21. सहकारिता	226-228
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	229-233
23. विद्युत विकास	234-237
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	238-239
25. सड़क और जल परिवहन	240-243
26. पर्यटन और नागर विमानन	244-245
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	246-251
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	252-261
29. वित्त	262-278
30. विविध सामान्य सेवाएं	279-288
31. जनजातीय विकास	289-360
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	361-414
परिशिष्ट	
वर्ष 2018-19 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के अंकड़ों का अनुदानवार विवरण	415

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

'मूल' का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

'पूरक' का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

'पुनर्वि०' का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूँजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	42,46,21	7,51,00
	प्रभारित	93,02	..
2-	राज्यपाल और मंत्री-परिषद-		
	दत्तमत	19,93,89	..
	प्रभारित	8,53,16	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	1,84,89,71	27,35,55
	प्रभारित	46,49,73	..
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,09,49,14	51,01
	प्रभारित	17,30,05	..
5-	भू-राजस्व और जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	7,92,98,29	10,00,00
	प्रभारित	3,32	..
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	76,06,62	7,00,00
	प्रभारित	6,21,55	..
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	13,12,63,92	77,27,40
	प्रभारित	22,45	..
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	61,24,08,91	1,39,04,93
	प्रभारित	85	..
9-	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	19,94,23,36	2,65,34,98
	प्रभारित	2,00	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
41,39,95	6,05,07	1,06,26	1,45,93
86,33	..	6,69
18,32,78	..	1,61,11
7,64,61	..	88,55
1,59,69,44	31,43,91	25,20,27	4,08,36
					(4,08,36,300)
38,55,37	..	7,94,36
1,90,65,83	51,00	18,83,31	1
14,83,66	..	2,46,39
13,57,86,53	10,00,00	5,64,88,24	..
				(5,64,88,23,349)	
3,32
62,27,89	7,00,00	13,78,73
6,21,54	..	1
11,68,81,01	74,36,02	1,43,82,91	2,91,38
26,50	4,05	..
				(4,05,000)	
51,68,92,43	1,12,87,80	9,55,16,48	26,17,13
85
16,63,40,29	2,56,41,23	3,30,83,07	8,93,75
2,00

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
10-	लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-		
	दत्तमत	33,08,06,08	14,35,88,02
	प्रभारित	20,56	10,51,26
11-	कृषि-		
	दत्तमत	4,82,27,40	73,83,97
	प्रभारित
12-	उद्यान-		
	दत्तमत	3,61,85,38	17,63,13
	प्रभारित
13-	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-		
	दत्तमत	25,30,55,93	7,77,82,82
	प्रभारित
14-	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-		
	दत्तमत	4,20,33,79	17,74,41
	प्रभारित
15-	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना-		
	दत्तमत	78,15,72	2,84,64,40
	प्रभारित
16-	वन और वन्य जीवन-		
	दत्तमत	5,43,35,62	10,06,50
	प्रभारित	1,73	..
17-	निर्वाचन-		
	दत्तमत	43,84,95	..
	प्रभारित
18-	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-		
	दत्तमत	1,96,04,65	62,38,00
	प्रभारित
19-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-		
	दत्तमत	9,87,40,30	17,36,51
	प्रभारित

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
30,39,01,91	14,85,58,26	2,69,04,17	49,70,24
					(49,70,24,067)
5,93	10,73,69	14,63	22,43
					(22,43,128)
4,09,60,58	71,01,45	72,66,82	2,82,52
..
3,42,76,34	27,63,10	19,09,04	9,99,97
					(9,99,96,475)
..
26,36,88,77	6,26,04,20	..	1,51,78,62	1,06,32,84	..
				(1,06,32,83,708)	
..
3,52,00,08	11,95,60	68,33,71	5,78,81
..
47,58,59	2,83,31,57	30,57,13	1,32,83
..
4,13,04,41	9,42,02	1,30,31,21	64,48
1,73
43,37,20	..	47,75
..
1,00,01,22	39,00,05	96,03,43	23,37,95
..
9,58,56,13	13,88,65	28,84,17	3,47,86
..

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
20-	ग्रामीण विकास-		
	दत्तमत	15,46,34,90	23,16,50
	प्रभारित	1,11	..
21-	सहकारिता-		
	दत्तमत	44,75,63	28,34,95
	प्रभारित
22-	खाद्य और नागरिक आपूर्ति-		
	दत्तमत	2,93,10,94	2,01,15
	प्रभारित
23-	विद्युत विकास-		
	दत्तमत	6,36,26,00	6,35,08,01
	प्रभारित
24-	मुद्रण और लेखन सामग्री-		
	दत्तमत	30,52,15	41,58
	प्रभारित
25-	सड़क और जल परिवहन-		
	दत्तमत	3,21,19,56	54,84,01
	प्रभारित
26-	पर्यटन और नागर विमानन-		
	दत्तमत	98,74,28	55,45,67
	प्रभारित
27-	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-		
	दत्तमत	3,35,04,71	73,57,81
	प्रभारित
28-	शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-		
	दत्तमत	5,58,46,77	20,12,00
	प्रभारित
29-	वित्त-		
	दत्तमत	59,94,83,18	12,77,52
	प्रभारित	42,60,00,03	46,22,90,44

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
11,62,41,88	17,46,50	3,83,93,02	5,70,00
25,02	23,91	..
				(23,91,308)	
41,14,59	28,34,95	3,61,04
..
3,28,40,39	2,00,97	..	18	35,29,45	..
				(35,29,45,402)	
..
5,82,81,18	5,03,63,15	53,44,82	1,31,44,86
..
29,33,19	41,58	1,18,96
..
3,18,94,90	54,82,00	2,24,66	2,01
13,58	13,58	..
				(13,57,907)	
98,52,94	55,45,66	21,34	1
..
2,95,11,91	73,57,80	39,92,80	1
..
4,40,11,79	19,91,05	1,18,34,98	20,95
..
50,54,90,44	6,50,26	9,39,92,74	6,27,26
40,21,52,04	46,73,34,54	2,38,47,99	50,44,10
					(50,44,10,196)

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
(₹ हजार में)		
30- विविध सामान्य सेवाएं-		
दत्तमत	1,07,29,45	50,66,03
प्रभारित	73,97,00	..
31- जनजातीय विकास-		
दत्तमत	12,64,92,41	3,81,67,78
प्रभारित	36,46	19,32
32- अनुसूचित जाति उप योजना		
दत्तमत	13,49,89,45	10,77,08,31
प्रभारित
जोड़		
दत्तमत	3,22,90,09,30	56,46,63,95
प्रभारित	44,14,33,02	46,33,61,02
सकल जोड़	3,67,04,42,32	1,02,80,24,97

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
98,32,26	46,60,62	8,97,19	4,05,41
73,97,00
9,39,20,39	2,99,43,20	3,25,72,02	82,24,58
25,80	18,95	10,66	37
9,59,02,14	9,23,00,08	3,90,87,31	1,54,08,23
..
2,85,22,49,38	50,97,67,75	44,74,10,45	6,12,74,77	7,06,50,53	63,78,57
				(7,06,50,52,459)	(63,78,56,842)
41,64,65,28	46,84,27,18	2,50,09,28	37	41,54	50,66,53
				(41,54,215)	(50,66,53,324)
3,26,87,14,66	97,81,94,93	47,24,19,73	6,12,75,14	7,06,92,07	1,14,45,10
				(7,06,92,06,674)	(1,14,45,10,166)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2018-19 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया ।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन
- 13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता
- 22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

पूंजीगत प्रवर्ग

- 03- न्याय प्रशासन
- 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन
- 12- उद्यान

निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन से आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 07- पुलिस और जल परिवहन
- 20- ग्रामीण विकास
- 25- सड़क और जल परिवहन

पूंजीगत प्रवर्ग

- 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन
- 29- वित्त

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (परिशिष्टानुसार पृष्ठ संख्या 415) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

मार्च 2018-19 के दौरान छः अनुदान संख्या (अनुदान संख्या- 09, 20, 23, 25, 29 तथा 31) के अन्तर्गत ₹ 39,95,79,827 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। बिना बजट प्रावधान का व्यय वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

मार्च 2019 में ₹ 12,67,93,000 (₹ 12,65,93,000 दत्तमत प्रावधान में एवं ₹ 2,00,000 प्रभारित विनियोजन में) का बजट प्रावधान पांच अनुदान मांगों (अनुदान संख्या-07, 08, 09, 20 तथा 27) में पुनर्विनियोजन द्वारा किया गया। जबकि निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)**

वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	41,64,65,28	46,84,27,18	2,85,22,49,38	50,97,67,75
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	32,45,03,24	57,21,32
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	41,64,65,28	46,84,27,18	2,52,77,46,14	50,40,46,43

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 415 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखाओं की परिशुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिए आवश्यक है:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान छः दत्तमत अनुदानों और पाँच विनियोजनों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 821.37 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक 21 अनुदानों तथा 11 विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 8,333.35 करोड़ का अधिक व्यय अभी भी राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य विधान सभा द्वारा नियमों के अन्तर्गत विधेयक के द्वारा पारित राशि से अधिक धन की समेकित निधि से निकासी नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई हैं।



दिनांक: 17 जुलाई 2020
स्थान: नई दिल्ली

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	40,47,78			
		42,46,21	41,39,95	(-)1,06,26
पूरक	1,98,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,06,20
प्रभारित				
मूल	93,02			
		93,02	86,33	(-)6,69
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,69
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00			
		7,51,00	6,05,07	(-)1,45,93
पूरक	4,46,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,47,73

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,06.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 1,98.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,45.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 4,46.00 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 1,47.73 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

103- विधान सभा सचिवालय-

01- विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	17,51.76	14,94.39	14,94.35	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)2,57.37			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.37 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने से हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, अधिक सभा तथा सम्मेलनों के आयोजन, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत अनुरक्षण शुल्क और परामर्श शुल्क पर अधिक व्यय होने के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

101- विधान सभा -

03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-
गैर योजना

मूल	18,36.95	18,67.65	18,67.65	..
पुनर्वि०	30.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.70 लाख का आवर्धन आयकर की अदायगी पर व्यय दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय, विधान सभा सदस्यों द्वारा अधिक दौरे करने तथा क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के आयोजन पर व्यय से हुआ जोकि वेतन पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	12.00			
		22.00	22.00	..
पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन विधान सभा के पूर्व सदस्यों द्वारा यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2216- आवास

07- अन्य आवास-

053- रखरखाव और मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय -

गैर योजना

मूल	42.07			
पूरक	1,98.43	3,42.06	3,42.06	..
पुनर्वि०	1,01.56			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.56 लाख का आवर्धन रखरखाव और मरम्मतों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण-

201- भवन निर्माण अग्रिम-

06- पूर्व विधायकों को आवास के लिए ऋण-

गैर योजना

मूल	20.00			
पूरक	30.00	45.00	45.00	..
पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी मुख्यतः गृह निर्माण अग्रिमों के लिए ऋण के कम संवितरण के कारण हुई।

202- मोटर वाहन को खरीदने के लिए अग्रिम-

05- विधान सभा सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

गैर योजना					
(i)	मूल	75.00			
	पूरक	3,31.00	2,80.46	2,80.46	..
	पुनर्वि०	(-)1,25.54			
06-	पूर्व विधायकों को वाहन खरीदने के लिए ऋण-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	10.00			
	पूरक	30.00	22.81	22.81	..
	पुनर्वि०	(-)17.19			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.73 लाख की कमी मुख्यतः ऋण की कम मांग के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	14,88,47		
		19,93,89	(-)1,61,11
पूरक	5,05,42		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019) प्रभारित			1,61,11
मूल	6,82,82		
		8,53,16	(-)88,55
पूरक	1,70,34		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			88.21

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,61.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 5,05.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 88.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 1,70.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2013- मंत्री परिषद-			
101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-			
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां - गैर योजना			
मूल	10,94.79		
पूरक	4,30.42	13,54.87	13,54.88
पुनर्वि0	(-)1,70.34		+0.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,70.34 लाख की कमी संसदीय एवं मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति न करने, कर्मचारियों द्वारा दौरों पर कम व्यय करने, रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों पर कम खर्च के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और मरम्मत शुल्क पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	---------------------------------	-----------------------

**2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ
राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

090- सचिवालय-

01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	3,76.63			
पूरक	2.54	3,39.80	3,39.65	(-)0.15
पुनर्वि०	(-)39.37			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 39.37 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के वेतन तथा भत्ते-

01- राज्यपाल के वेतन और भत्ते-

गैर योजना

मूल	13.20			
पूरक	96.00	1,03.30	1,03.30	..
पुनर्वि०	(-)5.90			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5.90 लाख की कमी परिलब्धियों पर कम व्यय के कारण हुई।

103- पारिवारिक स्थापना-

01- राज्यपाल की पारिवारिक स्थापना

गैर योजना

मूल	2,60.59			
		2,23.19	2,23.00	(-)0.19
पुनर्वि०	(-)37.40			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 37.40 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, विधुत जल तथा दूरभाष प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

108- यात्रा व्यय-

01- राज्यपाल तथा उसकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 ((समाप्त))

गैर योजना

मूल	10.00			
		4.91	4.91	..
पुनर्वि०	(-)5.09			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 5.09 लाख की कमी कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मत-

गैर योजना

मूल	3.10			
	
पुनर्वि०	(-)3.10			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.10 लाख का समस्त विनियोजन राज्यपाल के निवास की मरम्मतों पर व्यय न करने के कारण हुआ।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+) बचत(-)
-------	-----------------	-----------------------------------	---------------------

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ**राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

104- आतिथ्य भत्ता-

01- राज्यपाल के आतिथ्य भत्ते-

गैर योजना

मूल	2.00			
		4.00	4.00	..
पुनर्वि०	2.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन अतिथि सत्कार पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

गैर योजना

मूल	3.50			
		5.50	5.50	..
पुनर्वि०	2.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन बिजली बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,84,89,67			
		1,84,89,71	1,59,69,44	(-)25,20,27
पूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				25,21,51
प्रभारित				
मूल	46,49,73			
		46,49,73	38,55,37	(-)7,94,36
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,91,15
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	15,09,00			
		27,35,55	31,43,91	+4,08,36
पूरक	12,26,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,08,36,300 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 25,20.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में ₹ 25,21.51 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,08.36 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में ₹ 12,26.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2014- न्याय प्रशासन-			
105- नागरिक तथा सत्र न्यायालय-			
01- नागरिक तथा सत्र न्यायालय स्थापना- गैर योजना			
मूल	1,35,33.17		
		1,14,96.91	1,14,96.27
			(-)0.64
पुनर्वि०	(-)20,36.26		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,36.26 लाख की सारभूत कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विद्युत स्टेशन की स्थापना पर, नए वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।			
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -			
01- महाअधिवक्ता- गैर योजना			
मूल	11,39.62		
		9,21.42	9,21.36
			(-)0.06
पुनर्वि०	(-)2,18.20		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,18.20 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर और विशेष सेवाओं पर कम खर्च के कारण हुई जोकि कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक व्यय, दैनिक भत्तों की दरों में वृद्धि के कारण तथा दूरभाष, पानी और विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।			
02- अन्य विधि अधिकारी- गैर योजना			
मूल	21,20.42		
		17,43.43	17,43.41
			(-)0.02
पुनर्वि०	(-)3,76.99		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,76.99 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, बिजली, दूरभाष के बिलों और बाहयस्त्रोत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों के शुल्कों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।			
116- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-			
01- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	8,47.45			
		6,72.49	6,72.31	(-)0.18
पुनर्वि०	(-)1,74.96			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.96 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, बिजली के बिलों, दूरभाष, पानी और बाह्य स्रोत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कर, दर और मूल्यों में अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -

105- विशेष जाँच आयोग-

04- हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग-

गैर योजना

मूल	26.23			
		3.97	3.97	..
पुनर्वि०	(-)22.26			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 22.26 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

05- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)-

गैर योजना

मूल	0.01			
		1,73.63	1,73.63	..
पुनर्वि०	1,73.62			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.62 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

108- आपराधिक न्यायालय-

01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-

गैर योजना

मूल	90.00			
		1,02.00	1,02.00	..
पुनर्वि०	12.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

02- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण-
गैर योजना

मूल	3,57.93			
पूरक	0.01	4,50.07	4,50.06	(-)0.01
पुनर्वि०	92.13			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.13 लाख की आवर्धन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, अन्तिम राहत के भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, किराए दरों और करों पर अधिक व्यय, नए वाहनों की खरीद पर व्यय, कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे और पेट्रोल, तेल व स्नेहक पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

योजना

पूरक	0.01			
		15.00	15.00	..
पुनर्वि०	14.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.99 लाख का आवर्धन ट्रॉसफार्मर की स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना:-

गैर योजना

मूल	12.00			
		29.90	29.90	..
पुनर्वि०	17.90			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.90 लाख का आवर्धन पीड़ितों को क्षतिपूर्ति योजना पर अधिक व्यय की अदायगी के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

गैर योजना

मूल	42,76.20			
		35,96.54	35,93.33	(-)3.21
पुनर्वि०	(-)6,79.66			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 6,79.66 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के दावों की कम प्राप्ति, किराया, कर और दरों और कर्मचारियों द्वारा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, नए वाहन की खरीद तथा वर्दियों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (समाप्त)

2062- सतर्कता-

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-

गैर योजना

मूल 3,73.53

2,62.04

2,62.04

..

पुनर्वि० (-)1,11.49

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,11.49 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण, पेट्रोल, तेल, स्नेहक शुल्क/ वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन -			
051- निर्माण			
15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल 1.00			
	11.00	4,36.00	+4,25.00
पुनर्वि० 10.00			

₹ 4,25.00 लाख के अंतिम सारभूत आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,08.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 4,25.00 लाख अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,09,49,10			
		2,09,49,14	1,90,65,83	(-)18,83,31
पूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,96,13
प्रभारित				
मूल	8,99,66			
		17,30,05	14,83,66	(-)2,46,39
पूरक	8,30,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,27,89
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1			
		51,01	51,00	(-)1
पूरक	51,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,83.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में ₹ 19,96.13 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,46.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 8,30.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और ₹ 1,27.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्षों	कुल अनुदान/ वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-		
090- सचिवालय-		
01- मुख्य सचिवालय-		
गैर योजना		
मूल	66,67.76	
पूरक	0.01	
पुनर्वि०	(-)13,94.06	
	52,73.71	52,73.72
		+0.01
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,94.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के कम यात्रा करने के कारण हुई जोकि ई-आफिस शुरू करने के लिए विधुत उपकरणों की खरीद, बैठक, सम्मेलन, विधान सभा सत्र, पेट्रोल, तेल व स्नेहक शुल्क और मजदूरी पर अधिक व्यय की दरों में हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।		
02- राजस्व विभाग-		
गैर योजना		
(i) मूल	6,76.72	
पुनर्वि०	(-)1,51.02	
	5,25.70	5,25.70
		..
03- आबकारी और कराधान विभाग-		
गैर योजना		
(ii) मूल	1,23.60	
पुनर्वि०	(-)38.38	
	85.22	85.21
		(-)0.01
04- गृह विभाग-		
गैर योजना		
(iii) मूल	3,66.48	
पुनर्वि०	(-)52.30	
	3,14.18	3,14.18
		..
05- लोक निर्माण विभाग-		
गैर योजना		
(iv) मूल	6,18.21	
पुनर्वि०	(-)2,12.47	
	4,05.74	4,05.74
		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

06-	वित्त विभाग-				
	गैर योजना				
(v)	मूल	8,27.84			
			7,38.27	7,38.27	..
	पुनर्वि०	(-)89.57			
उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,43.74 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
091-	संलग्न कार्यालय-				
01-	आवासीय आयुक्त -				
	गैर योजना				
	मूल	2,61.33			
			1,48.47	1,48.46	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,12.86			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।					
2075-	विविध सामान्य सेवाएँ-				
800-	अन्य व्यय-				
10-	65 वर्ष से अधिक उम्र के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान-				
	गैर योजना				
	मूल	6,00.00			
			5,33.97	5,33.97	..
	पुनर्वि०	(-)66.03			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.03 लाख की कमी 65 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक, पेंशनरों/विधवाओं की संख्या में कमी के कारण हुई।					
2216-	आवास-				
05-	साधारण पूल आवास-				
800-	अन्य व्यय-				
04-	सम्पदा प्रबंधन-				
	गैर योजना				
(i)	मूल	75.05			
			52.76	52.75	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)22.29			
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
04-	विशेष रोजगार कार्यालय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना				
(ii) मूल	28.74			
		18.58	18.58	..
पुनर्वि०	(-)10.16			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सैनानी कल्याण कोष-				
गैर योजना				
मूल	11,01.60			
		9,67.52	9,67.51	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,34.08			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.08 लाख की कमी स्वतंत्रता सैनानी पेंशनरों की संख्या में कमी के कारण हुई।				
06- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सैनानी कल्याण बोर्ड-				
गैर योजना				
मूल	3.91			
		0.05	0.05	..
पुनर्वि०	(-)3.86			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.86 लाख की कमी स्वतंत्रता सैनानी कल्याण बोर्ड का गठन न करने के कारणों से हुई।				
26- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष-				
गैर योजना				
मूल	10,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)10,00.00			
मार्च 2019 में ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के परिचालन न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
090- सचिवालय-				
01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग -				
गैर योजना				
(i) मूल	3,77.91			
		2,32.53	2,32.53	..
पुनर्वि०	(-)1,45.38			
02- स्थानीय स्व-शासन सरकार विभाग-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना				
(ii)	मूल	1,40.66		
			91.91	91.90
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)48.75		
03- शिक्षा विभाग-				
गैर योजना				
(iii)	मूल	3,42.24		
			2,21.72	2,21.72
				..
	पुनर्वि०	(-)1,20.52		

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग -
गैर योजना

	मूल	2,90.57		
			2,30.02	2,29.45
				(-)0.57
	पुनर्वि०	(-)60.55		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई।

योजना

	मूल	2,50.00		
			1,77.38	1,77.38
				..
	पुनर्वि०	(-)72.62		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-

090- सचिवालय-

01- कृषि विभाग
गैर योजना

(i)	मूल	3,02.47		
			2,27.43	2,27.43
				..
	पुनर्वि०	(-)75.04		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

02-	उद्यान विभाग				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	1,47.49			
			1,10.87	1,10.87	..
	पुनर्वि०	(-)36.62			
04-	पशुपालन विभाग				
	गैर योजना				
(iii)	मूल	1,22.19			
			1,00.55	1,00.55	..
	पुनर्वि०	(-)21.64			
07-	उद्योग विभाग				
	गैर योजना				
(iv)	मूल	2,91.99			
			1,67.00	1,67.01	+0.01
	पुनर्वि०	(-)1,24.99			
08-	परिवहन तथा पर्यटन विभाग-				
	गैर योजना				
(v)	मूल	1,66.11			
			1,08.50	1,08.50	..
	पुनर्वि०	(-)57.61			
11-	लोक वित्त और सार्वजनिक उद्यम प्रकोष्ठ की स्थापना-				
	गैर योजना				
(vi)	मूल	46.31			
			35.08	35.07	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)11.23			
13-	अन्य सचिवालय विभाग-				
	गैर योजना				
(vii)	मूल	1,44.10			
			1,07.55	1,07.55	..
	पुनर्वि०	(-)36.55			
	उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,63.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
(iv)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
					(₹ लाख में)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

103- कर्मचारी चयन आयोग-

01- हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड-
गैर योजना

मूल	5,82.52			
		7,00.96	7,00.96	..
पुनर्वि०	1,18.44			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.44 लाख का आवर्धन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं-

090- सचिवालय-

07- कानून विभाग-
गैर योजना

मूल	4,15.36			
		4,83.52	4,83.52	..
पुनर्वि०	68.16			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.16 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

2053- जिला प्रशासन-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने पर व्यय-
गैर योजना

मूल	40.00			
		1,63.16	1,63.16	..
पुनर्वि०	1,23.16			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.16 लाख का आवर्धन हिमाचल दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोह मनाने पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

27- सचिवालय के भवन के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल	22.30			
		3,12.48	3,12.48	..
पुनर्वि०	2,90.18			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त (नई दिल्ली) के भवन के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना				
(ii)	मूल	7.21			
			1,15.01	1,15.01	..
	पुनर्वि०	1,07.80			
39-	लोक सेवा आयोग के भवनों के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना				
(iii)	मूल	4.22			
			19.22	19.22	..
	पुनर्वि०	15.00			
60-	अन्य ईमारतें-				
053-	उपकरण और औजार				
01-	सैनिक विश्राम गृह- गैर योजना				
(iv)	मूल	26.75			
			38.87	38.87	..
	पुनर्वि०	12.12			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,25.10 लाख का सारभूत आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-				
115-	अतिथिगृह, सरकारी हॉस्टल इत्यादि-				
01-	आतिथ्य संगठन- गैर योजना				
	मूल	61.21			
			2,60.87	2,60.87	..
	पुनर्वि०	1,99.66			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.66 लाख का सारभूत आवर्धन अतिथियों के सतकार पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
02-	नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्धन- गैर योजना				
	मूल	4,00.00			
			12,08.00	12,08.00	..
	पुनर्वि०	8,08.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,08.00 लाख का सारभूत आवर्धन पिछले घाटे के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्यटन निगम को अधिक सहायता अनुदान के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

2075- विविध सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

01- भूतपूर्व शासकों के परिवार और
आश्रितों को भत्तों की अदायगी-
गैर योजना

मूल	0.07	0.07	3.35	+3.28
-----	------	------	------	-------

₹ 3.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

04- मारे गए/विकलांग रक्षा कर्मियों के परिवारों को सहायता-
गैर योजना

मूल	15.00			
		2,66.92	2,66.92	..

पुनर्वि० 2,51.92

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.92 लाख का सारभूत आवर्धन अनुग्रह अनुदान की अधिक अदायगी के कारण हुआ।

09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-
गैर योजना

मूल	5.00			
पूरक	0.01	7.79	7.79	..
पुनर्वि०	2.78			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.78 लाख का आवर्धन राज्य स्तर पर पुरस्कारों के लिए अधिक अनुदान सहायता व विविध संगठनों को गौरव पुरस्कार के कारण हुआ।

13- सैनिक कल्याण विभाग के तहत संगठनों को सहायता-
गैर योजना

मूल	6.00			
		35.10	35.10	..
पुनर्वि०	29.10			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.10 लाख का आवर्धन राज्य में अधिक सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के कारण हुआ।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रख-रखाव एवं मरम्मत

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1,72.87	1,72.87	2,83.07	+1,10.20
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 1,10.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-			
200-	अन्य कार्यक्रम-			
09-	मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान- गैर योजना			
मूल	4.00			
		6.75	6.75	..
पुनर्वि०	2.75			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.75 लाख का आवर्धन अनुग्रह अनुदान के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ-			
090-	सचिवालय-			
04-	भाषा, संस्कृति मामले और कल्याण विभाग- गैर योजना			
मूल	1,17.21			
		1,52.71	1,52.71	..
पुनर्वि०	35.50			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.50 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते और कर्मचारियों को अंतरिम राहत की अदायगी के कारण हुआ।			
3425-	अन्य वैज्ञानिक शोध			
60-	अन्य-			
200-	अन्य वैज्ञानिक निकायो को सहायता-			
01-	कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता- गैर योजना			
मूल	65.00			
		1,16.00	1,16.00	..
पुनर्वि०	51.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.00 लाख का आवर्धन मेधावी छात्रों को अधिक छात्रवृत्ति अनुदान जारी करने के कारण हुआ।			
3435-	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03-	पर्यावरण अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरुद्धारण-			
101-	संरक्षण कार्यक्रम-			
03-	पोंग बांध आर्द्र-भूमि का संरक्षण और प्रबंधन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
पूरक	0.01			
		63.22	63.22	..
पुनर्वि०	63.21			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.21 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

पूरक	0.01			
		6.32	6.32	..
पुनर्वि०	6.31			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.31 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

(v)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-			
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

गैर योजना

मूल	8,99.66			
पूरक	7,19.86	14,91.63	14,83.66	(-)7.97
पुनर्वि०	(-)1,27.89			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,27.89 लाख की कमी खाली पदों को न भरने, प्रचार और विज्ञापन, दरों, करों, किराए पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बिजली, पानी और दूरभाष के बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रखरखाव और मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

पूरक	1,10.53	1,10.53	..	(-)1,10.53
------	---------	---------	----	------------

₹ 1,10.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त पूरक अनुदान द्वारा प्राप्त विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,10.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019) ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भू-सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी तथा 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,80,62,23			
		7,92,98,29	13,57,86,53	+5,64,88,24
पूरक	1,12,36,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
प्रभारित				
मूल	..			
		3,32	3,32	..
पूरक	3,32			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,00,00			
		10,00,00	10,00,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,64,88,23,349 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,64,88.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 1,12,36.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) मुख्य शीर्ष 2245-05- 901-01 के अन्तर्गत ऋणात्मक बजट प्रावधान प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है जोकि खातों की वास्तविक तस्वीर को नहीं दर्शाता है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष	(₹ लाख में)		

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

02- न्यायिकेतर स्टाम्प -

101- स्टाम्पों की लागत-

01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-
गैर योजना

मूल	2,26.89				
		7,52.20	8,99.17	+1,46.97	
पूरक	5,25.31				

₹ 1,46.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-

101- अनुग्राहिक राहत-

01- नगद निर्वाह दान
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
गैर योजना

मूल	0.01				
पूरक	12,00.00	23,93.00	23,93.00	..	
पुनर्वि०	11,92.99				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,92.99 लाख का सारभूत आवर्धन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,27,29.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

गैर योजना

मूल	0.01				
		35,00.00	35,00.00	..	
पुनर्वि०	34,99.99				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,99.99 लाख का सारभूत आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नगद निर्वाह दान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

102- पेयजल आपूर्ति-

01- पेयजल पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	0.01			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	9.99			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख का सारभूत आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत सूखे की आशंका वाले क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
104- चारे की आपूर्ति-				
01- चारे की आपूर्ति पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	0.01			
		5.00	5.00	..
पुनर्वि०	4.99			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.99 लाख का सारभूत आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत सूखे की संभावना वाले क्षेत्र में चारे की आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
106- क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार-				
01- सड़कों और पुलों की मरम्मत -				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
गैर योजना				
मूल	0.01			
		36,00.01	86,00.00	+49,99.99
पूरक	36,00.00			
₹ 49,99.99 लाख के सारभूत आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2019)।				
109- क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति, जल और मल				
कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना-				
01- पेयजल तथा मल निकासी योजनाओं				
को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
गैर योजना				
मूल	0.01			
पूरक	25,00.00	37,08.59	47,67.00	+10,58.41
पुनर्वि०	12,08.58			
₹ 10,58.41 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,08.58 लाख का आवर्धन क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति और मल निकासी की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

₹ 10,58.41 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

गैर योजना

मूल	0.01			
		31,00.00	31,00.00	..
पुनर्वि०	30,99.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30,99.99 लाख का सारभूत आवर्धन क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति और मल निकासी पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

111- संतृप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

01- अनुग्रह अदायगी-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

(i)	मूल	0.01		
	पूरक	4,00.00	17,72.00	17,72.00
	पुनर्वि०	13,71.99		

गैर योजना

(ii)	मूल	0.01		
	पूरक	7,53.41	73,13.50	73,13.51
	पुनर्वि०	65,60.08		+0.01

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79,32.07 लाख का सारभूत आवर्धन, शोक संतृप्त परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

113- घरों की मरम्मत/ एवं पुनः निर्माण हेतु अनुदान

01- घरों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

गैर योजना

(i)	मूल	0.01		
	पूरक	3,13.00	23,02.68	23,02.68
	पुनर्वि०	19,89.67		

गैर योजना

(ii)	मूल	0.01		
			25,00.00	25,00.01
	पुनर्वि०	24,99.99		+0.01

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44,89.66 लाख का सारभूत आवर्धन, प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत घरों की मरम्मत/निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

193-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को अनुदान-				
01-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	गैर योजना				
	मूल	0.01			
	पूरक	4,00.00	28,89.00	28,89.00	..
	पुनर्वि०	24,88.99			
	गैर योजना				
	मूल	0.01			
			30,00.00	30,00.00	..
	पुनर्वि०	29,99.99			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54,88.98 लाख का सारभूत आवर्धन, राष्ट्रीय-आपदा प्रतिक्रिया निधि से महिला मंडल घरों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों की सहायता तथा क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों और स्कूल भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,27,29.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
05-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-				
101-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखा के लिए स्थानान्तरण-				
02-	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	गैर योजना				
	मूल	0.01			
			84,13.01	2,27,29.00	+1,43,15.99
	पूरक	84,13.00			
	₹ 1,43,15.99 लाख के अंतिम सारभूत आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
80-	सामान्य-				
102-	आपदा सम्भावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्धन-				
01-	आपदा सम्भावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	0.01			
	पूरक	5,00.00	11,74.61	11,74.61	..
	पुनर्वि०	6,74.60			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,74.60 लाख का सारभूत आवर्धन, आपदा सम्भावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा/ आकस्मिक योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

05- क्षमता निर्माण-
गैर योजना

मूल	0.01			
		5,50.00	5,50.00	..
पुनर्वि०	5,49.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,49.99 लाख का आवर्धन, क्षमता भवन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2029- भू-राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-

गैर योजना

मूल	6,43.99			
पूरक	0.08	5,83.64	5,83.61	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)60.43			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- बन्दोबस्त अधिकारी स्थापना शिमला-

गैर योजना

मूल	24,43.85			
		17,25.78	17,25.76	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)7,18.07			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,18.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

04- बन्दोबस्त अधिकारी स्थापना कांगड़ा-

गैर योजना

मूल	22,24.49			
		17,37.07	17,37.07	..
पुनर्वि०	(-)4,87.42			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,87.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षु पटवारियों के लिए वजीफे पर कम व्यय और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बिजली, दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

103- भू-अभिलेख-
01- अधीक्षण-
गैर योजना

मूल	3,17.77			
		1,76.70	1,76.69	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,41.07			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

02- जिला स्थापना प्रभार-
गैर योजना

मूल	1,30,42.79			
पूरक	0.01	1,01,23.10	1,01,22.60	(-)0.50
पुनर्वि०	(-)29,19.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,19.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, नम्बरदारों को मानदेय पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई। जोकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान भूमि रिकार्ड अभिलेख पटवारियों को वजीफे का अधिक भुगतान होने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

03- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अभिकरणों
का सुदृढीकरण मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	3,40.93			
पूरक		2,71.63	2,71.63	..
पुनर्वि०	(-)69.30			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, भूमि अभिलेख पटवारियों को मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बिजली/ पानी और दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख
अभिकरणों का सुदृढीकरण जिला
कर्मचारी वर्ग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	21,99.93			
		16,10.63	16,10.62	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5,89.30			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,89.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने बिजली/पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2053- जिला प्रशासन-
093- जिला स्थापनाएं-
01- सामान्य स्थापना-
गैर योजना

मूल	1,47,87.20			
पूरक	4,41.60	1,27,22.45	1,29,35.59	+2,13.14
पुनर्वि०	(-)25,06.35			

₹ 2,13.14 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,06.35 लाख की कमी, मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, पेट्रोल, तेल, स्नेहक/मरम्मत प्रभारों और व्यवसायिक सेवाओं पर कम व्यय, कर्मचारियों द्वारा कम दौरे, बिजली/पानी, दूरभाष बिलों पर कम व्यय, किराया, दर तथा करों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 2,13.14 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2019)।

094- अन्य स्थापनाएं-
01- उप मण्डल स्थापना-
गैर योजना

मूल	19,52.79			
पूरक	8.49	15,90.90	16,35.74	+44.84
पुनर्वि०	(-)3,70.38			

₹ 44.84 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,70.38 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 44.84 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

04- भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

(i) मूल	1,37.85			
पूरक	20.00	1,32.75	1,32.75	..
पुनर्वि०	(-)25.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

05- उपायुक्त की स्थापना पर व्यय (राहत और पुर्नवास)-
गैर योजना

(ii)	मूल	89.88			
	पूरक	2.30	76.16	76.16	..
	पुनर्वि०	(-)16.02			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01-	पुनर्वास-				
202-	अन्य पुनर्वास योजनाएं-				
01-	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-				
	गैर योजना				
	मूल	1,17.26			
	पूरक	0.87	64.85	63.65	(-)1.20
	पुनर्वि०	(-)53.28			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा आधिकारिक भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

02-	बाढ़, चक्रवात इत्यादि-				
106-	क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना -				
01-	सड़कों तथा पुलों की मरम्मत-				
	गैर योजना				
	मूल	2,72,99.70			
			74,00.00	74,00.00	..
	पुनर्वि०	(-)1,98,99.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,98,99.70 लाख की कमी वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की पुर्नस्थापना पर कम खर्च के कारण हुई।

05-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि				
901-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि -				
01-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि प्रतिक्रिया -				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	गैर योजना				
	पूरक	(-)84,13.00	(-)84,13.00	..	+84,13.00
	गैर योजना				
	मूल	(-)2,73,00.00	(-)2,73,00.00	..	2,73,00.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,57,13.00 लाख का बजट प्रावधान ऋणात्मक रखा गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

2506- भूमि सुधार-

102- चकबन्दी-

01- मुख्यालय स्थापना-

गैर योजना

मूल 3,77.20

2,50.38

2,50.38

..

पुनर्वि० (-)1,26.82

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.82 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल 3,23.33

2,18.75

2,18.74

(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,04.58

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई सांख्यिकी में सुधार के लिए योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक 3,44.46

3,13.92

3,13.92

..

पुनर्वि० (-)30.54

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्करण-

02- आपदा प्रबन्धन कोष्ठ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (समाप्त)

गैर योजना

मूल	58.95			
पूरक	2.06	41.01	38.67	(-)2.34
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न० रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार निधि से क्रमशः 90 : 10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा साथ-साथ किया जाता है।

कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिफारिश की गई राशि की प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101-रिजर्व फण्ड और जमा लेखे का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि से क्रमशः मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड, 122-राज्य आपदा प्रबंधन निधि एवं 8235-सामान्य और रिजर्व फण्ड, 125-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि के स्थानान्तरण को सुनिश्चित करेगी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,00,34.21 लाख की प्राप्ति राज्य आपदा प्रबंधन निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि के अधीन हुई, (क्रमशः ₹ 2,73,05.21 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से (₹ 2,45,70.00 लाख भारत सरकार से एवं ₹ 27,35.21 लाख राज्य के हिस्से से) और ₹ 2,27,29.00 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि से) जोकि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और रिजर्व निधि, 122-राज्य आपदा प्रबंधन निधि और 8235-सामान्य रिजर्व निधि, 125-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि में स्थानान्तरित किया गया। वर्ष के दौरान ₹ 5,07,76.81 लाख का व्यय हुआ (₹ 2,80,53.13 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से और ₹ 2,27,23.68 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि से) जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	76,06,61			
		76,06,62	62,27,89	(-)13,78,73
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				13,78,62
प्रभारित				
मूल	1			
		6,21,55	6,21,54	(-)1
पूरक	6,21,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,00,00			
		7,00,00	7,00,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ

राजस्व प्रवर्ग

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- जिला स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

मूल 6,87.95

5,58.88 5,58.88

..

पुनर्वि0 (-)1,29.07

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की मरम्मत/पैट्रोल पर कम व्यय के कारण हुई।

104- शराब और स्पिरिट की खरीद-
02- शराब की क्लीनिकल सैंपलिंग-
गैर योजना

मूल 45.00

8.42 8.42

..

पुनर्वि0 (-)36.58

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.58 लाख की कमी शराब की सैंपलिंग पर कम व्यय के कारण हुई।

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-
01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-
गैर योजना

मूल 3,62.66

1,61.84 1,61.83

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)2,00.82

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी, बिजली के बिलों पर कम व्यय और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर-

104- संग्रहण प्रभार यात्रियों तथा माल पर कर-
01- मुख्यालय की स्थापना-
गैर योजना

मूल 6,48.22

6,25.90 6,25.90

..

पुनर्वि0 (-)22.32

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.32 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि विशेष और पेशेवर सेवाओं पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

02- जिला स्थापना-
गैर योजना

मूल	46,72.54			
		37,96.87	37,96.78	(-)0.09
पुनर्वि०	(-)8,75.67			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,75.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल पर कम व्यय/ वाहनों की कम मरम्मत, दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियों के निपटान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -

110- अन्य बीमा योजनाएं-

02- छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना समूह बीमा संरक्षण-
गैर योजना

मूल	1,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

**3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा स्वत्वार्पण-**

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-
गैर योजना

(i) मूल	4,63.33			
		4,08.10	4,08.10	..
पुनर्वि०	(-)55.23			

02- पंचायतों और ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान-
गैर योजना

(ii) मूल	6,18.40			
		5,31.04	5,31.04	..
पुनर्वि०	(-)87.36			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.59 लाख की कमी शराब की बोटलों की कम बिक्री के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार-

800- अन्य व्यय-

01- राज्य वस्तुएं एवं सेवा कर-
गैर योजना

पूरक	0.01			
		1,29.00	1,29.00	..
पुनर्वि०	1,28.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,28.99 लाख का आवर्धन शराब शुल्क की वापसी के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062- सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय।

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,12,63,78			
		13,12,63,92	11,68,81,01	(-)1,43,82,91
पूरक	14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,43,64,50
प्रभारित				
मूल	..			
		22,45	26,50	+4,05
पूरक	22,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	64,43,03			
		77,27,40	74,36,02	(-)2,91,38
पूरक	12,84,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,91,35

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोग में ₹ 4,05,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,91.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 12,84.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2055-पुलिस-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	गैर योजना				
	मूल	18,44.53			
			15,85.42	15,85.42	..
	पुनर्वि०	(-)2,59.11			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,59.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
04-	स्वचलित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली-				
	गैर योजना				
	मूल	2,00.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,00.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
003-	शिक्षा और प्रशिक्षण-				
01-	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-				
	गैर योजना				
	मूल	16,89.40			
			14,76.51	14,76.52	+0.01
	पुनर्वि०	(-)2,12.89			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,12.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि वर्दी की अधिक खरीद तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
101-	आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-				
01-	आपराधिक अन्वेषण-				
	गैर योजना				
	मूल	45,34.23			
			42,54.76	42,54.76	..
	पुनर्वि०	(-)2,79.47			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,79.47 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, पानी, बिजली, किराया दर तथा कर बिलों पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-				
01-	राज्य रिजर्व पुलिस-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	93,59.43			
		80,18.40	80,18.37	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)13,41.03			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,41.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि वर्दी की खरीद, हथियार तथा गोलाबारूद, दूरभाष, पानी, बिजली के बिलों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02- अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-				
गैर योजना				
मूल	39,59.88			
		28,94.74	28,94.72	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)10,65.14			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,65.14 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-				
गैर योजना				
मूल	2,98,00.08			
		2,46,61.39	2,46,61.38	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)51,38.69			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51,38.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, यात्रा बिलों की अधिक प्राप्ति, हथियारों, गोला बारूद तथा वर्दी की खरीद पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
109- जिला पुलिस-				
01- जिला कार्यकारिणी बल-				
गैर योजना				
मूल	5,65,29.66			
पूरक	0.01	4,88,65.39	4,88,65.29	(-)0.10
पुनर्वि०	(-)76,64.28			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76,64.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्राओं पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक नियुक्ति, नए वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभार वाहनों की मरम्मत, रखरखाव शुल्क, वर्दी, हथियार, गोला बारूद, निजी आवासों को किराये पर लेने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
111- रेलवे पुलिस-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

01-	अपराध पुलिस-				
	गैर योजना				
	मूल	5,18.84			
			3,98.72	3,98.70	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)1,20.12			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.12 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
114-	बेतार तथा कम्प्यूटर-				
01-	पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-				
	गैर योजना				
	मूल	24,39.08			
			19,03.59	19,03.58	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)5,35.49			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सम्पत्ति कर बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
115-	पुलिस बल का आधुनिकीकरण-				
02-	सुरक्षा सम्बन्धी व्यय -				
	गैर योजना				
	मूल	89.49			
			46.04	46.04	..
	पुनर्वि०	(-)43.45			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.45 लाख की कमी मानदेय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
116-	न्यायालिक विज्ञान-				
01-	राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला-				
	गैर योजना				
	मूल	7,71.70			
			7,00.55	7,00.47	(-)0.08
	पुनर्वि०	(-)71.15			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि रखरखाव सामग्री, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभार तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
	योजना				
	मूल	1,50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,50.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

2056- जेल-

101- जेल -

01- जेलों की स्थापना-

गैर योजना

मूल 28,30.43

26,83.32

26,83.32

..

पुनर्वि० (-)1,47.11

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि सामग्री, दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति, बिजली, दूरभाष, पानी प्रभारों तथा पेंशनरों के लिए नई जिम खोलने पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण-

गैर योजना

मूल 2,71.14

1,92.30

1,92.30

..

पुनर्वि० (-)78.84

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

21- गृह रक्षक विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना-

(i) मूल 5.32

1.30

1.30

..

पुनर्वि० (-)4.02

31- पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

योजना

(ii) मूल 3,29.00

79.00

78.99

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2,50.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,54.02 लाख की कमी रखरखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।

2062- सतर्कता--

104- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-

01- राज्य सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-

गैर योजना

मूल 29,76.71

24,62.71

24,62.91

+0.20

पुनर्वि० (-)5,14.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,14.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों से कामगारों की अधिक नियुक्ति तथा वर्दीयों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- सतर्कता निदेशालय-
गैर योजना

मूल	60.57			
पूरक	0.01	46.69	46.69	..
पुनर्वि०	(-)13.89			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.89 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

106- नागरिक रक्षा-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल	11.89			
		5.99	5.99	..
पुनर्वि०	(-)5.90			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.90 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

गैर योजना

मूल	28.39			
		17.65	17.65	..
पुनर्वि०	(-)10.74			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- होम गार्ड-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल	20.04			
		8.35	8.35	..
पुनर्वि०	(-)11.69			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.69 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

गैर योजना

मूल	3,04.24			
		2,78.68	2,78.66	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)25.56			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वस्तुओं की कम खरीद, दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों पर कम वयय होने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

108- अग्नि संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल 83.46

62.06

62.08

+0.02

पुनर्वि० (-)21.40

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि आवासों के किराये तथा दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

800- अन्य व्यय-

02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-

गैर योजना

मूल 3.50

3.50

..

(-)3.50

₹ 3.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(₹ लाख में)

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- सड़क सुरक्षा निधि-

गैर योजना

मूल 2,00.00

5,02.00

5,02.00

..

पुनर्वि० 3,02.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.00 लाख का आवर्धन पुलिस विभाग के लिए यातायात उपकरण खरीदने के कारण हुआ।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

02- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

गैर योजना

पूरक 0.03

1,64.68

1,64.68

..

पुनर्वि० 1,64.65

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.65 लाख का आवर्धन बिजली, दूरभाष, पानी प्रभार तथा नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

गैर योजना

पूरक	0.01			
		44.76	44.76	..
पुनर्वि०	44.75			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.75 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोतों से कामगारों की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुआ।

109- जिला पुलिस-

02- पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय (समन सेवाओं हेतु)-

गैर योजना

मूल	3,00.00			
		3,45.92	3,45.92	..
पुनर्वि०	45.92			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.92 लाख का आवर्धन वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत जारी करने तथा पंचायत चौकीदारों को वारंट/ समन बांटने के लिए पारिश्रमिक के भुगतान करने के कारण हुआ।

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	47,01.97			
		57,61.67	57,61.67	..
पुनर्वि०	10,59.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,59.70 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ जोकि यात्राओं पर कम व्यय होने के कारण हुई कमी से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

मूल	0.07			
		4,44.43	4,44.43	..
पुनर्वि०	4,44.36			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,44.36 लाख का आवर्धन नए वाहनों तथा विभिन्न मदों की खरीद के कारण हुआ।

गैर योजना

मूल	0.06			
		23.24	23.24	..
पुनर्वि०	23.18			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.18 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ।

02- सुरक्षा संबंधी व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल	2,45.04			
		3,13.39	3,13.39	..
पुनर्वि०	68.35			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.35 लाख का आवर्धन मानदेय पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली एवं पानी प्रभारों पर कम व्यय करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 5,13.67 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

03- अपराध और अपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

पूरक	0.02			
		3,76.10	3,73.10	(-)3.00
पुनर्वि०	3,76.08			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,76.08 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

116- न्यायालिक विज्ञान-

02- महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध की रोकथाम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

पूरक	0.03			
		45.71	45.70	(-)0.01
पुनर्वि०	45.68			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.68 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक आयोजन करने के कारण हुआ।

2056- जेल-

001- निदेशन और प्रशासन-
01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
गैर योजना

पूरक	0.01			
		43.84	43.84	..
पुनर्वि०	43.83			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.83 लाख का आवर्धन ई-जेल के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	1,68.89			
		2,24.85	2,24.85	..
पुनर्वि०	55.96			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.96 लाख का आवर्धन बिजली, दूरभाष, पानी प्रभारों तथा महिलाओं के सम्मेलन पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

107- गृह रक्षक-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल	27,50.75			
		29,22.74	29,22.72	(-)0.02
पुनर्वि०	1,71.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,71.99 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा मुआवजों के भुगतान के कारण हुई जोकि रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल,तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम खर्च करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

03- प्रशिक्षण केंद्र-

गैर योजना

मूल	2,41.71			
पूरक	0.01	3,26.42	3,26.41	(-)0.01
पुनर्वि०	84.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 84.70 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

108- अग्नि से सुरक्षा और नियंत्रण-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल	27,76.15			
पूरक	0.01	33,91.27	33,91.28	+0.01
पुनर्वि०	6,15.11			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,15.11 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा सम्पत्ति कर पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा मदों की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2216- आवास-

06- पुलिस आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	79.15	79.15	2,44.29	+1,65.14
-----	-------	-------	---------	----------

₹ 1,65.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे। (जुलाई 2019)।

योजना

पुनर्वि०	2,50.00	2,50.00	73.09	(-)1,76.91
----------	---------	---------	-------	------------

₹ 1,76.91 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख का आवर्धन मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

₹ 1,76.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

02- राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला के आवासीय भवनों की मरम्मत-

गैर योजना

मूल	0.01			
-----	------	--	--	--

		5.01	5.01	..
--	--	------	------	----

पुनर्वि०	5.00			
----------	------	--	--	--

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

(v) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

पुनर्वि०	2.00	2.00	5.00	+3.00
----------	------	------	------	-------

₹ 3.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का आवर्धन हुआ जिसके कारण नहीं बताया गए जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

₹ 3.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

पूरक 2,29.80

1,89.87

1,89.87

..

पुनर्वि० (-)39.93

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 39.93 लाख की कमी यातायात उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

योजना

मूल 4,74.00

4,02.00

4,02.00

..

पुनर्वि० (-)72.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 72.00 लाख की कमी इमारतों के निर्माण पर कम व्यय करने के कारण हुई।

05- राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

(i) पूरक 98.00

75.94

75.94

..

पुनर्वि० (-)22.06

गैर योजना

(ii) मूल 0.01

पूरक 2,00.00

74.68

74.68

..

पुनर्वि० (-)1,25.33

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.39 लाख की कमी उपकरणों की कम खरीद करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	61,24,08,90			
		61,24,08,91	51,68,92,43	(-)9,55,16,48
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				9,55,16,39
प्रभारित				
मूल	..			
		85	85	..
पूरक	85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,05,72,15			
		1,39,04,93	1,12,87,80	(-)26,17,13
पूरक	33,32,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				26,17,13

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 26,17.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 33,32.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष				
			(₹ लाख में)	

2202- सामान्य शिक्षा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

01- प्रारम्भिक शिक्षा-				
001- निदेशन एवं प्रशासन-				
01- निदेशालय-				
गैर योजना				
मूल	20,47.09			
		17,08.17	17,08.17	..
पुनर्वि०	(-)3,38.92			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,38.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	11,38.00			
		2.35	2.35	..
पुनर्वि०	(-)11,35.65			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,35.65 लाख की सारभूत कमी बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-				
01- शिक्षा पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	16,46,12.57			
		13,35,29.70	13,35,29.57	(-)0.13
पुनर्वि०	(-)3,10,82.87			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,10,82.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, फर्नीचर पर कम व्यय, छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	97.00			
		71.62	71.62	..
पुनर्वि०	(-)25.38			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.38 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
03- माध्यमिक विद्यालय-				
गैर योजना				
मूल	11,00,32.37			
		9,66,40.44	9,66,40.44	..
पुनर्वि०	(-)1,33,91.93			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,33,91.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, फर्नीचर पर कम व्यय, छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा दौरों पर कम व्यय करने के कारण हुई।

योजना

मूल	37,39.00			
		13,53.75	13,53.74	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)23,85.25			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,85.25 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

11- उर्दू और पंजाबी शिक्षकों पर खर्च-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	90.00			
		66.90	66.90	..
पुनर्वि०	(-)23.10			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.10 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-
योजना

(i) मूल	16,39.00			
	
पुनर्वि०	(-)16,39.00			

102- गैर सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं को सहायता-

03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग
के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-
योजना

(ii) मूल	2,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)2,00.00			

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2019 में ₹ 18,39.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

104- निरीक्षण-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	18,72.91			
		15,83.61	15,83.60	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2,89.30			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,89.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा बाह्य स्त्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02-खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

गैर योजना

मूल	52,82.98			
		49,08.34	49,08.33	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)3,74.64			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,74.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोतों पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

111- सर्व शिक्षा अभियान-

01- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(i) मूल	2,36,92.00			
		1,95,47.87	1,95,47.87	..
पुनर्वि०	(-)41,44.13			

योजना

(ii) मूल	26,32.00			
		21,71.99	21,71.99	..
पुनर्वि०	(-)4,60.01			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,04.14 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 2,01,27.87 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- उपहार माध्याह्न भोजन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना

मूल	61,07.00			
		51,96.43	51,96.44	+0.01
पुनर्वि०	(-)9,10.57			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,10.57 लाख की कमी मदों की कम खरीद, मानदेय, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि रसोई की सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से 53,57.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

06-विद्यालय प्रबन्धन समिति को

सहायता अनुदान-

योजना

मूल	11,19.00			
		10,14.46	10,14.46	..
पुनर्वि०	(-)1,04.54			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.54 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों के वेतन पर कम व्यय के कारण हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल	18,60.82			
		15,48.43	15,48.42	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)3,12.39			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,12.39 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- माध्यमिक विद्यालय-

गैर योजना

मूल	20,05,30.11			
		18,12,48.19	18,12,48.29	+0.10
पुनर्वि०	(-)1,92,81.92			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92,81.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों, किराया, दर तथा करों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि शिक्षकों के वेतन के अधिक भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ₹ 5,63.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2019)।

योजना

मूल	13,05.00			
		10,36.59	10,36.59	..
पुनर्वि०	(-)2,68.41			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,68.41 लाख की कमी मदों तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ₹ 2,30.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2019)।

**05-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना**

(i) मूल	35,93.00			
		19,74.00	19,74.00	..
पुनर्वि०	(-)16,19.00			

योजना

(ii) मूल	3,55.00			
	
पुनर्वि०	(-)3,55.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 19,74.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

**06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) मूल	1,21,42.00			
		79,52.88	79,52.88	..
पुनर्वि०	(-)41,89.12			

योजना

(ii) मूल	13,49.00			
		8,83.66	8,83.66	..
पुनर्वि०	(-)4,65.34			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,54.46 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी। जबकि क्रम संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 71,77.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

10-माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 70,65.00

..

पुनर्वि० (-)70,65.00

योजना

(ii) मूल 7,85.00

..

पुनर्वि० (-)7,85.00

14-माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के
लिए अंतर्वेशित शिक्षा पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल 95.00

..

पुनर्वि० (-)95.00

योजना

(iv) मूल 11.00

..

पुनर्वि० (-)11.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79,56.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को समग्र शिक्षा अभियान में विलय करने के कारण कम कर दिया गया।

15-छात्र डिजीटल योजना
(लैपटॉप/टेबलेट)-
योजना

मूल 11,85.00

..

पुनर्वि० (-)11,85.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11,85.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

21-मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना-
गैर योजना

मूल 3,00.00

..

पुनर्वि० (-)3,00.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से उपदान के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

22-मुख्यमंत्री वर्दी योजना-
योजना

(i) मूल 8,56.00

..

पुनर्वि० (-)8,56.00

23- गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना-
योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

24- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालाओं और
अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव -
योजना

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

25- बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्लोज सर्किट टेलीविजन किराये पर लेना-
योजना

(iv) मूल 1,32.00

..

पुनर्वि० (-)1,32.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9,90.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

27-मेधा प्रोत्साहन योजन-
गैर योजना

मूल 5,00.00

35.00 35.00 ..

पुनर्वि० (-)4,65.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,65.00 लाख की कमी छात्रों से कम आवेदन की प्राप्ति के कारण हुई।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

103- राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान-

01- राजकीय महाविद्यालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	2,93,80.32			
		2,61,31.32	2,61,31.33	+0.01
पुनर्वि०	(-)32,49.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32,49.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, छात्रवृत्ति के लिए कम छात्रों की पात्रता होने, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-				
गैर योजना				
मूल	3,38.50			
		2,15.49	2,15.47	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)1,23.01			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	39,49.00			
		22,90.24	22,90.24	..
पुनर्वि०	(-)16,58.76			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,58.76 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 22,90.24 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजना				
मूल	3,95.00			
		2,54.47	2,54.47	..
पुनर्वि०	(-)1,40.53			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,40.53 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
04- प्रोढ़ शिक्षा-				
103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-				
05- साक्षर भारत योजनाएं-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना					
(ii) मूल	1.00				
		
पुनर्वि०	(-)1.00				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।					
05- भाषा विकास-					
103- संस्कृत शिक्षा-					
01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-					
गैर योजना					
मूल	6,05.48				
		5,40.92	5,40.92	..	
पुनर्वि०	(-)64.56				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.56 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
80- सामान्य-					
107- छात्रवृत्तियां-					
07- अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	28.00				
		
पुनर्वि०	(-)28.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की पात्रता न होने के कारण कम कर दिया गया।					
20- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-					
मूल	3,50.00				
		2,00.00	2,00.00	..	
पुनर्वि०	(-)1,50.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता होने के कारण हुई।					
800- अन्य व्यय-					
16- स्कूल शिक्षा हेतु पर्यावरण अभिविन्यास					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	6.00			
		4.25	4.25	..
पुनर्वि०	(-)1.75			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

06- अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता-

01- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय -

गैर योजना

पूरक	0.01			
		13.25	13.25	..
पुनर्वि०	13.24			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.24 लाख का आवर्धन अध्यापकों को बकाया राशि के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना

मूल	14,29.00			
		15,84.94	15,84.94	..
पुनर्वि०	1,55.94			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.94 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को अंतरिम राहत और महंगाई भत्ते के भुगतान की अदायगी के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- उपहार मध्याह्न भोजन-

योजना

मूल	10,46.00			
		13,01.84	13,01.83	(-)0.01
पुनर्वि०	2,55.84			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,55.84 लाख का आवर्धन खाना बनाने वाले/रसोइये के मानदेय की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि मर्दों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

05- अभिभावक/शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा

को सहायता अनुदान-

योजना

मूल	10,44.00			
		13,52.26	13,52.26	..
पुनर्वि०	3,08.26			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,08.26 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत वेतन के लिए अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजना

पुनर्वि०	10.00	10.00	10.00	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2019 में बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली पुस्तिका के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-

गैर योजना

मूल	14,98.37			
		17,11.17	17,11.16	(-)0.01
पुनर्वि०	2,12.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,12.80 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत, महंगाई भत्ते के भुगतान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय				
20-	स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-				
	गैर योजना				
	मूल	6,05.00			
			7,59.30	7,59.30	..
	पुनर्वि०	1,54.30			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.30 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।				
110-	गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय-				
01-	गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय-				
	गैर योजना				
(i)	मूल	0.01			
			1,03.25	1,03.25	..
	पुनर्वि०	1,03.24			
800-	अन्य व्यय-				
01-	अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सहायता अनुदान-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	7,00.00			
			10,95.12	10,95.12	..
	पुनर्वि०	3,95.12			
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
102-	विश्वविद्यालयों को सहायता-				
01-	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-				
	गैर योजना				
(iii)	मूल	10,00.00			
			20,00.00	20,00.00	..
	पुनर्वि०	10,00.00			
800-	अन्य व्यय				
01-	सरकारी महाविद्यालयों को अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान				
	गैर योजना				
(iv)	मूल	50.00			
			80.48	80.48	..
	पुनर्वि०	30.48			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,28.84 लाख का आवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान सहायता जारी करने के कारण हुआ।

80- सामान्य-

107- छात्रवृत्तियां -

08- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्ति योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

पुनर्वि०	4,41.00	4,41.00	4,41.00	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 4,41.00 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

18- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-

गैर योजना

(i) मूल 2,00.00

		3,30.55	3,30.55	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि०	1,30.55			
----------	---------	--	--	--

19- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-

गैर योजना

(ii) मूल 3.00

		1,83.75	1,83.75	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि०	1,80.75			
----------	---------	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,11.30 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

08- सैनिक विद्यालयों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	63.99			
-----	-------	--	--	--

		1,75.00	1,75.00	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि०	1,11.01			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.01 लाख का आवर्धन मरम्मतों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

11- खेलकूद संघ को सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल	3.00			
-----	------	--	--	--

		60.00	60.00	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	57.00			
----------	-------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.00 लाख का आवर्धन छात्रों के लिए अधिक प्रशिक्षण आयोजित करने के कारण हुआ।

17- सोलन राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-
गैर योजना

मूल	3,07.93			
		3,36.46	3,36.46	..
पुनर्वि०	28.53			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.53 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

01- राज्य एवं जिला पुस्तकालय-
गैर योजना

मूल	5,08.02			
		8,47.22	8,47.23	+0.01
पुनर्वि०	3,39.20			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,39.20 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने और दूरभाष, पानी तथा बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्राथमिक शिक्षा-

06- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा
में कमरों का निर्माण-

योजना

पूरक	64.44			
	
पुनर्वि०	(-)64.44			

फरवरी 2019 में अनुपूरक अनुदानों के द्वारा प्राप्त ₹ 64.44 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

202- माध्यमिक शिक्षा-

05- सामान्य क्षेत्र के पिछड़ खण्डों में शिक्षित
छात्रावास का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 53.00

6.33 6.33 ..

पुनर्वि० (-)46.67

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.67 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय करने के कारण हुई।

योजना

मूल 6.00

..

पुनर्वि० (-)6.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति हाने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।

09- मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र-
गैर योजना

मूल 25,00.00

..

पुनर्वि० (-)25,00.00

मार्च 2019 में ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	19,94,23,21			
		19,94,23,36	16,63,40,29	(-)3,30,83,07
पूरक	15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
प्रभारित				
मूल	..			
		2,00	2,00	..
पूरक	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,86,77,30			
		2,65,34,98	2,56,41,23	(-)8,93,75
पूरक	78,57,68			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
8,93,76				

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,30,83.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पित ₹ 3,27,88.52 लाख अपर्याप्त सिद्ध हुए ।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,93.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 78,57.68 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 8,93.76 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 27,73.14

22,06.09

22,04.98

(-)1.11

पुनर्वि० (-)5,67.05

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,67.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल 17,22.47

12,30.98

12,30.86

(-)0.12

पुनर्वि० (-)4,91.49

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,91.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

109- पाठशाला स्वास्थ्य योजना-

01- पाठशाला स्वास्थ्य सेवा-

गैर योजना

मूल 36.48

27.50

27.48

(-)0.02

पुनर्वि० (-)8.98

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

गैर योजना

मूल 2,23,45.45

1,67,79.38

1,67,78.00

(-)1.38

पुनर्वि० (-)55,66.07

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55,66.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कम अनुदान सहायता जारी करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद और संस्थापन पर हुए अधिक व्यय के आधिक्य से अंशतः प्रति सन्तुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

योजना					
मूल	59,20.64				
		51,06.42	48,37.29		(-)2,69.13
पुनर्वि०	(-)8,14.22				
<p>₹ 2,69.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,14.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, रख रखाव, पानी तथा बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 2,69.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।</p>					
07-	जैव चिकित्सा अपशिष्ट- गैर योजना				
मूल	55.34				
		32.30	32.29		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)23.04				
<p>मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.04 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।</p>					
02-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय गैर योजना				
मूल	4,85.31				
		3,76.87	3,76.80		(-)0.07
पुनर्वि०	(-)1,08.44				
<p>मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।</p>					
02-	जिला स्थापना-				
	गैर योजना				
मूल	74,30.79				
		63,19.30	63,19.08		(-)0.22
पुनर्वि०	(-)11,11.49				
<p>मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,11.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, आहार राशी, दवाईयों तथा अन्य वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विभिन्न उपकरणों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई ।</p>					
101-	आयुर्वेद -				
01-	आयुर्वेदिक चिकित्सालय-				
	गैर योजना				
मूल	9,65.63				
		9,12.23	9,12.22		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)53.40				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, आहार राशी, दवाईयों और अन्य वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

03- आयुर्वेदिक फार्मसी-
गैर योजना

मूल	5,18.80			
		4,25.01	4,24.99	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)93.79			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई ।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-
गैर योजना

मूल	3,90,18.61			
		2,97,26.08	2,97,24.58	(-)1.50
पुनर्वि०	(-)92,92.53			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92,92.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, रोगी कल्याण समिति को कम अनुदान जारी करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, आहार राशि और दवाईयों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय और किराये की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

योजना

मूल	61,28.66			
		44,28.79	44,24.57	(-)4.22
पुनर्वि०	(-)16,99.87			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,99.87 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, उपकरणों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, आहार राशी, दवाईयों, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा रोगी कल्याण समिति को कम अनुदान के कारण हुई ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-
गैर योजना

मूल	2,54.87			
		2,26.48	2,26.48	..
पुनर्वि०	(-)28.39			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा आहार राशि, दवाईयों और अन्य वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-
गैर योजना

मूल	97,25.31			
पूरक	0.01	89,02.78	89,01.71	(-)1.07
पुनर्वि०	(-)8,22.54			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,22.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दवाईयों की किट और अन्य वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई जोकि उपकरणों की खरीद पर हुए अधिक व्यय के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
और अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-
गैर योजना

मूल	17,21.24			
		13,21.59	13,21.59	..
पुनर्वि०	(-)3,99.65			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता के कारण हुई।

03- भारतीय दवाईयों की प्रणाली में अनुसंधान-
गैर योजना

मूल	36.90			
		28.52	28.53	+0.01
पुनर्वि०	(-)8.38			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा
महाविद्यालय, शिमला-
गैर योजना

मूल	1,94,09.30			
		1,61,28.50	1,61,26.62	(-)1.88
पुनर्वि०	(-)32,80.80			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32,80.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि रोगी कल्याण समिति को अधिक अनुदान जारी करने, स्वच्छता, धोबी की सेवाओं, आहार राशी, किराए दर और कर के बिलों की अदायगी एवं बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

03-	विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण- गैर योजना				
	मूल	3,91.91			
			3,32.42	3,33.46	+1.04
	पुनर्वि०	(-)59.49			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
04-	दन्त चिकित्सा महाविद्यालय- गैर योजना				
	मूल	17,26.80			
			14,38.97	14,38.87	(-)0.10
	पुनर्वि०	(-)2,87.83			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,87.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई ।				
05-	निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान- गैर योजना				
	मूल	2,54.91			
			1,32.21	1,32.20	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,22.70			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
06-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा- गैर योजना				
	मूल	1,05,10.34			
			99,53.84	99,53.84	..
	पुनर्वि०	(-)5,56.50			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,56.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और ई-निविदा को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई ।				
	योजना				
	मूल	10,40.00			
			7,75.18	7,75.18	..
	पुनर्वि०	(-)2,64.82			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,64.82 लाख की कमा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, ई-निविदा को अन्तिम रूप न देने और छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की योग्यता न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा महाविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।				
07-	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	7.00			
		
	पुनर्वि०	(-)7.00			
08-	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-II- योजना				
(ii)	मूल	99.00			
		
	पुनर्वि०	(-)99.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,06.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अभ्यर्पित कर दी गई।					
06-	लोक स्वास्थ्य-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन- गैर योजना				
	मूल	1,56.20			
			1,29.20	1,29.19	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)27.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
101-	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण-				
02-	क्षयरोग अस्पताल- गैर योजना				
	मूल	9,28.99			
			7,38.20	7,38.21	+0.01
	पुनर्वि०	(-)1,90.79			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,90.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।					
05-	मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय- योजना				
	मूल	2,35.00			
			1,92.17	1,92.17	..
	पुनर्वि०	(-)42.83			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.83 लाख की कमी अनुबंध दरों को अन्तिम रूप न देने, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण और रोगी कल्याण समिति को कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।					
07-	कुष्ठ रोग अस्पताल-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

	गैर योजना				
	मूल	4,23.51			
			2,74.01	2,73.88	(-)0.13
	पुनर्वि०	(-)1,49.50			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,49.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	22.00			
			6.89	6.89	..
	पुनर्वि०	(-)15.11			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.11 लाख की कमी दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
08-	घेंघा का उपचार-				
	गैर योजना				
	मूल	23.39			
			11.96	11.96	..
	पुनर्वि०	(-)11.43			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
21-	उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण कार्यक्रम-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सा जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	योजना				
	मूल	2,09.00			
			97.52	97.52	..
	पुनर्वि०	(-)1,11.48			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.48 लाख की कमी आहार राशी दवाईयों और रोगियों के किरायों पर कम व्यय के कारण हुई।				
23-	आघात केन्द्रों पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	5,92.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5,92.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,92.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

107- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-

01- जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला पर व्यय-

गैर-योजना

मूल 2,25.62

पूरक 0.01 1,70.61 1,70.62 +0.01

पुनर्वि० (-)55.02

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि रख- रखाव कार्यों पर हुए अधिक व्यय के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

200- अन्य प्रणालियाँ-

05- मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना-

गैर योजना

(i) मूल 15,00.00

1,17.62 1,17.62 ..

पुनर्वि० (-)13,82.38

06- निशुल्क दवाएँ-

गैर योजना

(ii) मूल 15,00.00

12,83.38 12,83.38 ..

पुनर्वि० (-)2,16.62

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,99.00 लाख की कमी निविदाओं को देरी से अंतिम रूप देने के कारण हुई।

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल 2,75.00

2,49.00 2,40.48 (-)8.52

पुनर्वि० (-)26.00

गैर योजना

(ii) मूल 23.24

6.01 6.01 ..

पुनर्वि० (-)17.23

02- जिला मुख्यालय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(iii) मूल 1,30.00

84.57 84.57 ..

पुनर्वि० (-)45.43

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

गैर योजना

मूल	5,26.39			
		3,24.51	3,21.12	(-)3.39
पुनर्वि०	(-)2,01.88			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,01.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

003- प्रशिक्षण -

01- सहायक उपचारिका, मिडवाडफ/दाई तथा महिला स्वास्थ्य विजिटर पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	2,20.00			
		1,62.53	1,62.53	..
पुनर्वि०	(-)57.47			

गैर-योजना

(ii) मूल	1,79.78			
		1,11.98	1.11.98	..
पुनर्वि०	(-)67.80			

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	27,50.00			
		22,63.15	22,62.02	(-)1.13
पुनर्वि०	(-)4,86.85			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,12.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

गैर योजना

मूल	94,57.04			
		70,29.89	70,29.61	(-)0.28
पुनर्वि०	(-)24,27.15			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24,27.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-

01- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -9(क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	3,85.00			
			3,29.05	3,28.93	(-)0.12
	पुनर्वि०	(-)55.95			
गैर योजना					
(ii)	मूल	12,90.39			
			9,19.67	9,19.51	(-)0.16
	पुनर्वि०	(-)3,70.72			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,26.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
800-	अन्य व्यय-				
01-	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
	गैर योजना				
	मूल	20.00			
			2.35	2.35	..
	पुनर्वि०	(-)17.65			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.65 लाख की कमी अन्य प्रभागों पर कम व्यय के कारण हुई।					
योजना					
(i)	मूल	1,00.00			
			56.60	56.60	..
	पुनर्वि०	(-)43.40			
02-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-				
	योजना				
(ii)	मूल	60.00			
			45.50	45.50	..
	पुनर्वि०	(-)14.50			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।					
04-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	2,26,44.00			
			1,33,16.34	1,33,16.34	..
	पुनर्वि०	(-)93,27.66			
05-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(ii)	मूल	7,90.00		
			3,76.23	3,76.23
				..
	पुनर्वि०	(-)4,13.77		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 97,41.43 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी को कम जारी करने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 1,29,85.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
07-	राष्ट्रीय ऐम्बुलेंस सेवा-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
	मूल	15,32.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)15,32.00		
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15,32.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।				
(iv)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)
2059- लोक निर्माण कार्य-				
	<i>01- कार्यालय भवन-</i>			
	<i>053- रख-रखाव और मुरम्मत-</i>			
	<i>36- चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों का रख-रखाव-</i>			
	योजना			
	पूरक	0.01		
			1,00.00	1,00.00
				..
	पुनर्वि०	99.99		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
50-	आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-			
	गैर योजना			
(i)	मूल	0.01		
			1,00.01	1,00.01
				..
	पुनर्वि०	1,00.00		
52-	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का रख रखाव-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(क्रमशः)

गैर योजना					
(ii)	मूल	0.01			
			1,64.58	1,64.58	..
	पुनर्वि०	1,64.57			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,64.57 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ ।					
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-					
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-					
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ -					
01- दन्त क्लिनिक (शहरी)-					
गैर योजना					
	मूल	40,03.40			
			44,12.02	44,12.03	+0.01
	पुनर्वि०	4,08.62			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,08.62 लाख का आवर्धन नए चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति और दन्त चिकित्सा सामग्री की खरीद के कारण हुआ जोकि सरकारी अनुबंध में रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी के रूपान्तरण के कारण हुई बचत से अंशत प्रतिसन्तुलित हुआ ।					
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ-					
101- आयुर्वेद-					
02- आयुर्वेदिक औषधालय-					
योजना					
			..	1.57	+1.57
₹ 1.57 लाख की राशि का पिछले वर्ष की त्रुटियों का बुक समायोजन के माध्यम से सुधार किया गया था।					
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-					
101- आयुर्वेद -					
05- राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग एवं नैचुरोपैथी ,यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथी-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
	मूल	5,10.00			
	पूरक	0.01	6,25.37	6,25.37	..
	पुनर्वि०	1,15.36			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.36 लाख का आवर्धन, दवाईयों की अधिक खरीद, उपकरणों, आकस्मिक प्रभारों और अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुआ । जबकि भारत सरकार से ₹ 19,07.01 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।					
योजना					
	पुनर्वि०	69.49	69.49	69.49	..
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.49 लाख का आवर्धन, दवाईयों की अधिक खरीद उपकरणों, आकस्मिक प्रभारों एवं अधिक सहायता-अनुदान जारी करने के कारण					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के पैरा संख्या 12.5 का उल्लंघन था।

105- एलोपैथी (पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति)-

01- इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-
योजना

(i)	मूल	12,40.00			
			14,08.98	14,08.98	..
	पुनर्वि०	1,68.98			

04- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-
योजना

(ii)	मूल	1,32.00			
			2,21.23	2,21.23	..
	पुनर्वि०	89.23			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,58.21 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता होने के कारण हुआ।

12- डॉ० यंशवत सिंह परमार राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-
गैर योजना

	मूल	35,05.49			
			37,31.68	37,31.67	(-)0.01
	पुनर्वि०	2,26.19			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26.19 लाख का आवर्धन, किराये, आहार राशि, रसायनों, गलास वेयर, प्लास्टिकवेयर, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद तथा बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

13- डॉ० राधाकृष्णन राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-
गैर योजना

	मूल	76.54			
	पूरक	0.03	15,70.22	15,70.14	(-)0.08
	पुनर्वि०	14,93.65			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,93.65 लाख का आवर्धन वेतन, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकें, रसायनों, काँच के बने पदार्थ, प्लास्टिक के बर्तन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	14,95.85			
		29,90.85	29,90.72	(-)0.13
पुनवि0	14,95.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,95.00 लाख का आवर्धन, बाह्य स्रोतों, वेतन, लैप-2 शुरू करने, भवनों का किराया, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय तथा अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।				
15-	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नैर चौक-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना				
पूरक	0.01			
		6,18.00	6,18.00	..
पुनवि0	6,17.99			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,17.99 लाख का आवर्धन, देखभाल केन्द्र की स्थापना के लिए पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन के कारण हुई।				
गैर योजना				
मूल	21,34.79			
		42,45.72	42,44.02	(-)1.70
पुनवि0	21,10.93			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,10.93 लाख का आवर्धन, वेतन, फर्नीचर, दवाईयों, रसायन, आहार राशि और बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय और अधिक अनुदान-सहायता जारी होने के कारण हुआ।				
योजना				
पूरक	0.01			
		68.67	68.67	..
पुनवि0	68.66			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.66 लाख का आवर्धन योजना क अन्तर्गत देखभाल केन्द्र की स्थापना के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन के कारण हुआ।				
19-	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना				
(i)	पूरक	0.01		
		31.05	31.05	..
	पुनवि0	31.04		
योजना				
(ii)	पूरक	0.01		
		3.45	3.45	..
	पुनवि0	3.44		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.48 लाख का आवर्धन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को मजबूत करने के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ।

06-	लोक स्वास्थ्य-				
200-	अन्य प्रणालियाँ-				
07-	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष-				
	गैर योजना				
(i)	पूरक	0.01			
			10,00.00	10,00.00	..
	पुनर्वि	9,99.99			
2211-	परिवार कल्याण-				
200-	अन्य सेवाएं एवं आपूर्ति-				
01-	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वन आरोग्य योजना-				
	योजना				
(ii)	पूरक	0.01			
			80.00	80.00	..
	पुनर्वि	79.99			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,79.98 लाख का सारभूत आवर्धन नई योजना के अन्तर्गत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
800-	अन्य व्यय -				
04-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान -				
	गैर योजना				
	पूरक	0.01			
			4,00.00	4,00.00	..
	पुनर्वि	3,99.99			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.99 लाख का आवर्धन, 10+2 कक्षा तक की लड़कियों को स्वच्छता सम्बन्धी नेपकिन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
05-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-				
	योजना				
	मूल	1,65.00			
	पूरक	0.01	11,65.00	11,65.00	..
	पुनर्वि	9,99.99			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,99.99 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत बकाया दायित्व के निपटान के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ।				
07-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-				
	योजना				
	मूल	1,70.00			
			13,61.60	13,61.60	..
	पुनर्वि	11,91.60			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,91.60 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अस्सी प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ।

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रखरखाव और मुरम्मत-

05- चिकित्सा शिक्षा निदेशक के
आवासीय भवनों का रख-रखाव
गैर योजना

मूल 4.80

12.77

14.77

+2.00

पुनर्वि0 7.97

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.97 लाख का आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

योजना

मूल 20,53.00

पूरक 13,33.10

33,39.15

33,39.15

..

पुनर्वि0 (-) 46.95

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.95 लाख की कमी क्षेत्र से अनुमानों की प्राप्ति न होने और प्रशासनिक विभाग से व्यय की स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजना

मूल 34,47.00

पूरक 58.00

33,17.86

33,17.86

..

पुनर्वि0 (-) 1,87.14

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.14 लाख की कमी क्षेत्र से आंकलन की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-

105- एलौपैथी (पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9(समाप्त)

03- डॉ० राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-
गैर योजना

मूल 28.71

पुनर्वि० (-) 28.71

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 28.71 लाख का समस्त प्रावधान ई-निविदाओं को अन्तिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया।

05- नाहन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 33,17.00

पूरक 2,97.75

35,81.83

35,81.83

..

पुनर्वि० (-)32.92

07- चंबा चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 33,17.00

पूरक 18,30.75

45,63.75

45,63.75

..

पुनर्वि० (-) 5,84.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,16.92 लाख की कमी योजना के पूर्ण होने के कारण निधियों को वापस नहीं लिया जा सका।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	33,08,06,03			
		33,08,06,08	30,39,01,91	(-)2,69,04,17
पूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,93,64,84
प्रभारित				
मूल	..			
		20,56	5,93	(-)14,63
पूरक	20,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,16,28,02			
		14,35,88,02	14,85,58,26	+49,70,24
पूरक	2,19,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		10,51,26	10,73,69	+22,43
पूरक	10,51,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 49,70,24,067 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 22,43,128 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,69,04.17 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,93,64.84 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।
- (iv) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 14.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 20.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गयी।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 49,70.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 2,19,60.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (vi) पूंजीगत प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 22.43 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में ₹ 10,51.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-				
80- सामान्य-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
01- निदेशन-				
गैर-योजना				
(i) मूल	20,09.30			
		14,99.72	15,10.16	+10.44
पुनर्वि०	(-) 5,09.58			
03- डिजाईन-				
गैर-योजना				
(ii) मूल	5,62.92			
		3,53.58	3,50.42	(-)3.16
पुनर्वि०	(-)2,09.34			
04- वास्तुकला-				
गैर-योजना				
(iii) मूल	2,45.16			
		2,11.77	2,11.78	+0.01
पुनर्वि०	(-)33.39			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,52.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

053- रख-रखाव और मरम्मत -

03- निष्पादन-

गैर-योजना

मूल 1,31,58.90

1,00,13.96

99,40.76

(-)73.20

पुनर्वि० (-)31,44.94

₹ 73.20 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31,44.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 73.20 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

04- गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय-

गैर-योजना

मूल 28,91.11

28,08.34

27,42.88

(-)65.46

पुनर्वि० (-)82.77

₹ 65.46 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.77 लाख की कमी आधिकारिक भवनों के रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 65.46 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

05- कार्य भारित कर्मचारियों को स्थाई स्थापना में बदलना-

गैर-योजना

मूल 1,15,87.57

94,12.81

90,76.51

(-)3,36.30

पुनर्वि० (-)21,74.76

₹ 3,36.30 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,74.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,36.30 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतू रख-रखाव का प्रावधान-

गैर योजना

मूल 1,15,87.57

94,12.81

78,91.00

(-)15,21.81

पुनर्वि० (-)21,74.76

₹ 15,21.81 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,74.76 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

₹ 15,21.81 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

3054- सड़कें तथा पुल-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

01- राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मरम्मत-
गैर योजना

मूल	5,35.00	5,35.00	4,46.87	(-)88.13
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 88.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- रख-रखाव तथा मरम्मत-

03- सड़कों के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

मूल	62,98.97			
-----	----------	--	--	--

पुनर्वि० (-)62,98.97

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 62,98.97 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम में निधियों को परिवर्तित करने के कारण कम कर दिया गया।

05- लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-
गैर योजना

मूल	66.86			
		54.48	26.78	(-)27.70

पुनर्वि० (-)12.38

₹ 27.70 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.70 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-
गैर योजना

मूल	6,85,11.33			
		5,39,57.45	4,76,38.19	(-)63,19.26

पुनर्वि० (-)1,45,53.88

₹ 63,19.26 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45,53.88 लाख की कमी कार्य प्रभार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 63,19.26 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

07- स्थाई स्थापना में बदले गए कार्य प्रभारित

कामगार सड़क निर्माण कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल 6,85,11.33

5,39,57.45 5,38,15.58 (-)1,41.87

पुनर्वि० (-)1,45,53.88

₹ 1,41.87 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45,53.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई और अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,41.87 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

13- अन्य रखरखाव व्यय-मशीनरी और उपकरण-

गैर योजना

(i) मूल 3,45.97

2,92.55 2,58.52 (-)34.03

पुनर्वि० (-)53.42

14- पुल तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल 11,71.77

11,19.95 10,89.04 (-)30.91

पुनर्वि० (-)51.82

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 64.94 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.24 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 64.94 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

15- सड़क निर्माण तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल 35,33.43

35,33.43 34,28.49 (-)1,04.94

₹ 1,04.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

19- निष्पादन-

गैर योजना

मूल 1,58,03.39

99,02.47 1,21,49.33 +22,46.86

पुनर्वि० (-)59,00.92

₹ 22,46.86 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59,00.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 22,46.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

20- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	2,91,96.18			
		1,99,00.30	1,94,96.35	(-)4,03.95

पुनर्वि० (-)92,95.88

₹ 4,03.95 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92,95.88 लाख की कमी कार्य भारित पर कम व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,03.95 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

21- कार्य भारित से स्थाई स्थापना में बदले
गए कामगास- मशीनरी एवं उपकरण-
गैर योजना

(i) मूल	81,23.86			
		52,51.35	62,49.88	+9,98.53

पुनर्वि० (-)28,72.51

22- कार्य भारित से स्थाई स्थापना में बदले
गए कामगास- पुल-
गैर योजना

(ii) मूल	83,82.49			
		60,66.63	70,80.38	+10,13.75

पुनर्वि० (-)23,15.86

23- कार्य भारित से स्थाई स्थापना में बदले
गए कामगास- सड़क निर्माण कार्य-
गैर-योजना

(iii) मूल	1,26,89.83			
		85,82.32	1,01,63.76	+15,81.44

पुनर्वि० (-)41,07.51

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 35,93.72 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92,95.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 35,93.72 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

26- हिमाचल सड़क सुधार योजना-
गैर योजना

मूल	50,00.00			
	

पुनर्वि० (-)50,00.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत प्रवर्ग के कार्यों की योजना को स्थानांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशन और पर्यवेक्षण-

गैर योजना

मूल 54,87.90

42,34.86

41,46.47

(-)88.39

पुनर्वि० (-)12,53.04

₹ 88.39 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,53.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 88.39 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

05- वास्तुकार-

गैर योजना

मूल 5,81.65

4,12.20

4,12.19

(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,69.45

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,69.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

02- बाह्य स्त्रोतों द्वारा विभागीय प्रस्ताव प्रतिवेदनों का निर्माण-

गैर योजना

मूल 50.00

50.00

34.98

(-)15.02

₹ 15.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2059-लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

052- मशीनरी और उपकरण-

02- मरम्मत तथा भार ढुलाई इत्यादि-

गैर योजना

(i) मूल 44.34 44.34 61.55 +17.21

799- उच्चत-

01- स्कन्ध-

गैर योजना

(ii) मूल 90,00.00 90,00.00 3,83,26.87 +2,93,26.87

02- स्कन्ध निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

गैर योजना					
(iii)	मूल	40,00.00	40,00.00	56,83.17	+16,83.17
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
गैर योजना					
(iv)	मूल	50,00.00	50,00.00	1,83,98.04	+1,33,98.04

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4,44,25.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

2216- आवास-

05- साधारण पुल आवास-					
053- मरम्मत तथा रखरखाव-					
01- अन्य रखरखाव व्यय-					
गैर योजना					
	मूल	19,13.44			
			19,36.76	19,25.99	(-)10.77
	पुनर्वि०	23.32			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.32 लाख का आवर्धन फर्नीचर की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

3054- सड़क तथा पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-					
105- मरम्मत तथा रखरखाव-					
02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-					
गैर योजना					
	मूल	2,46,71.79			
			2,95,66.53	3,09,55.32	+13,88.79
	पुनर्वि०	48,94.74			

₹ 13,88.79 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 48,94.74 लाख का आवर्धन सड़कों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ, जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई और अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 13,88.79 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

योजना

	मूल	27,40.00	27,40.00	28.13.92	+73.92
--	-----	----------	----------	----------	--------

₹ 73.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

- 09- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क की धनराशि-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

गैर योजना

पूरक	0.05			
		4,86.39	4,73.20	(-)13.19

पुनर्वि० 4,86.34

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,86.34 लाख का सारभूत आवर्धन सड़कों के रख रखाव, वेतन के भुगतान, जल प्रभार, बिजली बिल, लेखन सामग्री तथा अन्य प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

17- सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-
गैर योजना

मूल	19,97.12	19,97.12	20,36.75	+39.63
-----	----------	----------	----------	--------

₹ 39.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

(ix)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

3054- सड़क तथा पुल-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

गैर योजना

पूरक	20.56	20.56	5.93	(-)14.63
------	-------	-------	------	----------

₹ 14.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(x)	दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ -			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण निर्माण कार्य-

गैर योजना

(i)	मूल	70,00.00	70,00.00	70,71.48	+71.48
-----	-----	----------	----------	----------	--------

वनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल	85,63.00			
		1,35,78.35	1,36,04.38	+26.03
पूरक	50,15.35			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 97.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

- 09- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक व्यय विधि-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-योजना

मूल	3,55,37.00			
पूरक	48,00.00	4,39,69.73	4,92,63.00	+52,93.27
पुनर्वि०	36,32.73			

₹ 52,93.27 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,32.73 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 52,93.27 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

- 10- ब्लैक स्पॉट्स का सुधार-गैर योजना

मूल	50,00.00	50,00.00	50,35.94	+35.94
-----	----------	----------	----------	--------

₹ 35.94 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

- (xi) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- सरकारी आवासीय भवन-

- 106- सामान्य पूल आवास-

- 01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-गैर योजना

मूल	30,52.00			
		30,30.77	30,35.20	+4.43
पुनर्वि०	(-)21.23			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.23 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निर्माण पर कम खर्च के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला और अन्य सड़कें-

101- पुल-

02- सड़क और पुल परामर्श शुल्क-
योजना

(i) मूल 1,50.00 1,50.00 1,19.71 (-)30.29

337- सड़क निर्माण कार्य-

11- मुख्यमंत्री सड़क योजना-
गैर योजना

(ii) मूल 50,00.00 50,00.00 49,21.74 (-)78.26

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,08.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

16- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त
प्रशासनिक और आकस्मिक प्रभार-
गैर योजना

पूरक 20,10.81

17,08.33 16,86.42 (-)21.91

पुनर्वि० (-)3,02.48

₹ 21.91 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.48 लाख की कमी विभिन्न सड़कों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.91 लाख के अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

19- राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के
अन्तर्गत सड़क निर्माण-
योजना

मूल 2,66,32.00

2,65,66.00 2,63,66.14 (-)1,99.86

पुनर्वि० (-)66.00

₹ 1,99.86 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,99.86 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

20- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

योजना

मूल	47,05.00			
		97,05.00	96,74.29	(-)30.71

पूरक	50,00.00			
------	----------	--	--	--

₹ 30.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

21- विश्व बैंक राज्य सड़कें-

मूल	37,40.00			
		5,00.00	5,00.00	..

पुनर्वि०	(-)32,40.00			
----------	-------------	--	--	--

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32,40.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

23- हिमाचल सड़क सुधार योजना-

गैर योजना

मूल	50,00.00			
		50,00.00	49,06.91	(-)93.09

₹ 93.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षण कार्यक्रम-

योजना

मूल	1.80			
	

पुनर्वि०	(-)1.80			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा 1.80 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

(xii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-------------------------------	-----------------------

5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला और अन्य सड़कें -

337- सड़क निर्माण-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

गैर योजना

पूरक	3,02.89			
		3,02.89	3,25.33	+22.44

₹ 22.44 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

(xiii) उच्चंत लेन देन-

अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 6,24,08.08 लाख (₹ 6,24,08.08 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में शून्य व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबन्ध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड हैं:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ में डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iii) कार्यशाला उच्चंत-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध -	(-)2,08,55.99	3,83,26.87	4,17,01.71	(-)2,42,30.83*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	+17,24.83	56,83.17	46,29.72	+27,78.28
03- विविध लोक				
निर्माण कार्य	+4,18,13.03	1,83,98.04	2,49,44.63	+3,52,66.44
अग्रिम-				
04- कार्यशाला				
उच्चत-	+0.07	0.00	0.00	+0.07
कुल 2059	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
कुल राजस्व प्रवर्ग	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर				
 पूंजीगत परिव्यय-				
03- राज्य उच्च मार्ग				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण				
कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला				
उच्चत-	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
कुल 5054	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल माँग का जोड़-	+2,24,27.54	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,35,59.56

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,82,27,38			
		4,82,27,40	4,09,60,58	(-)72,66,82
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				72,64,16
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	73,83,97			
		73,83,97	71,01,45	(-)2,82,52
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,84,06

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,82.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में प्राप्त ₹ 2,84.06 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल- कृषि-कर्म-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशालय-				
गैर योजना				
(i) मूल	12,04.09			
		9,92.12	9,92.11	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2,11.97			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी-
गैर योजना

(i) मूल	23,50.41			
		17,65.17	17,65.16	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5,85.24			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,97.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

103- बीज -
01- बीजों का वितरण-
गैर योजना

मूल	14,39.24			
		10,83.02	10,82.62	(-)0.40
पुनर्वि०	(-)3,56.22			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,56.22 लाख की कमी खाली पदों को न भरने और दैनिक मजदूरों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	2,70.00			
		2,46.98	2,46.97	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)23.02			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.02 लाख की कमी मरम्मत पर कम व्यय, सामग्री की खरीद, अनुदान के लिए कम मांग की प्राप्ति, मशीनों की खरीद तथा उपकरण व रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुआ।

104- कृषि फार्म-
03- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-
गैर योजना

मूल	5,00.00			
		4,55.00	4,55.00	..
पुनर्वि०	(-)45.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की कमी किसानों से उच्च तकनीकी सौर बाढ़ के लिए कम आवेदन पत्र प्राप्ति के कारण हुई।

105- खाद तथा उर्वरक-
02- उर्वरकों का वितरण-
गैर योजना

मूल	14.47			
		11.12	11.12	..
पुनर्वि०	(-)3.35			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.35 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजना					
मूल	2,45.00				
		1,26.33	1,26.33		..
पुनर्वि०	(-)1,18.67				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.67 लाख की कमी उपदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
03-	वनस्पती खाद्य इकाइयों की स्थापना- योजना				
मूल	3,00.00				
	
पुनर्वि०	(-)3,00.00				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,00.00 लाख के समस्त प्रावधान में कमी कम्पनी द्वारा पंजीकरण को मंजूरी न मिलने और मांग न मिलने के कारण कम कर दिया गया।					
04-	भू- विज्ञान तथा रसायन - गैर योजना				
(i)	मूल	5,14.74			
			3,85.32	3,85.31	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,29.42				
07-	गुण नियन्त्रक प्राप्ति का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)- गैर योजना				
(ii)	मूल	76.03			
			49.35	49.35	..
पुनर्वि०	(-)26.68				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,56.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
12-	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान- गैर योजना				
	मूल	10,00.00			
	पूरक	0.01	8,31.11	8,30.99	(-)0.12
पुनर्वि०	(-)1,68.90				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68.90 लाख की कमी योजना के कम प्रचार और कार्यान्वयन के लिए कम खर्च के कारण हुई।					
107-	पौध- संरक्षण-				
02-	पौध- संरक्षण योजना- योजना				
	मूल	18.00			
			12.85	12.84	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5.15				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 5.15 लाख की कमी शिविरों के कम आयोजन और सामग्री पर कम व्यय के कारण हुआ ।

109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
25-	सामान्य कृषि विस्तार-				
	गैर योजना				
	मूल	26,58.09			
			21,13.13	21,13.12	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)5,44.96			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,44.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि कृषि मंत्री के लिए नए वाहन को खरीदने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

योजना

	मूल	1,84.00			
			1,36.95	1,36.95	..
	पुनर्वि०	(-)47.05			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.05 लाख की कमी बाह्य स्रोतों से कर्मचारियों की कम नियुक्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी विभाग (समय पर रिपोर्टिंग योजना)-				
	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	80.00			
			47.71	47.71	..
	पुनर्वि०	(-)32.29			
	गैर योजना				
(ii)	मूल	1,00.28			
			59.80	59.80	..
	पुनर्वि०	(-)40.48			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

113-	कृषि इंजीनियरिंग-				
01-	कृषि उपकरण तथा संयंत्र-				
	गैर योजना				
	मूल	89.74			
			70.09	70.09	..
	पुनर्वि०	(-)19.65			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- राज्य कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम-
गैर योजना

मूल 20,00.00

19,44.78

19,44.78

..

पुनर्वि० (-)55.22

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.22 लाख की कमी किसानों के उपदान के लिए आवेदित मशीनरी को खरीदने में असफल रहने के कारण हुई।

115- लघु/ उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-

01- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-
योजना

मूल 40.00

6.10

6.10

..

पुनर्वि० (-)33.90

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.90 लाख की कमी क्षतिपूर्ति/अपातकालीन दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

13- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 10,66.00

4,82.73

4,82.73

..

पुनर्वि० (-)5,83.27

योजना

(ii) मूल 1,18.00

52.97

52.97

..

पुनर्वि० (-)65.03

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,48.30 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की संख्या की कम मंजूरी और भारत सरकार से धन की कम प्राप्ति के कारण हुई। जिसके कारण राज्य सरकार का हिस्सा अप्रयुक्त रहा जबकि भारत सरकार से ₹ 18,24.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (i) में प्राप्त हुआ।

14- फसल विविधीकरण योजना जापान
अंतराष्ट्रीय सरकारी अभिकरण एजेंसी-
योजना

मूल 13,46.00

7,89.20

7,89.20

..

पुनर्वि० (-)5,56.80

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,56.80 लाख की कमी वित्त संस्थान द्वारा परामर्शदाताओं को सीधे शुल्क का भुगतान करने तथा ब्याज का भुगतान न करने और भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्धता शुल्क के निर्माण के कारण हुआ।

15- स्थाई कृषि राष्ट्रीय मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	13,03.00			
		8,41.26	8,41.26	..
पुनर्वि०	(-)4,61.74			
योजना				
(ii) मूल	1,45.00			
		92.50	92.50	..
पुनर्वि०	(-)52.50			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,14.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जिस कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

16- खाद्य सुरक्षा मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	9,77.00			
		8,14.88	8,14.88	..
पुनर्वि०	(-)1,62.12			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.12 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

17- उठाऊ सिंचाई योजना एवं बोरबेल हेतु उपदान-
योजना

मूल	7,18.00			
		6,97.12	6,97.12	..
पुनर्वि०	(-)20.88			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.88 लाख की कमी उपदान के लिए आवेदन की कम प्राप्ति के कारण हुई।

18- मुख्यमंत्री ग्रीन हाऊस रेनोवेशन योजना-
गैर योजना

मूल	3,00.00			
		32.56	32.56	..
पुनर्वि०	(-)2,67.44			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.44 लाख की कमी दूर दराज के क्षेत्र में स्थित कृषक समुदायों की धीमी प्रतिक्रिया के कारण निधियां अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

- 19- मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना-
गैर योजना
मूल 50.00
पुनर्वि० (-)50.00
मार्च 2019 में ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।
- 20- फसल विविधिकरण योजना-
जापान अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अभिकरण
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II
योजना
मूल 1,50.00
42.00 40.00 (-)2.00
पुनर्वि० (-)1,08.00
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.00 लाख की कमी विभागीय प्रस्ताव रिपोर्ट (डी० पी० आर० एस०) की तैयारी पर कम खर्च के कारण हुई।
- 21- जल से कृषि को बल योजना-
गैर योजना
मूल 40,00.00
20,43.49 20,43.49 ..
पुनर्वि० (-)19,56.51
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,56.51 लाख की कमी योजना के कार्यान्वयन के लिए सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को धन हस्तांतरित करने और किसानों से आवेदनों के कम प्राप्ति के कारण हुई।
- 22- प्रवाह सिंचाई योजना-
गैर योजना
मूल 25,00.00
22,26.93 22,26.93 ..
पुनर्वि० (-)2,73.07
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,73.07 लाख की कमी किसानों की कम से कम प्रतिक्रिया के कारण हुआ।
- 23- सौर सिंचाई योजना-
गैर योजना
मूल 30,00.00
17,80.06 17,80.00 (-)0.06
पुनर्वि० (-)12,19.94
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,19.94 लाख की कमी किसानों की कम से कम प्रतिक्रिया, खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण निधियां अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2402- भू तथा जल संरक्षण-

101- मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण-

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण- कृषि विभाग-
गैर योजना

मूल 2,50.47

1,85.05

1,85.05

..

पुनर्वि० (-)65.42

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- निजी क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
स्थापित करने के लिए निवेश उपदान-
गैर योजना

मूल 20.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2019 में ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के लिए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

102- भूमि संरक्षण -

01- कृषि भूमि भू- संरक्षण-
गैर योजना

मूल 21,55.99

16,74.93

16,74.92

(-)0.01

पुनर्वि० (-)4,81.06

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,81.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

03- भू-संरक्षण अनुसंधान निरूपन केन्द्र की स्थापना (कृषि विभाग)-
गैर योजना

मूल 54.78

43.47

43.47

..

पुनर्वि० (-)11.31

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण
(कृषि विभाग)-
गैर योजना

मूल 1,69.47

1,35.14

1,35.14

..

पुनर्वि० (-)34.33

उपरोक्त दो मामलो में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

10-	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमान्त किसानों को सहायता (भूमि विकास योजना कार्य तथा सिंचाई)- योजना				
	मूल	3,49.00			
			3,23.91	3,23.91	..
	पुनर्वि०	(-)25.09			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.09 लाख की कमी लाभार्थियों से उपदान के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
25-	भू- तथा जल संरक्षण सामुदायिक आधार पर वर्तमान स्कीमों पर रखरखाव (शिवालिक हिल्स)- गैर योजना				
	मूल	5.62			
		
	पुनर्वि०	(-)5.62			
26-	भू- तथा जल संरक्षण सामुदायिक आधार पर वर्तमान स्कीमों में दूसरे क्षेत्रों का रखाव- गैर योजना				
	मूल	5.62			
		
	पुनर्वि०	(-)5.62			
27-	भू- तथा जल संरक्षण के रख-रखाव व मरम्मतों के लिए- गैर योजना				
	मूल	1.35			
		
	पुनर्वि०	(-)1.35			
	उपरोक्त तीनों मामलों में मार्च 2019 में ₹ 12.59 लाख के समस्त प्रावधान को समान योजनाओं की उपलब्धता के कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान निधि को आपदा राहत कोष योजना की आवश्यकता को पूरा करने कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
800-	अन्य व्यय-				
03-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	7,11.00			
			2,62.76	2,62.76	..
	पुनर्वि०	(-)4,48.24			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,48.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 18,24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजना				
मूल	79.00			
		29.76	29.77	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)49.24			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जिसके फलस्वरूप राज्य की हिस्सेदारी केन्द्र की हिस्सेदारी से अनुपातिक रूप से अप्रयुक्त रही।				
04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
योजना				
मूल	13,03.00			
		7,73.78	7,73.78	
पुनर्वि०	(-)5,29.22			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,29.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 16,08.66 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजना				
मूल	1,45.00			
		82.25	82.25	..
पुनर्वि०	(-)62.75			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा प्रयुक्त रहा।				
2403- पशुपालन-				
107- चारा और चारागाह विकास-				
05- उत्तम चारा उत्पादन योजना-				
योजना				
मूल	8,00.00			
		7,78.25	7,78.25	..
पुनर्वि०	(-)21.75			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.75 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से कम माँग की प्राप्ति के कारण हुआ।				
2407- वृक्षारोपण-				
01- चाय-				
800- अन्य व्यय-				
01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-				
गैर योजना-				
मूल	1,30.47			
		95.88	95.88	..
पुनर्वि०	(-)34.59			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2810- नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा-

01- जैव ऊर्जा-

103- बायोमास-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-
गैर योजना-

मूल	5,44.35			
		4,48.60	4,48.60	..
पुनर्वि०	(-)95.75			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुआ।

मुख्य शीर्ष 2810- नई और नवीकरण ऊर्जा के अन्तर्गत उप-मुख्य शीर्ष 01- बायो एनर्जी- मुख्य एवं लघु शीर्ष की लेखाओं की सूची में नहीं दर्शाया गया है जोकि पिछले वर्ष भी गलत तरीके से संचालित की गई थी।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2401- फसल- कृषि-कर्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-
योजना

मूल	90.00			
		2,35.19	2,35.19	..
पुनर्वि०	1,45.19			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.19 लाख का आवर्धन सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की अधिक मांग के कारण हुआ।

104- कृषि फार्म-

03- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-
योजना

मूल	19,74.00			
		20,00.51	20,00.51	..
पुनर्वि०	26.51			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.51 लाख का आवर्धन, क्षेत्र संरक्षण उपकरण की अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

109- विस्तार और प्राद्यौगिक पर राष्ट्रीय मिशन-

27- कृषि विस्तार पर उप-मिशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(i)	मूल	17,77.00		
	पूरक	0.01	22,28.69	22,28.69 ..
	पुनर्वि०	4,51.68		
योजना				
(ii)	मूल	1,97.00		
			2,65.90	2,65.90 ..
	पुनर्वि०	68.90		

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,20.58 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा-

01- फसल- कृषि-कर्म-

004- अनुसंधान-

02- अनुसंधान हि० प्र० कृषि विश्व विद्यालय को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान-

योजना

मूल	39,09.00			
		64,09.00	64,09.00	..
पुनर्वि०	25,00.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,00.00 लाख का आवर्धन निधियों की योजना सीमा में वृद्धि का कारण पेंशन और वेतन की देनदारियों को बाधित करने के लिए अधिक निधियां प्रदान करना था।

पूजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4401- फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय-			
103- बीज-			
01- अभिवृद्धि बीजों का क्रय- गैर योजना			
मूल	39,97.58		
		38,87.17	38,88.09 +0.92
पुनर्वि०	(-)1,10.41		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.41 लाख की कमी बीज सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102- मृदा संरक्षण -

02- लघु किसान विकास एजेंसी
(ग्रामीण एकीकृत विकास निधि)-
योजना

(i) मूल	16,60.00			
		15,35.70	15,36.33	+0.63
पुनर्वि०	(-)1,24.30			

03- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-
योजना

(ii) मूल	10,85.00			
		10,41.16	10,41.16	..
पुनर्वि०	(-)43.84			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68.14 लाख की कमी पोलीहाउस की स्थापना के लिए किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,44,95,88			
		3,61,85,38	3,42,76,34	(-)19,09,04
पूरक	16,89,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,17,97
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,93,13			
		17,63,13	27,63,10	(+)9,99,97
पूरक	70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,99,96,475 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 19,09.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 16,89.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और ₹ 19,17.97 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,99.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 70.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

- 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-
- 01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	11,67.83			
		9,27.68	9,27.68	..
पुनर्वि०	(-)2,40.15			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बिजली, पानी और दूरभाष बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
02- जिला तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-				
गैर योजना				
मूल	28,16.56			
		23,15.95	23,15.95	..
पुनर्वि०	(-)5,00.61			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
05- उद्यान विकास-				
गैर योजना				
मूल	16,39.64			
		15,19.18	15,19.18	..
पुनर्वि०	(-)1,20.46			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
योजना				
मूल	78.00			
		62.98	62.98	..
पुनर्वि०	(-)15.02			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.02 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद और विज्ञापन पर कम व्यय के कारण हुई।				
06- वनस्पति पोषण कार्यक्रम-				
गैर योजना				
मूल	1,26.97			
		95.72	95.72	..
पुनर्वि०	(-)31.25			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि मधुमक्खी केन्द्र व पौधशाला आदि के मौसमी कार्य के कारण निधियों की अधिकता के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

योजना					
मूल	14.00				
		9.31	9.31	..	
पुनर्वि०	(-)4.69				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.69 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
09- मधुमक्षिक पालन योजना- गैर योजना					
मूल	3,18.12				
		2,21.16	2,21.16	..	
पुनर्वि०	(-)96.96				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
योजना					
मूल	9.00				
		6.19	6.19	..	
पुनर्वि०	(-)2.81				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.81 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई ।					
10- पुष्प कृषि विकास- गैर योजना					
मूल	1,35.43				
		1,07.43	1,07.43	..	
पुनर्वि०	(-)28.00				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
11- राजकीय उधानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव- गैर-योजना					
मूल	8,86.64				
		6,31.31	6,31.31	..	
पुनर्वि०	(-)2,55.33				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,55.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

योजना				
मूल	28.50			
		20.16	20.16	..
पुनर्वि०	(-)8.34			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.34 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
15-	खुम्ब खेती परियोजना - गैर योजना			
मूल	2,84.17			
		2,11.46	2,11.46	..
पुनर्वि०	(-) 72.71			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और बागों/पौधशालाओं के मौसमी कार्य पर कम व्यय के कारण हुई।				
योजना				
मूल	37.50			
		12.54	12.54	..
पुनर्वि०	(-)24.96			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
18-	कृषक प्रशिक्षण- योजना			
मूल	30.00			
		22.56	22.56	..
पुनर्वि०	(-)7.44			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.44 लाख की कमी किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के कम आयोजन के कारण हुई।				
19-	प्रशिक्षण और विस्तार- गैर योजना			
मूल	27,53.13			
		19,38.80	19,47.74	+8.94
पुनर्वि०	(-)8,14.33			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,14.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

योजना				
मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			
मार्च 2019 में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान, सामग्री की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन कर दिया गया।				
26-	फल प्रसंस्करण योजना- गैर योजना			
मूल	6,72.06			
		5,46.67	5,46.67	..
पुनर्वि०	(-)1,25.39			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
योजना				
मूल	42.47			
		30.54	30.54	..
पुनर्वि०	(-)11.93			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.93 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
50-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	4,74.00			
		2,29.10	2,29.10	..
पुनर्वि०	(-)2,44.90			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 18,24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजना				
मूल	53.00			
		25.14	25.14	..
पुनर्वि०	(-)27.86			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.86 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

- 51- सेब तथा आम की फसल के लिए
मौसम आधारित बीमा-
योजना

मूल 14,48.00

11,52.67

11,52.67

..

पुनर्वि० (-)2,95.33

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,95.33 लाख की कमी लाभार्थियों से बीमा दावों के लिए मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 7,24.00

4,14.00

4,14.00

..

पुनर्वि० (-)3,10.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,10.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 17,14.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 70- प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान-
गैर योजना

मूल 5,00.00

1,00.00

1,00.00

..

पुनर्वि० (-)4,00.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की सारभूत कमी योजना को कार्यान्वित न करने के कारण हुई।

- 71- बागवानी सुरक्षा योजना-
गैर योजना

मूल 10,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10,00.00

मार्च 2019 में ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के द्वारा योजना को कार्यान्वित न करने के कारण कम कर दिया गया।

- (v) उपरोक्त बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)

(₹ लाख में)

- 2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

04-	पौध संरक्षण योजना- गैर योजना				
	मूल	0.01			
			99.98	99.98	..
	पुनर्वि०	99.97			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.97 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
56-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	26,05.00			
			27,00.00	27,00.00	..
	पुनर्वि०	95.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
62-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- योजना				
	मूल	88.00			
			2,25.76	2,25.76	..
	पुनर्वि०	1,37.76			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.76 लाख का आवर्धन बीस प्रतिशत अतिरिक्त उपदान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ ।				
74-	एंटी हेल नेट पर उपदान - गैर योजना				
	मूल	10,00.00			
	पूरक		23,99.84	23,99.84	..
	पुनर्वि०	13,99.84			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,99.84 लाख का सारभूत आवर्धन लाभार्थियों से उपदान के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा-				
	01- फसल कृषि कर्म-				
	004- अनुसंधान-				
	03- डॉ० यशवन्त सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय की सहायता के लिए अनुदान- योजना				
	मूल	50,67.00			
	पूरक	16,89.50	77,67.00	77,67.00	..
	पुनर्वि०	10,10.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,10.50 लाख का आवर्धन, योजना की सीमा में वृद्धि और पेंशन और वेतन के लिए अधिक निधियों के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6401- फसल के लिए ऋण-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण-			
02- हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम को ऋण-			
गैर योजना			
मूल	0.01		
		0.04	10,00.00
पुनर्वि०	0.03		+9,99.96

₹ 9,99.96 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,30,55,93			
		25,30,55,93	26,36,88,77	+1,06,32,84
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत

मूल	5,79,74,27			
		7,77,82,82	6,26,04,20,	(-)1,51,78,62
पूरक	2,18,08,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
1,51,77,68				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,06,32,83,708 लाख के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,51,78.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 2,18,08.55 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 1,51,77.68 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अत्याधिक एवं अप्रर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
14-	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	3,63.15			
			8,54.27	8,54.27	..
	पुनर्वि०	4,91.12			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,91.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 48,68,98.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत (स्कन्ध) पर व्यय-				
(i)	योजना				
	मूल	51,75.00			
			2,80,08.75	2,80,08.75	..
	पुनर्वि०	2,28,33.75			
02-	स्कन्ध निर्माता-				
	योजना				
(ii)	मूल	4,60.00			
			4,80.42	4,80.42	..
	पुनर्वि०	20.42			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,28,54.17 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	योजना				
	मूल	47,15.00			
			2,49,36.96	3,55,78.59	+1,06,41.63
	पुनर्वि०	2,02,21.96			
	₹ 1,06,41.63 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02,21.96 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,06,41.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे। (जुलाई 2019)				
2701-	मध्यम सिंचाई -				
15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
101-	खरखाव और मरम्मत-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01- अन्य रखरखाव व्यय- गैर योजना				
मूल	3,22.43			
		4,35.31	4,35.32	+0.01
पुनर्वि०	1,12.88			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.88 लाख का आवर्धन मध्यम सिंचाई योजनाओं के रखरखाव के कार्यों पर अधिक निष्पादन के कारण हुआ।				
2702- लघु सिंचाई -				
01- सतही जल-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध- योजना				
(i) मूल	15,00.00			
		24,97.41	24,97.41	..
पुनर्वि०	9,97.41			
2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध- योजना				
(ii) मूल	3,45.00			
		36,08.18	36,08.18	..
पुनर्वि०	32,63.18			
02- स्कन्ध निर्माण- योजना				
(iii) मूल	80.50			
		1,04.83	1,04.83	..
पुनर्वि०	24.33			
03- विविध लोक निर्माण अग्रिम- योजना				
(iv) मूल	69.00			
		2,98.03	2,98.03	..
पुनर्वि०	2,29.03			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45,13.95 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशन-			
गैर योजना			
मूल	36,01.25		
	25,96.16	25,96.16	..
पुनर्वि०	(-)10,05.09		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,05.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।			
02- निष्पादन-			
गैर योजना			
मूल	1,31,56.51		
	95,44.66	95,43.86	(-)0.80
पुनर्वि०	(-)36,11.85		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,11.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा पर व्यय के कारण हुआ।			
005- सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-			
01- सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण खण्ड-			
गैर योजना			
मूल	2,49.06		
	2,12.03	2,12.03	..
पुनर्वि०	(-)37.03		
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।			
101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-			
02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति का रख-रखाव व मरम्मत-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	2,80,35.58			
		2,03,10.28	2,,03,00.12	(-)10.16
पुनर्वि०	(-)77,25.30			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77,25.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और शिमला जल प्रबंधन निगम के ऊर्जा प्रभागों के दायित्व को पूरा करने के लिए शहरी विभाग की निधियों को स्थानांतरण करने के कारण हुई।				
04- वसूलियों का समायोजन करने हेतु रख-रखाव में प्रावधान-				
गैर योजना				
मूल	1,03,35.58			
		73,73.43	73,73.43	..
पुनर्वि०	(-)29,62.15			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,62.15 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन के कारण हुई।				
05- दैनिक वेतन भोगियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
गैर योजना				
मूल	23,99.35			
		23,47.57	23,47.95	+0.38
पुनर्वि०	(-)51.78			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.78 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति व जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।				
102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
03- ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना की मरम्मत-				
गैर योजना				
मूल	6,41,60.32			
		5,62,92.60	5,62,89.58	(-)3.02
पुनर्वि०	(-)78,67.72			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78,67.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों तथा मानदेय के भुगतान की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
12- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-				
गैर योजना				
मूल	3,97,21.36			
		3,02,43.44	3,02,43.44	..
पुनर्वि०	(-)94,77.92			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94,77.92 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन के कारण हुई।

13- दैनिक वेतन भोगियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-
गैर योजना

मूल	43,06.00				
		41,20.46	41,25.05		+4.59
पुनर्वि०	(-)1,85.54				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.54 लाख की कमी दैनिक वेतन भागियों की कम नियुक्ति व जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत के लिए कम आवश्यकता के कारण हुई।

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	9,78.66				
		7,32.36	7,32.36		..
पुनर्वि०	(-)2,46.30				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,46.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

योजना

(i) मूल	2,53.00				
		0.06	0.06		..
पुनर्वि०	(-)2,52.94				

02- स्कन्ध निर्माण-

योजना

(ii) मूल	1,84.00				
		16.99	16.98		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,67.01				

03- लोक निर्माण विविध अग्रिम-

योजना

(iii) मूल	1,32.25				
	
पुनर्वि०	(-)1,32.25				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,52.20 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

2701- मध्यम सिंचाई-

11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 35.33

3.67

3.67

..

पुनर्वि० (-)31.66

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

799- उच्चत-

01- स्कन्ध-

योजना

(i) मूल 3.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.00

02- स्कन्ध निर्माण-

योजना

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

03- लोक निर्माण विविध अग्रिम-

योजना

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	89.71			
		27.49	27.49	..
पुनर्वि०	(-)62.22			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और यात्रा के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
799-	उच्चंत-			
01-	स्कन्ध-			
	योजना			
(i)	मूल	3.00		
		
	पुनर्वि०	(-)3.00		
02-	स्कन्ध निर्माण-			
	योजना			
(ii)	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम-			
	योजना			
(iii)	मूल	2.00		
		
	पुनर्वि०	(-)2.00		
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।				
13-	भाभौर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
001-	निदेशन और प्रशासन-			
01-	स्थापना पर व्यय-			
	गैर योजना			
	मूल	16.16		
			11.83	11.82
	पुनर्वि०	(-)4.33		(-)0.01
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
15-	चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
001-	निदेशन और प्रशासन-			
01-	स्थापना पर व्यय-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	60.40				
		34.10	35.58		+1.48
पुनर्वि०	(-)26.30				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				
	योजना				
(i)	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			
02-	स्कन्ध निर्माण-				
	योजना				
(ii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम-				
	योजना				
(iii)	मूल	1.50			
		
	पुनर्वि०	(-)1.50			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.50 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।					
16-	बहाव सिंचाई परियोजना सिधाटा (गैर वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	3,22.30			
			2,12.16	2,12.16	..
	पुनर्वि०	(-)1,10.14			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.14 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	85.00			
	पुनर्वि०	(-)85.00
02-	स्कन्ध निर्माण- योजना				
(ii)	मूल	15.00			
	पुनर्वि०	(-)15.00
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम- योजना				
(iii)	मूल	35.00			
	पुनर्वि०	(-)35.00
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,35.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।					
20-	फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध- योजना				
(i)	मूल	2,00.00			
	पुनर्वि०	(-)24.86	1,75.14	1,75.14	..
02-	स्कन्ध निर्माण- योजना				
(ii)	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-)31.06	18.94	18.94	..
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम- योजना				
(iii)	मूल	32.00			
	पुनर्वि०	(-)31.99	0.01	..	(-)0.01
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.91 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद होने के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

21-	हल्ली सुनराग बटांटा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्कन्ध निर्माण-योजना				
(i)	मूल	10.00			
	पुनर्वि०	(-)10.00
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम-योजना				
(ii)	मूल	4.50			
	पुनर्वि०	(-)4.50

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.50 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

799- उच्चंत-

02- स्कन्ध निर्माण-योजना

(i)	मूल	4,00.00			
	पुनर्वि०	(-)2,69.56	1,30.44	1,30.44	..
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम-योजना				
(ii)	मूल	3,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,46.45	1,53.55	1,53.55	..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,16.01 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	1,06,83.06			
		86,72.91	86,72.59	(-)0.32
पुनर्वि०	(-)20,10.15			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,10.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बिजली, पानी, दूरभाष, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
02- कार्य प्रभार कर्मचारी नियमित स्थापना में परिवर्तित-				
गैर योजना				
मूल	2,49,25.38			
		1,93,32.70	1,93,30.21	(-)2.49
पुनर्वि०	(-)55,92.68			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55,92.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव में प्रावधान-				
गैर योजना				
मूल	2,49,25.38			
		1,93,89.07	1,93,89.07	..
पुनर्वि०	(-)55,36.31			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55,36.31 लाख की कमी वसूली के समायोजन के कारण हुई।				
07- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
गैर योजना				
मूल	15,88.96			
		13,28.96	13,28.96	..
पुनर्वि०	(-)2,60.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,60.00 लाख की कमी रख-रखाव के कार्यों के कम निष्पादन और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
01- निदेशन-				
गैर योजना				
मूल	4,47.27			
		3,24.15	3,24.14	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,23.12			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और दर, किराया तथा कर के बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- जलापूर्ति-			
102- ग्रामीण जलापूर्ति-			
16- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - योजना			
मूल	83,51.43		
पूरक	2,74.81	86,01.24	86,00.76
पुनर्वि०	(-)25.00		(-)0.48
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।			
23- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	44,16.85		
		40,14.71	40,15.28
पुनर्वि०	(-)4,02.14		+0.57
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
24- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत (राष्ट्रीय विकास बैंक)-योजना			
मूल	6,58.00		
		28.32	28.32
पुनर्वि०	(-)6,29.68		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,29.68 लाख की कमी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं की कम स्वीकृति मिलने के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

25- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं
के अन्तर्गत मल निकासी परियोजनाएं-
योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति न मिलने के कारण कम कर दिया गया।

4701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

20- फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

02- अन्य व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 23,03.95

33.00

33.21

+0.21

पुनर्वि० (-)22,70.95

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 22,70.95 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना
(गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 23,03.00

..

पुनर्वि० (-)23,03.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,03.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 3,50.00

पूरक 42,00.00

42,00.00

42,00.00

..

पुनर्वि० (-)3,50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

23- कौन्सिल झरेरा मण्डप परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
800- अन्य व्यय-			
01- कौन्सिल झरेरा मण्डप परियोजना पर व्यय-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना			
(i)	मूल	65.81	
		
	पुनर्वि०	(-)65.81	
योजना			
(ii)	मूल	10.00	
		
	पुनर्वि०	(-)10.00	
24- पारछू खड्ड परियोजना पर वर्षा			
जल संग्रहण संरचना का निर्माण (गैर वाणिज्यिक)-			
800- अन्य व्यय-			
01- पारछू खड्ड के किनारों पर वर्षा			
जल संग्रहण संरचना का निर्माण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना			
(iii)	मूल	65.81	
		
	पुनर्वि०	(-)65.81	
योजना			
(iv)	मूल	10.00	
		
	पुनर्वि०	(-)10.00	
25- सुक्काहार मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
800- अन्य व्यय-			
01- जिला कांगड़ा में सुक्काहार			
मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना			
(v)	मूल	65.81	
		
	पुनर्वि०	(-)65.81	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजना				
(vi)	मूल	10.00		
		
	पुनर्वि०	(-)10.00		..
26-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी (गैर वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	जिला कुल्लू में प्रीणी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(vii)	मूल	65.81		
		
	पुनर्वि०	(-)65.81		..
योजना				
(viii)	मूल	10.00		
		
	पुनर्वि०	(-)10.00		..
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी, (गैर वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना, ज्वालामुखी जिला कांगड़ा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(ix)	मूल	65.81		
		
	पुनर्वि०	(-)65.81		..
योजना				
(x)	मूल	10.00		
		
	पुनर्वि०	(-)10.00		..

उपरोक्त दस मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 379.05 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएँ-

योजना

मूल	39,65.00			
पूरक	1,00.00	39,65.00	39,65.78	+0.78
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी कार्य का कम निष्पादन होने के कारण हुई।

06- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना

(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के

अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल उठाऊ सिंचाई-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	34,49.00			
		34,38.96	34,38.66	(-)0.30
पुनर्वि०	(-)5,10.04			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,10.04 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	5,26.00			
		3,82.09	3,82.06	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)1,43.91			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.91 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जिसके फलस्वरूप राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

07- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न

जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	26,32.00			
		13,44.29	13,44.71	+0.42
पुनर्वि०	(-)12,87.71			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,87.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 2,31,95.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	3,62.00			
		1,49.37	1,48.59	(-)0.78
पुनर्वि०	(-)2,12.63			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,12.63 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जिसके फलस्वरूप राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत
कमान क्षेत्र का विकास-

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत
कमान क्षेत्र का विकास-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल 52,65.00

..

पुनर्वि० (-)52,65.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 52,65.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 37,26.00

32,00.00

32,01.73

+1.73

पुनर्वि० (-)5,26.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,26.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण हुई जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मंडी और हमीरपुर में
बर्षबाड़ से जाहू तक सीर खड्ड का तटीयकरण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) मूल 1,78.00

..

पुनर्वि० (-)1,78.00

योजना

(ii) मूल 22.40

..

पुनर्वि० (-)22.40

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

12-	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण में पंजाब सीमा की तरफ स्वाँ खण्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2,96.00			
	पुनर्वि०	(-)2,96.00
14-	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊना में लुनखरी खण्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	मूल	36.00			
	पुनर्वि०	(-)36.00
(v)	योजना				
	मूल	4.00			
	पुनर्वि०	(-)4.00
16-	जिला कुल्लु में पलछन से औट तक का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	6.00			
	पुनर्वि०	(-)6.00
17-	जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vii)	मूल	2,96.00			
	पुनर्वि०	(-)2,96.00
(viii)	योजना				
	मूल	37.00			
	पुनर्वि०	(-)37.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन जलापूर्ति योजना को बिछाने के लिए धन उपलब्ध करवाने के कारण हुआ ।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएँ-
योजना

मूल 4,50.00

पूरक 5.00 5,55.00 5,54.97 (-)0.03

पुनर्वि0 1,00.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं के पुर्ननिर्माण और पुनः मॉडलिंग के लिए प्रदान किए गए धन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

- (vii) उच्चंत लेन-देन
- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 7,11,21.34 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 7,11,21.34 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये हैं।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं०- (xiii) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)6,39.45	2,80,08.75	2,52,75.21	+20,94.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+18,96.16	4,80.42	2,13.82	+21,62.76
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,35,74.65	3,55,78.59	2,59,09.86	+4,32,43.38
कुल योग 2215-	+3,48,31.36	6,40,67.76	5,13,98.89	+4,75,00.23
2700- मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+6,05.17	0.06	16.98	+5,88.25
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+15.53	16.99	0.00	+32.52
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	+5,90.26	17.05	16.98	+5,90.33

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)3.96	0.00	0.00	(-)3.96*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+35.11	0.00	0.00	+35.11
कुल योग- 2701-11-	+22.74	0.00	0.00	+22.74
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5.93	0.00	0.00	+5.93
कुल- 2701-15-	+2.97	0.00	0.00	+2.97
16- सिधाटा बहाव सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+2.09	0.00	0.00	+2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+1.75	0.00	0.00	+1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-)0.09	0.00	0.00	(-)0.09*
20- फीना सिंह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+9,41.69	1,75.14	2,52.48	+8,64.35
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+19.56	18.94	0.00	+38.50
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल-2701-20-	+9,61.25	1,94.08	2,52.48	+9,02.85

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
<i>21- हल्टी सुनराग बंटान्टा नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	0.00	50.00	50.00	+0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.01	0.00	0.00	+2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	+2.00	50.00	50.00	+2.00
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-) 26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
कुल-2701-80-	+2,83.84	0.00	0.00	+2,83.84
कुल 2701-	+12,72.71	2,44.08	3,02.48	+12,14.31
<i>2702- लघु सिंचाई-</i>				
<i>01- सतही जल-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+67.69	24,97.41	25,19.37	+45.73
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+1,41.18	1,30.44	92.33	+1,79.29
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.13	1,53.55	3,40.51	+1,59.83*
कुल 2702-01-	+2,36.00	27,81.40	29,52.21	+ 65.19
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-) 6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
कुल 2702-80-	+2,40.63	0.00	0.00	+2,40.63
कुल 2702-	+4,76.63	27,81.40	29,52.21	+3,05.82

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+58,49.73	36,08.18	24,61.89	+69,96.02
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+3,85.86	1,04.83	10.44	+4,80.25
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,63.50	2,98.04	45.44	+4,16.10
कुल 2711-	+63,99.09	40,11.05	25,17.77	+78,92.37
कुल राजस्व प्रवर्ग-	+4,35,70.05	7,11,21.34	5,71,88.33	+5,75,03.06
पूँजीगत प्रवर्ग-				
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
कुल 4215-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+96.89	0.00	0.00	+96.89
कुल 4700-	+1,72.85	0.00	0.00	+1,72.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+13.54	0.00	0.00	+13.54
कुल 4701-01-	+24.21	0.00	0.00	+24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	+83.75	0.00	0.00	+83.75
16- सिधाता बहाव सिंचाइ योजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+32.91	0.00	0.00	+32.91
कुल-4701-16-	+86.74	0.00	0.00	+86.74
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
कुल-योग 4701-80-	+21.47	0.00	0.00	+21.47
कुल- 4701-	+2,16.17	0.00	0.00	+2,16.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
कुल 4711-	+29.09	0.00	0.00	+29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	+3,92.38	0.00	0.00	+3,92.38
कुल मांग	+4,39,62.43	7,11,21.34	5,71,88.33	+5,78,95.44

टिप्पणी: * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,85,97,17			
		4,20,33,79	3,52,00,08	(-)68,33,71
पूरक	34,36,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				58,40,18
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,97,26			
		17,74,41	11,95,60	(-)5,78,81
पूरक	77,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,78,81

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 68,33.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 34,36.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 58,40.18 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 578.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2018 में प्राप्त ₹ 77.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

01-	मुख्यालय स्थापना- गैर योजना				
(i)	मूल	5,05.69			
			4,29.21	4,31.91	+2.70
	पुनर्वि०	(-) 76.48			
03-	जिला प्रशासन/राज्य स्कीम- गैर योजना				
(ii)	मूल	12,12.66			
			10,35.71	10,36.59	+0.88
	पुनर्वि०	(-)1,76.95			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,53.43 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-				
01-	अस्पताल तथा औषधालय- गैर योजना				
	मूल	2,65,31.30			
			2,25,54.63	2,15,58.15	(-)9,96.48
	पुनर्वि०	(-) 39,76.67			
	₹ 9,96.48 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,76.67 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 9,96.48 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
02-	रोग जांच बिमारी अन्वेषण स्कीम- योजना गैर योजना				
	मूल	1,24.72			
			84.48	84.47	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)40.24			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.24 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
07-	खुर एवं मुँह बिमारियों पर नियन्त्रण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	4,64.12			
			4,24.23	4,24.23	..
	पुनर्वि०	(-)39.89			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.89 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- पशुओं की बिमारियों के नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	64.87			
पूरक	0.02	45.96	45.96	..
पुनर्वि०	(-)18.93			

योजना

(ii) मूल	6.39			
पूरक	0.02	3.57	3.57	..
पुनर्वि०	(-)2.84			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.77 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

102- पशु तथा भैंस विकास-
02- मवेशी और भैंस विकास-
गैर योजना

(i) मूल	5,68.23			
		4,41.15	4,41.14	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,27.08			

06- वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना-
गैर योजना

(ii) मूल	5,29.75			
		4,04.01	4,03.98	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)1,25.74			

103- कुक्कुट विकास पर व्यय-
02- केन्द्रीय और जिला कुक्कुट फार्म-
गैर योजना

(iii) मूल	3,89.25			
		3,25.88	3,25.88	..
पुनर्वि०	(-)63.37			

104- भेड तथा ऊन विकास-
01- ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला चंबा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

गैर योजना					
(iv)	मूल	42.51			
			11.09	11.09	..
	पुनर्वि०	(-)31.42			
04-	भेड़ एवं ऊँ विकास पर व्यय- गैर योजना				
(v)	मूल	4,88.87			
			3,54.57	3,54.57	..
	पुनर्वि०	(-)1,34.30			
107-	चारा और चारागाह विकास-				
01-	चारा विकास एवं भोजन- गैर योजना				
(vi)	मूल	22.66			
			16.32	16.32	..
	पुनर्वि०	(-)6.34			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 488.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	6.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6.00			
	योजना				
(ii)	मूल	6.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा अनुपातिक प्रावधान भी अभ्यर्पित किया गया।				
800-	अन्य व्यय				
01-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना-				
(i)	मूल	8,29.00			
			4,98.90	4,98.90	..
	पुनर्वि०	(-)3,30.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजना-					
(ii)	मूल	92.00			
			55.53	55.53	..
	पुनर्वि०	(-)36.47			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,66.57 लाख की कमी, राज्य स्तरीय समिति द्वारा कम परियोजना के अनुमोदन के अनुसार किए गये कम व्यय के कारण हुआ। जबकि इस योजना के अन्तर्गत क्रम संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 18,24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
2404- डेयरी विकास-					
001- निदेशन और प्रशासन-					
01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-					
गैर योजना					
	मूल	49.22			
			28.65	28.65	..
	पुनर्वि०	(-)20.57			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
191- सरकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता-					
04- दुग्ध उत्पादक सरकारी सभाओं को सहायता अनुदान-					
गैर योजना					
	मूल	3,00.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,00.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।					
2405- मत्स्य पालन-					
001- निदेशन तथा प्रशासन-					
02- जिला स्तरीय-					
गैर योजना					
	मूल	12,59.69			
			9,36.22	9,36.20	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)3,23.47			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,23.47 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।					
101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-					
02- जलाशय मत्स्य पालन प्रबन्ध तथा विकास-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	17.36			
		8.92	8.90	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)8.44			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.44 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।				
03-	मतस्य क्रीडा का विकास एवं रखरखाव-			
गैर योजना				
मूल	16.55			
		11.63	11.61	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)4.92			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.92 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	कार्प फार्मों का विकास एवं रखरखाव-			
गैर योजना				
मूल	48.63			
		22.71	22.70	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)25.92			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.92 लाख की कमी कार्प मत्स्य भोजन की कम खरीद के कारण हुआ।				
06 -	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i)	मूल	44.50		
		18.51	18.51	..
	पुनर्वि०	(-)25.99		
योजना				
(ii)	मूल	5.00		
		2.62	2.61	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)2.38		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.37 लाख की कमी, उपदान के कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 18,24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
07-	नीली क्रांति-एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंधन एवं विकास-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजना

मूल	3,84.00			
पूरक	39.19	3,34.32	3,34.31	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)88.87			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.87 लाख की कमी, निधि प्रणाली में 80:20 से 90:10 तक बदलाव के कारण हुई। जबकि इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 7,36.28 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

800- अन्य व्यय

01- मछुआरों के लिए जोखिम कोष-

योजना

मूल	3.00			
		2.00	1.99	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी, मछुआरों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2403- पशुपालन-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

01- अस्पताल और औषधालय-

योजना

मूल	7,00.00			
पूरक	4.49	7,21.04	7,21.03	(-)0.01
पुनर्वि०	16.55			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.55 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान के कारण हुआ।

103- कुकुट विकास-

09- पांच हजार ब्रायलर योजना-

गैर योजना

मूल	2,00.00			
		2,79.00	2,79.00	..
पुनर्वि०	79.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.00 लाख का आवर्धन कुकुट इकाइयों के अधिक उपदान के मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

2404- डेयरी विकास-

191- सरकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-

02- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन को सहायता अनुदान-
योजना

मूल	1,00.01			
पूरक	10,78.96	12,83.39	12,83.39	..
पुनर्वि०	1,04.42			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.42 लाख का आवर्धन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल	7,48.57			
		1,90.32	1,90.32	..
पुनर्वि०	(-)5,58.25			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,58.25 लाख की कमी उपकरणों की खरीद के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना-

मूल	44.50			
पूरक	0.01	24.00	24.00	..
पुनर्वि०	(-)20.51			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.51 लाख की कमी, इस योजना के तहत/अन्तर्गत शेयर प्रणाली में बदलाव के कारण 90:10 से 80:20 हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(समाप्त)

(vi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- भवन- योजना			
(i) मूल	32.81		
		40.27	(-)0.01
पुनर्वि०	7.46		
06- नील क्रांति -एकीकृत मत्स्य पालन प्रबन्ध एवं विकास- योजना-			
(ii) मूल	20.00		
पूरक	8.65	33.62	33.62
पुनर्वि०	4.97		

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.43 लाख का आवर्धन इमारतों के निर्माण के लिए अधिक अनुमान प्राप्त होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	78,15,72		
		78,15,72	(-)30,57,13
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च, 2019)			30,56,88
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,62,43,45		
		2,84,64,40	(-)1,32,83
पूरक	22,20,95		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,30,93

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,32.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 22,20.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय- गैर योजना			
मूल	1,58.98		
		45.64	45.65
पुनर्वि०	(-)1,13.34		+0.01
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.34 लाख की कमी कक्षा के फर्नीचर की कम खरीद और खेल गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई।			
03- माध्यमिक विद्यालय-			
गैर योजना			
मूल	1,84.95		
		48.94	48.94
पुनर्वि०	(-)1,36.01		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.01 लाख की कमी सरकारी ई बाजार के साथ दर अनुबंध को अन्तिम रूप नहीं देने के कारण हुई।			
योजना			
मूल	6,00.00		
	
पुनर्वि०	(-)6,00.00		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा वेतन के व्यय को अनुदान संख्या -08 गैर योजना के अन्तर्गत व्यय अंकित करने के कारण कम कर दिया गया।			
12- अटल वर्दी योजना-			
योजना			
मूल	5,10.00		
	
पुनर्वि०	(-)5,10.00		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5,10.00 लाख का समस्त प्रावधान विद्यालय की वर्दी की कम खरीद के कारण कम कर दिया गया।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

01- मध्याह्न आहार योजना-
योजना

मूल 2,00.00

1,42.77

1,42.77

..

पुनर्वि० (-)57.23

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.23 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

05- प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक/
शिक्षक सघ को सहायता अनुदान-
योजना

मूल 25.00

15.25

15.25

..

पुनर्वि० (-)9.75

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.75 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के कर्मचारियों को अनुबन्ध आधार पर भर्ती के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-
गैर योजना

मूल 12,69.61

8,36.54

8,36.54

..

पुनर्वि० (-)4,33.07

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,33.07 लाख की कमी दवाईयों और अन्य वस्तुओं की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -
गैर योजना

मूल 3,08.67

2,44.71

2,44.71

..

पुनर्वि० (-)63.96

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और बिजली, पानी व दूरभाष शुल्क पर कम व्यय के कारण हुई।

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

गैर योजना

मूल 82.03

42.82

42.82

..

पुनर्वि० (-)39.21

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दवाओं और अन्य सामग्री की कम खरीद, पानी, बिजली, दूरभाष बिलों पर कम व्यय और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

गैर योजना

मूल 12,93.50

11,15.01

11,14.91

(-)0.10

पुनर्वि० (-)1,78.49

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,78.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-

01- मलेरिया रोकथाम संगठन-

गैर योजना

मूल 4.00

1.23

1.23

..

पुनर्वि० (-)2.77

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.77 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और मलेरिया रोकथाम संगठन पर कम व्यय के कारण हुई।

13- बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-

(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-

गैर योजना

मूल 1,14.31

61.98

61.95

(-)0.03

पुनर्वि० (-)52.33

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और बहुउद्देशीय सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई।

2401- फसल कृषि कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

05- उद्यान विकास-

गैर योजना

मूल 15.17

4.87

4.87

..

पुनर्वि० (-)10.30

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.30 लाख की कमी बागवानी उपकरण और उपस्कर आदि के क्रय के कारण हुई।

11- राजकीय उद्यानों तथा पौद्यशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव-

गैर योजना

मूल 11.38

6.07

6.08

+0.01

पुनर्वि० (-)5.31

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.31 लाख की कमी उर्वरकों/कीटनाशकों और उपकरणों के क्रय आदि पर कम व्यय के कारण हुई।

2851- ग्राम और लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

05- लघु उद्योगों हेतु उपदान-

गैर योजना

मूल 5.00

1.00

1.00

..

पुनर्वि० (-)4.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

10- औद्योगिक उन्नयन एवं प्रशिक्षण-

गैर योजना

(i) मूल 19.64

..

..

..

पुनर्वि० (-)19.64

13- जिला उद्योग केन्द्र-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

गैर योजना

(ii) मूल 33.05

पुनर्वि० (-)33.05

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.69 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के बन्द होने के कारण कम कर दिया गया।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-

योजना

मूल 7,61.00

5,58.48

5,58.47

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2,02.52

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.52 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक और मरम्मत शुल्क, कार्यालय इमारतों को सुसज्जित करने पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- मूल्यांकन-

योजना

मूल 5,62.00

4,10.73

4,10.61

(-)0.12

पुनर्वि० (-)1,51.27

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51.27 लाख की कमी बैठकों और संगोष्ठियों के कम आयोजन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

20- राज्य अभिनव निधि-

योजना

मूल 2,20.00

22.74

22.74

..

पुनर्वि० (-)1,97.26

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.26 लाख की कमी विभिन्न विभागों से अभिनव परियोजनाओं की कम प्राप्ति के कारण हुई।

21- असमानताएं पाटने हेतु मानव विकास-

योजना

मूल 16.00

0.20

0.20

..

पुनर्वि० (-)15.80

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.80 लाख की कमी संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन न होने के कारण हुई।

22- हिमाचल प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम-
योजना

मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान को योजना विभाग से तकनीकी शिक्षा विभाग में हस्तांतरण के कारण कम कर दिया गया।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्रारम्भिक शिक्षा-			
07- भवनों का निर्माण- योजना			
(i) मूल 6,30.00	4,37.93	4,37.93	..
पुनर्वि० (-)1,92.07			
202- माध्यमिक शिक्षा-			
06- भवनों का निर्माण- योजना			
(ii) मूल 5,00.00	3,54.01	3,54.01	..
पुनर्वि० (-)1,45.99			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

योजना					
(iii)	मूल	5,50.00			
			97.85	97.85	..
	पुनर्वि०	(-)4,52.15			
	03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
	101- आयुर्वेद-				
	01- आयुर्वेद (निर्माण कार्य)-				
	योजना				
(iv)	मूल	65.00			
			37.43	37.43	..
	पुनर्वि०	(-)27.57			
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
	119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-				
	03- भवन -				
	योजना				
(v)	मूल	70.00			
			1.92	1.92	..
	पुनर्वि०	(-)68.08			
	800- अन्य व्यय-				
	01- भवन-				
	योजना				
(vi)	मूल	40.00			
			12.72	12.72	..
	पुनर्वि०	(-)27.28			
4406-	वानिकी और वन्य जीवों				
	पर पूंजीगत परिव्यय-				
	01- वानिकी-				
	800- अन्य व्यय-				
	02- वानिकी-				
	योजना				
(vii)	मूल	70.00			
			51.96	50.04	(-)1.92
	पुनर्वि०	(-)18.04			
	उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,31.18 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।				
4851-	ग्राम तथा लघु उद्योगों				
	पर पूंजीगत परिव्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग-
योजना

(i) मूल 40.00

पुनर्वि० (-)40.00

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

02- विधायक क्षेत्र स्थानीय विकास
निधि योजना-
गैर योजना

(ii) मूल 16.45

पुनर्वि० (-)16.45

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 56.45 लाख का समस्त प्रावधान भवनों के निर्माण पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग-
योजना

मूल 21,59.00

21,24.95

21,24.96

+0.01

पुनर्वि० (-)34.05

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.05 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।

05- जिला नियोजन अधिकारी/कर्मचारी वर्ग के लिए आवास का निर्माण-
योजना

मूल 1,50.00

61.05

61.05

..

पुनर्वि० (-)88.95

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 88.95 लाख की कमी जिला नियोजन अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी आवासों के कम निर्माण के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता
पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

01- जलापूर्ति-				
102- ग्रामीण जलापूर्ति-				
01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं-				
योजना				
मूल	10,65.00			
		12,04.63	12,04.63	..
पुनर्वि0	1,39.63			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.63 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
4402- मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-				
800- अन्य व्यय-				
01- कृषि-				
योजना				
मूल	45.00			
		87.82	87.82	..
पुनर्वि0	42.82			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.82 लाख का आवर्धन कृषि विभाग के भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101- सतही जल-				
01- विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ-				
योजना				
मूल	35.00			
		86.73	86.73	..
पुनर्वि0	51.73			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.73 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
5054- सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800- अन्य व्यय-				
06- पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-				
योजना				
मूल	28,00.00			
		35,38.65	35,38.65	..
पुनर्वि0	7,38.65			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,38.65 लाख का आवर्धन जिला सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,43,35,55			
		5,43,35,62	4,13,04,41	(-)1,30,31,21
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,31,27,83
प्रभारित				
मूल	..			
		1,73	1,73	..
पूरक	1,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,06,50			
		10,06,50	9,42,02	(-)64,48
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				56,87

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,30,31.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 1,31,27.83 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- भू संरक्षण-

12- संरक्षित वनारोपण भू-संरक्षण तथा प्रदर्शन (वन विभाग)-
गैर योजना

मूल	12,50.43		
		9,51.51	9,50.31
पुनर्वि०	(-)2,98.92		(-)1.20

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,98.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल	14,60.55		
		10,58.55	10,58.54
पुनर्वि०	(-)4,02.00		(-)0.01

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वन अनुसंधान अकादमी देहरादून से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

गैर योजना

मूल	3,36,22.30		
		2,72,82.97	2,72,82.96
पुनर्वि०	(-)63,39.33		(-)0.01

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63,39.33 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	9,75.00		
पूरक	0.01	7,60.09	7,60.07
पुनर्वि०	(-)2,14.92		(-)0.02

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.92 लाख की कमी बिजली, पेट्रोल, तेल स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत, आतिथ्य और मनोरंजन पर कम व्यय के कारण हुई।

070- संचार तथा भवन-

01- भवनों, सड़कों तथा रास्तों की मरम्मत-
योजना

मूल	7,80.00				
		7,40.00	7,40.00	..	
पुनर्वि०	(-)40.00				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी भवन को सुसज्जित/मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुआ।

101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-

01- वनों की चकबन्दी तथा सीमांकन-
गैर योजना

मूल	17.18				
		0.19	0.19	..	
पुनर्वि०	(-)16.99				

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.99 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

योजना

(i) मूल	50.00				
		
पुनर्वि०	(-)50.00				

02- वन पुनोत्पादन-
गैर योजना

(ii) मूल	35.70				
		
पुनर्वि०	(-)35.70				

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 85.70 लाख का समस्त प्रावधान दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति न होने और संहितागत औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

योजना				
मूल	2,43.00			
		73.13	73.13	..
पुनर्वि०	(-)1,69.87			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,69.87 लाख की सारभूत कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों के कम आयोजन, रख-रखाव कार्यों के कम निष्पादन, बिजली, पानी और दूरभाष पर कम व्यय, सामग्री की कम खरीद, पेट्रोल, तेल स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
योजना				
मूल	1,29.00			
		7.80	7.80	..
पुनर्वि०	(-)1,21.20			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.20 लाख की सारभूत कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
04- कार्मिक योजना संगठन-				
योजना				
मूल	40.00			
		15.92	15.92	..
पुनर्वि०	(-)24.08			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.08 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
08- हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम कलाइमेट प्रूफिंग प्राजेक्ट- -				
योजना				
मूल	16,45.00			
		12,51.72	13,50.66	+98.94
पुनर्वि०	(-)3,93.28			
₹ 98.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,93.28 लाख की कमी लाभार्थियों से कम दावों की प्राप्ति, सामग्री की कम खरीद, पेशेवरों की नियुक्ति न होना, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 98.94 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
09- हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना-				
योजना				
मूल	32,91.00			
		2,75.77	2,75.74	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)30,15.23			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30,15.23 लाख की सारभूत कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों, शिविरों आदि के कम आयोजन, रिक्त पदों को न भरने, रख-रखाव कार्यों के कम निष्पादन, पेशेवरों की नियुक्ति न होने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों एवं वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय मशीनरी की कम खरीद, परियोजना में प्रशिक्षण का कम आयोजन, यात्रा दावों की कम प्राप्ति होने, किराया दर व कर बिलों की प्राप्ति न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

- 10- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और
आजीविका सुधार परियोजना-
योजना

मूल	9,87.00			
पूरक	0.04	9,21.24	9,21.23	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)65.81			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा के दावों पर कम व्यय के कारण हुई।

- 102- सामाजिक और फार्म वानिकी-
04- वृक्ष आवरण में सुधार-
योजना

मूल	13,16.00			
		12,86.00	12,86.00	..
पुनर्वि०	(-)30.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, रखरखाव कार्य के कम निष्पादन और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

- 33- उद्यानों के एकीकृत विकास हेतु
अभियान राष्ट्रीय बाँस योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	9.00			
	
पुनर्वि०	(-)9.00			
योजना				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी अप्रयक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

35- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1,67.00			
		71.87	71.88	+0.01
पुनर्वि०	(-)95.13			
योजना				
(ii) मूल	20.00			
		7.40	7.39	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)12.60			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 107.73 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई।

36- नगर वन उद्योग योजना-
योजना

मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और अनुपातिक बजट अप्रयुक्त रहा।

37- स्रोत स्तृता एवं जलवायु लचीली वर्षा पोषित
कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-
योजना

पूरक	26,19.00			
		12,54.85	12,54.84	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)13,64.15			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,64.15 लाख की सारभूत कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्याशालाओं का कम आयोजन, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, व्यवसायों की कम नियुक्ति और पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुआ।

105- वन उत्पाद -

01- सरकारी अभिकरण के माध्यम से
लकड़ी एवं अन्य पदार्थ ले जाना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

गौर योजना				
(i)	मूल	62.73		
			44.90	44.90
	पुनर्वि०	(-)17.83		..
02-	लकड़ी तथा अन्य उत्पाद को उपभोक्ताओं एवं खरीदारों द्वारा ले जाना- गौर योजना			
(ii)	मूल	26.54		
			17.64	17.64
	पुनर्वि०	(-)8.90		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.73 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और संगोष्ठियों एवं शिविरों आदि के कम आयोजन होने के कारण हुई।			
05-	शटल और बोबिन निर्माण शाला स्थापना- योजना			
	मूल	20.00		
			15.00	15.00
	पुनर्वि०	(-)5.00		..
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।			
800-	अन्य व्यय-			
06-	नई वनीकरण योजना (सांझी वन योजना)- योजना			
	मूल	50.00		
			31.17	31.16
	पुनर्वि०	(-)18.83		(-)0.01
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.83 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों एवं शिविरों आदि के कम आयोजन होने तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।			
08-	स्मृति वन योजना- योजना			
	मूल	70.00		
			9.47	9.47
	पुनर्वि०	(-)60.53		..
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.53 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों एवं शिविरों आदि के आयोजन न होने, रख-रखाव कार्य की आवश्यकता न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

09- विद्यार्थी वन मित्र योजना-
योजना

मूल 1,00.00

76.05

76.05

..

पुनर्वि० (-)23.95

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.95 लाख की कमी रखरखाव की आवश्यकता न होने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

10- वन समृद्धि जन समृद्धि
योजना

मूल 1,00.00

45.82

45.82

..

पुनर्वि० (-)54.18

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.18 लाख की कमी संगोष्ठियों एवं शिविरों में प्रशिक्षण के कम आयोजनों के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति तथा सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव संरक्षण-

01- वन्य प्राणी-

गैर योजना

मूल 12,37.21

9,70.53

9,70.52

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2,66.68

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,66.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, संगोष्ठियों एवं शिविरों के कम आयोजन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल 2,50.00

1,80.55

1,80.55

..

पुनर्वि० (-)69.45

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.45 लाख की कमी मुआवजे के दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

10- राष्ट्रीय पार्कों और शरण स्थलों
के विकास हेतु सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	3,41.00			
			2,49.43	2,48.43	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)91.57			
योजना					
(ii)	मूल	37.90			
			27.53	27.53	..
	पुनर्वि०	(-)10.37			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 101.94 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

111- चिड़ियाघर-

01- हिमालयन चिड़ियाघर एवं प्राणी

उपवन विकास-

गैर योजना

मूल	2,01.31				
			174.50	174.50	..
	पुनर्वि०	(-)26.81			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा रखरखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुआ।

योजना

मूल	1,48.00				
			1,08.03	1,08.03	..
	पुनर्वि०	(-)39.97			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.97 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा रखरखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुआ।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2406- वानिकी और वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

101- वन संरक्षण, विकास और पुनोत्पादन-

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	47.39			
		62.23	62.23	..
पुनर्वि०	14.84			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.84 लाख का आवर्धन आग बुझाने वालों को वेतन के भुगतान के कारण हुआ।				
102- सामाजिक और फार्म वानिकी-				
07- वनस्पति तथा पौधशालाओं का रखरखाव-				
योजना				
मूल	1,00.00			
		1,39.21	1,39.21	..
पुनर्वि०	39.21			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.21 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।				
34- राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वनारोपण				
कार्यक्रम का कियान्वयन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	2,65.00			
		2,92.45	2,92.45	..
पुनर्वि०	27.45			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.45 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को जारी करने कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,92.45 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
39- प्रायोगिक वनसंवर्धन कटाई-				
योजना				
पूरक	0.01			
		2,45.17	2,45.17	..
पुनर्वि०	2,45.16			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.16 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, सामग्री की अधिक खरीद, मानदेय का भुगतान तथा संगोष्ठियों व शिविरों आदि के अधिक आयोजन के कारण हुआ।				
2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा-				
06- वानिकी				
004- अनुसंधान				
03- विभागीय वानिकी अनुसंधान योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

योजना				
मूल	5.00			
पूरक	0.01	14.86	14.86	..
पुनर्वि०	9.85			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.85 लाख का आवर्धन भरमौर जिला चम्बा में चयनित आनुवंशिक रूप से बेहतर वृक्ष विलो क्लोन (बेंत की तरह पतली लचकदार) प्रतिरूप के प्रसार, गुणन प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4406- वानिकी और वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- वानिकी-			
070- संचार और भवन-			
02- भवन- योजना			
मूल	5,50.00		
		5,20.00	5,20.00
पुनर्वि०	(-)30.00		..
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी निविदा प्रणाली के माध्यम से कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।			
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-			
110- वन्य जीव-			
03- वन्य प्राणी- योजना			
मूल	27.00		
		11.00	11.00
पुनर्वि०	(-)16.00		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की कमी निविदा प्रणाली के माध्यम से कार्य के निष्पादन और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।			
10- राष्ट्रीय पार्कों एवं शरण स्थलों के विकास के लिए सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

योजना				
(i) मूल	15.00			
		1.80	1.80	..
पुनर्वि०	(-)13.20			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.20 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17-निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	24,87,39			
		43,84,95	43,37,20	(-)47,75
पूरक	18,97,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				47,59

अभ्युक्तियाँ

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन-				
101- निर्वाचन आयोग-				
01- राज्य निर्वाचन आयोग-				
गैर योजना				
मूल	1,74.43			
पूरक	3.29	1,43.88	1,43.86	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)33.84			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी व दूरभाष के बिलों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- निर्वाचन अधिकारी-

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल	16,60.46			
पूरक		14,30.58	14,30.58	..
पुनर्वि०	(-)2,29.88			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,29.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि किराया एवं करों, प्रशिक्षण एवं चार विभागीय वाहनों का लोक सभा चुनाव के लिए उपयोग में लाने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17 (समाप्त)

105- संसद के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार-
01- संसद
गैर योजना

मूल	0.09			
पूरक	8,10.21	7,51.72	7,51.71	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)58.58			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.58 लाख की कमी लोक सभा में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय निरीक्षण बिलों के न प्राप्त होने के कारण हुई जोकि लोक सभा चुनाव के लिए विभिन्न परफॉर्मा/पुस्तक के प्रकाशन और चुनाव सामग्री की खरीद पर हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2015- निवार्चन-

103- मतदाता सूची की तैयारी और मुद्रण-
01- सभा-
गैर योजना

मूल	5,52.83			
पूरक	39.07	8,80.63	8,80.62	(-)0.01
पुनर्वि०	2,88.73			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,88.73 लाख का आवर्धन लोकसभा चुनाव की मुद्रण सामग्री की खरीद और अन्य प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कार्यालय मदों पर हुए कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,88,26,76		
	1,96,04,65	1,00,01,22	(-)96,03,43
पूरक	7,77,89		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			96,03,17
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	62,38,00		
	62,38,00	39,00,05	(-)23,37,95
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			23,37,95

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 96,03.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 7,77.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2057- पूर्ति तथा निपटान-			
101- क्रय-			
01- भंडार क्रय संगठन की स्थापना- गैर योजना			
मूल	1,90.63		
	1,46.44	1,46.29	(-)0.15
पुनर्वि०	(-)44.19		

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

05- लघु उद्योगों हेतु उपदान-
योजना

मूल 10.00

4.86

4.86

..

पुनर्वि० (-)5.14

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.14 लाख की कमी उपदान के लिए कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

10- औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण-

गैर योजना

मूल 1,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशिक्षण शिविरों तथा कार्यशालाओं के आयोजित न करने के कारण कम कर दिया गया।

13- जिला उद्योग केन्द्र-

गैर योजना

मूल 18,51.29

14,53.45

14,53.44

(-)0.01

पुनर्वि० (-)3,97.84

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,97.84 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दर, किराया, करों, बाह्य स्रोतों से नियुक्ति, कानूनी मामलों के भुगतान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजना

मूल 93.00

65.54

65.54

..

पुनर्वि० (-)27.46

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.46 लाख की कमी योजना के बंद होने के कारण हुई।

15- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	6.55				
		0.10	1.10		..
पुनर्वि०	(-)6.45				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
19- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना					
मूल	4,61.00				
	
पुनर्वि०	(-)4,61.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,61.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।					
24- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन- गैर योजना					
(i) मूल	5,00.00				
		1,67.00	1,67.00		..
पुनर्वि०	(-)3,33.00				
योजना					
(ii) मूल	3,29.00				
		2,93.92	2,93.92		..
पुनर्वि०	(-)35.08				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,68.08 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।					
25- लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान- गैर योजना					
(i) मूल	1,00.00				
			
पुनर्वि०	(-)1,00.00				
26- उष्मायल केन्द्र- गैर योजना					
(ii) मूल	1,00.00				
	
पुनर्वि०	(-)1,00.00				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

103- हथकरघा उद्योग-

22- हथकरघा और हस्तकला के लिए एकीकृत योजना-
योजना

मूल 66.00

पुनर्वि० (-)66.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को अन्तिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-
योजना

मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

104- हस्तशिल्प उद्योग-

05- हस्तशिल्प का सर्वेक्षण-
गैर योजना

मूल 10.48

पुनर्वि० (-)7.14

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-
गैर योजना

मूल 6,62.37

पुनर्वि० (-)1,17.65

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.65 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्तियों के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

800- अन्य व्यय-

10- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल 80,00.00

8,50.25

8,50.25

..

पुनर्वि० (-)71,49.75

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 71,49.75 लाख की सारभूत कमी लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 4,02.03

3,43.26

3,43.26

..

पुनर्वि० (-)58.77

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.77 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कानूनी मामलों की फीस के भुगतान तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजना-

गैर योजना

मूल 89.52

56.17

56.17

..

पुनर्वि० (-)33.35

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

02- निवेश स्कीम को बढ़ावा-

योजना

मूल 24.00

पूरक 7,77.88

99.55

99.55

..

पुनर्वि० (-)7,02.33

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,02.33 लाख की कमी 2019 में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारी पर कम व्यय तथा लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू करने के कारण हुई।

2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज अन्वेषण-

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

01- खनिज अन्वेषण कर्मचारी वर्ग और

अन्य गतिविधियां-

गैर योजना

मूल 10,20.39

पूरक 0.01

8,57.31

8,57.21

(-)0.10

पुनर्वि० (-)1,63.09

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

19- सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस-

गैर योजना

मूल 0.01

10.97

10.97

..

पुनर्वि० 10.96

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.96 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के लिए बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मचारियों के कारण हुई।

103- हथकरघा उद्योग-

01- हथकरघा उद्योगों का विकास

गैर योजना

मूल 25.02

68.22

68.22

..

पुनर्वि० 43.20

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.20 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजना-

योजना

मूल 1.00

2,78.00

2,78.00

..

पुनर्वि० 2,77.00

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,77.00 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-			
101- औद्योगिक क्षेत्र-			
02- आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i) मूल	13,86.00		
		5,77.00	5,77.00
पुनर्वि०	(-)8,09.00		..
800- अन्य व्यय-			
01- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय- गैर योजना			
(ii) मूल	6,00.00		
		5,21.21	5,21.21
पुनर्वि०	(-)78.79		..
योजना			
(iii) मूल	15,71.00		
		15,47.10	15,47.10
पुनर्वि०	(-)23.90		..
05- औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना			
(iv) मूल	12,70.00		
		2,78.00	2,78.00
पुनर्वि०	(-)9,92.00		..
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,03.69 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।			
योजना			
मूल	3,43.00		
	
पुनर्वि०	(-)3,43.00		..

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,43.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

6885- उद्योगों तथा खनिजों के लिए अन्य ऋण-

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों को ऋण -

01- हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम को ऋण-

गैर योजना

मूल 5,00.00

4,09.71

4,09.71

..

पुनर्वि0 (-)90.29

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.29 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	9,27,11,92			
		9,87,40,30	9,58,56,13	(-)28,84,17
पूरक	60,28,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				28,84,04
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	17,36,51			
		17,36,51	13,88,65	(-)3,47,86
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,47,86

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 28,84.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 60,28.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

01- निदेशालय-
गैर योजना

मूल	2,52.68			
		2,16.11	2,15.87	(-)0.24
पुनर्वि०	(-)36.57			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने,पेट्रोल,बाह्य स्त्रोतों द्वारा वाहन तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय करने के कारण हुई।

योजना

मूल	6,68.00			
		27.92	27.92	..
पुनर्वि०	(-)6,40.08			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,40.08 लाख की कमी कार्यालय मदों तथा पेंशन सॉफ्टवेयर के सर्वर पर कम व्यय होने के कारण हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	10,31.66			
पूरक	0.01	9,04.38	9,04.38	..
पुनर्वि०	(-)1,27.29			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,27.29 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितकरण चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, किराया दरों के कम भुगतान तथा बाह्य स्त्रोतों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति पर कम व्यय होने के कारण हुई।

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- पिछड़ा वर्ग आयोग -

गैर योजना

मूल	1,17.24			
पूरक	0.01	82.74	82.52	(-)0.22
पुनर्वि०	(-)34.51			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.51लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सदस्यों की नियुक्ति न करने, योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना

मूल 3.16

पुनर्वि० (-)3.16

मार्च 2019 में ₹ 3.16 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण कर दिया गया ।

योजना

मूल 2,18.00

1,81.68

1,81.68

पुनर्वि० (-)36.32

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.32 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- गुज्जर, लबाणा, गद्दी कल्याण बोर्ड-

योजना

मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समाप्त कर दिया गया ।

80- सामान्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों को सहायता-

01- अल्पसंख्यक विकास निगम को

सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 63.00

पुनर्वि० (-)63.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समाप्त कर दिया गया ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाजिक कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

06- विकलांगों के लिए प्रचलित योजनाओं में

समन्वय तथा अतिरिक्त सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना

मूल	50.00			
		35.00	35.00	..

पुनर्वि० (-)15.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

गैर योजना

मूल	3,43.05			
		1,00.48	1,00.48	..

पुनर्वि० (-)2,42.57

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,42.57 लाख की कमी एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	1,62,22.00			
		1,42,82.35	1,42,82.35	..

पुनर्वि० (-)19,39.65

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,39.65 लाख की कमी आगंनबाडी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को न भरने, सामग्री की कम खरीद, किराए के कम भुगतान तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,69,10.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	19,41.00			
		11,80.90	11,80.90	..

पुनर्वि० (-)7,60.10

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,60.10 लाख की कमी शिविरों के आयोजन न करने, रिक्त पदों को न भरने, किराये के कम भुगतान तथा अंशकालिक कामगारों व दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

13- बेटा है अनमोल-

योजना

मूल	8,92.00			
		8,24.85	8,24.85	..

पुनर्वि० (-)67.15

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.15 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों/आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

15-	एकीकृत बाल देखभाल सेवाओं के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों और वर्तमान शिशुगृहों में आश्रय खोलने हेतु- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	12,27.00			
			10,05.11	10,05.11	..
	पुनर्वि०	(-)2,21.89			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,21.89 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने तथा भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,69,10.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

	योजना				
	मूल	1,24.00			
			60.80	60.80	..
	पुनर्वि०	(-)63.20			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.20 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने, रिक्त पदों को न भरने तथा बाह्य स्रोतों पर कम व्यय करने के कारण हुई।

20-	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	81.00			
		
	पुनर्वि०	(-)81.00			
	योजना				
(ii)	मूल	9.00			
			
	पुनर्वि०	(-)9.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 90.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार द्वारा निधियों को सीधे उपायुक्त को जारी करने के कारण कम कर दिया गया।

21-	राजीव गांधी शिशुसदन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	3,25.00			
			74.96	74.96	..
	पुनर्वि०	(-)2,50.04			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.04 लाख की कमी शिशु सदनों को बंद करने तथा खर्च न की गई निधियों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण हुई।

103- महिला कल्याण-

01- राज्य आवास-
गैर योजना

मूल	35.58			
		27.76	27.76	..
पुनर्वि०	(-)7.82			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.82 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, राशन व बिस्तरों, बिजली तथा पानी प्रभारों आदि पर कम व्यय करने के कारण हुई।

योजना

मूल	93.00			
		56.11	56.11	..
पुनर्वि०	(-)36.89			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.89 लाख की कमी मांग/प्रस्तावों की कम प्राप्ति, राशन, बिस्तरों, बिजली, तथा पानी प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई जाकि अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन तथा नवगठित सक्षम गुडिया बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

07- राजीव गांधी किशोरी सशस्त्रीकरण योजना

के अन्तर्गत पोषाहार-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	24.00			
	
पुनर्वि०	(-)24.00			

योजना

(ii) मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के निश्चित आयु वर्ग तक सीमित करने तथा खर्च न की गई निधियों के बकाया राशियों की पर्याप्त उपलब्धता से कम कर दिया गया।

12- महिलाओं को नैतिक आधार के बचाव के लिए

वैकल्पिक अवसर हेतु योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजना				
(i)	मूल	1,10.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,10.00		..
13-	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(ii)	मूल	1,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,10.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
15-	मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना- गैर योजना			
(i)	मूल	1,02.65		
			27.01	27.01
	पुनर्वि०	(-)75.64		..
	योजना			
(ii)	मूल	8,66.55		
			7,13.28	7,13.28
	पुनर्वि०	(-)1,53.27		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,28.91 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा प्रस्तावों /आवेदनों की कम प्राप्ति तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण हुई ।			
18-	विधवा पुनर्विवाह योजना- योजना			
	मूल	83.00		
			42.00	42.00
	पुनर्वि०	(-)41.00		..
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.00 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों/आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।			
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-			
02-	अन्य स्वैच्छिक संगठन- योजना			
	मूल	5,52.00		
			3,63.42	3,63.42
	पुनर्वि०	(-)1,88.58		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.58 लाख की कमी बालवाड़ी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई।

04- परिवार सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	4,00.00			
		3,50.30	3,50.30	..
पुनर्वि०	(-)49.70			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.70 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

05- किशोरी शक्ति योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			
योजना				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में, मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के निश्चित आयु वर्ग तक सीमित करने तथा खर्च न की गई निधियों के बकाया राशियों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण समाप्त कर दिया गया।

200- अन्य कार्यक्रम-

01- दक्षता को बढ़ावा देकर बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार आश्वासन-
योजना

मूल	1,00.00			
		53.72	53.72	..
पुनर्वि०	(-)46.28			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.28 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

02- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विधवा पेंशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(i)	मूल	1,06,06.50			
			1,03,63.85	1,03,63.85	..
	पुनर्वि०	(-)2,42.65			
06-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर्स को पेंशन-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	19.90			
	पूरक		1.37	1.37	..
	पुनर्वि०	(-)18.53			
	उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,61.18 लाख की कमी नए पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
104-	निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना-				
	सरकारी भविष्य निधि-				
01-	निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
गैर योजना					
(i)	मूल	2,20.00			
			1,69.80	1,69.80	..
	पुनर्वि०	(-)50.20			
200-	अन्य कार्यक्रम-				
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	6,00.00			
			5,09.16	5,09.16	..
	पुनर्वि०	(-)90.84			
15-	मोटर दुर्घटना में निरपराध की प्रतिपूर्ति अदायगी-				
गैर योजना					
(iii)	मूल	1,00.00			
			51.85	51.85	..
	पुनर्वि०	(-)48.15			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,89.19 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
24-	सफाई कर्मचारियों तथा जल उपचार संयंत्रों के कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	10.00				
	
पुनर्वि०	(-)10.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया ।					
800-	अन्य व्यय-				
06-	वित्त विभाग के पास आरक्षित पेंशनरों का निधियां-				
गैर योजना					
मूल	40,00.00				
	
पुनर्वि०	(-)40,00.00				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 40,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को अन्य सभी विभागों को निधियों के वितरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण समाप्त कर दिया गया। इस तरह का प्रचरण वर्ष 2012-13 से किया जा रहा है ।					
68-	सामान्य प्रशासन विभाग के पेंशनर-				
गैर योजना					
(i)	मूल	7.34			
			5.81	5.81	..
	पुनर्वि०	(-)1.53			
77-	ऊर्जा निदेशालय के पेंशनर-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	1.46			
		
	पुनर्वि०	(-)1.46			
82-	शहरी विकास विभाग के पेंशनर-				
गैर योजना					
(iii)	मूल	9.55			
			2.07	2.07	..
	पुनर्वि०	(-)7.48			
90-	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन के पेंशनर-				
गैर योजना					
(iv)	मूल	6.35			
			4.14	4.14	..
	पुनर्वि०	(-)2.21			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.68 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख-रखाव तथा मरम्मत-			
09- सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण विभाग के रख-रखाव पर व्यय- गैर योजना			
मूल	0.01		
		6.70	6.70
पुनर्वि०	6.69		..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.69 लाख का आवर्धन कार्यालय के रख-रखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-			
283- आवास-			
01- आवास- योजना-			
(i) मूल	1,20.00		
		1,59.85	1,59.85
पुनर्वि०	39.85		..
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
283- आवास-			
01- आवास- योजना			
(ii) मूल	3,73.00		
		4,72.70	4,72.70
पुनर्वि०	99.70		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.55 लाख का आवर्धन आवास उपदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 80- सामान्य-
800- अन्य व्यय-
01- सिविल सेवा कोचिंग के लिए सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना

मूल	0.01		
		5.00	5.00
पुनर्वि०	4.99		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 4.99 लाख का आवर्धन सिविल सेवा कोचिंग के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

पूरक	0.01		
		32.01	32.01
पुनर्वि०	32.00		..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.00 लाख का आवर्धन सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल	15.00		
		4,76.98	4,76.98
पुनर्वि०	4,61.98		..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,61.98 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक दावों की प्राप्ति तथा गैर सरकारी संगठनों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

102- बाल कल्याण-

01- राज्य समाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल	85.00		
		1,03.86	1,03.86
पुनर्वि०	18.86		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.86 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता तथा समाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के पेंशनर को सेवानिवृत्ति लाभों में समाशोधन करने के कारण हुआ।

11- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय-

गैर योजना

मूल	41,46.04		
पूरक	8,50.00	50,88.81	50,88.81
पुनर्वि०	92.77		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.77 लाख का आवर्धन मानदेय की दरों में संशोधन होने के कारण हुआ ।

- 103- महिला कल्याण-
05- राज्य महिला आयोग-
गैर योजना

मूल	78.42			
		98.10	98.10	..
पुनर्वि०	19.68			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.68 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत में वृद्धि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते तथा विधि अधिकारी की नियुक्ति के कारण हुआ।

- 13- महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र -
योजना

मूल	10.00			
		12.95	12.95	..
पुनर्वि०	2.95			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.95 लाख का आवर्धन लंबित मामलों को निपटाने के कारण हुआ।

- 17- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-
योजना

मूल	4,65.00			
		7,27.01	7,27.01	..
पुनर्वि०	2,62.01			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,62.01 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से प्रस्तावों/आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1.00			
		94.00	94.00	..
पुनर्वि०	93.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।

- 20- सशक्त महिला योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजना					
	पूरक	0.01			
			1,00.01	1,00.01	..
	पुनर्वि०	1,00.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन राज्य में सशक्त महिला योजना के कार्यन्वयन पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।					
21-	महिला शक्ति केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	पूरक	0.01			
			1,24.18	1,24.18	..
	पुनर्वि०	1,24.17			
22-	पोषण अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	पूरक	30,78.30			
			41,02.47	41,02.47	..
	पुनर्वि०	10,24.17			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,48.34 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,37.45 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
योजना					
	पूरक	0.01			
			1,83.25	1,83.25	
	पुनर्वि०	1,83.24			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,83.24 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी प्रदान करने के कारण हुआ।					
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
08-	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग के अन्तर्गत अन्य ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान- योजना				
	मूल	5.00			
			1,24.63	1,24.63	..
	पुनर्वि०	1,19.63			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.63 लाख का आवर्धन गैर सरकारी संगठनों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				
01-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृदावस्था पेंशन- गैर योजना				
	मूल	2,75,00.00			
	पूरक	21,00.00	2,97,97.51	2,97,97.51	..
	पुनर्वि०	1,97.51			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.51 लाख का आवर्धन नए पेंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
16-	उपद्रव के पीड़ितों को सहायता- गैर योजना				
	मूल	0.01			
	पूरक	0.01	30.00	30.00	
	पुनर्वि०	29.98			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.98 लाख का आवर्धन इराक हिंसा तथा कसौली गोलीबारी घटना के मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के कारण हुआ।				
800-	अन्य व्यय-				
03-	सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(i)	मूल	2,56.79			
			4,96.41	4,96.36	(-)0.05
	पुनर्वि०	2,39.62			
04-	आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(ii)	मूल	14.67			
			21.62	21.62	..
	पुनर्वि०	6.95			
05-	कोष तथा लेखा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(iii)	मूल	36.67			
			66.15	66.11	(-)0.04
	पुनर्वि०	29.48			
07-	मत्स्य विभाग के पेंशनर्स-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	गैर योजना					
(iv)	मूल	7.33				
			29.83	29.83		..
	पुनर्वि०	22.50				
08-	पर्यटन तथा नागर विमानन विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(v)	मूल	3.66				
			6.04	6.04		..
	पुनर्वि०	2.38				
09-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(vi)	मूल	12.47				
			22.71	22.56		(-)0.15
	पुनर्वि०	10.24				
10-	नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(vii)	मूल	5.13				
			12.62	12.62		..
	पुनर्वि०	7.49				
11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(viii)	मूल	32.28				
			55.54	55.54		..
	पुनर्वि०	23.26				
12-	कृषि विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(ix)	मूल	88.04				
			1,96.53	1,96.53		..
	पुनर्वि०	1,08.49				
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पेंशनर- गैर योजना					
(x)	मूल	10.26				
			22.26	22.25		(-)0.01
	पुनर्वि०	12.00				
14-	उद्यान विभाग के पेंशनर-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xi)	मूल	26.41			
			1,22.32	1,22.32	..
	पुनर्वि०	95.91			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xii)	मूल	88.04			
			1,63.78	1,63.78	..
	पुनर्वि०	75.74			
16-	बागवानी विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xiii)	मूल	23.47			
			86.22	86.22	..
	पुनर्वि०	62.75			
17-	खाद्य और आपूर्ति विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xiv)	मूल	26.41			
			55.67	55.46	(-)0.21
	पुनर्वि०	29.26			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xv)	मूल	51.35			
			1,12.24	1,12.24	..
	पुनर्वि०	60.89			
19-	उपभोक्ता फोरम के पेंशनर- गैर योजना				
(xvi)	मूल	0.15			
			1.49	1.49	..
	पुनर्वि०	1.34			
20-	जेल विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xvii)	मूल	8.81			
			24.81	24.81	..
	पुनर्वि०	16.00			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xviii) मूल	11.74				
		30.45	30.45		..
पुनर्वि०	18.71				
22- सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के पेंशनर- गैर योजना					
(xix) मूल	0.74				
		2.49	2.49		..
पुनर्वि०	1.75				
23- लोकसंपर्क विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xx) मूल	22.01				
		34.01	34.01		..
पुनर्वि०	12.00				
24- हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर- गैर योजना					
(xxi) मूल	1.46				
		5.46	5.46		..
पुनर्वि०	4.00				
26- ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxii) मूल	66.03				
		1,20.47	1,20.44		(-)0.03
पुनर्वि०	54.44				
27- सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxiii) मूल	1,46.74				
		2,76.74	2,76.58		(-)0.16
पुनर्वि०	1,30.00				
28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पेंशनर- गैर योजना					
(xxiv) मूल	2.20				
		5.95	7.18		+1.23
पुनर्वि०	3.75				
29- पंचायती राज विभाग के पेंशनर-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xxv) मूल	29.34				
		56.86	56.84		(-)0.02
पुनर्वि०	27.52				
30-	भाषा कला एवं संस्कृति के पेंशनर- गैर योजना				
(xxvi) मूल	2.34				
		12.34	12.34		..
पुनर्वि०	10.00				
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xxvii) मूल	2,20.11				
		3,94.99	3,94.99		..
पुनर्वि०	1,74.88				
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xxviii) मूल	5,50.29				
		9,37.69	9,37.68		(-)0.01
पुनर्वि०	3,87.40				
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xxix) मूल	29.34				
		1,36.20	1,36.20		..
पुनर्वि०	1,06.86				
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xxx) मूल	2,57.77				
		4,37.51	4,37.50		(-)0.01
पुनर्वि०	1,79.74				
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xxxi) मूल	4.84				
		11.82	11.82		..
पुनर्वि०	6.98				
37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xxxii) मूल	5.13				
		7.13	7.13	..	
पुनर्वि०	2.00				
38- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxiii) मूल	66.03				
		1,26.03	1,26.03	..	
पुनर्वि०	60.00				
39- लोक सेवा आयोग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxiv) मूल	5.86				
		16.86	16.86	..	
पुनर्वि०	11.00				
40- अभिलेख विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxv) मूल	52.08				
		76.01	76.00	(-)0.01	
पुनर्वि०	23.93				
42- श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxvi) मूल	19.07				
		24.98	24.98	..	
पुनर्वि०	5.91				
43- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxvii) मूल	1.46				
		6.00	6.00	..	
पुनर्वि०	4.54				
44- भू-एकत्रीकरण के पेंशनर- गैर योजना					
(xxxviii) मूल	10.26				
		17.26	17.26	..	
पुनर्वि०	7.00				
46- बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा धर्मशाला के पेंशनर-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xxxvix)	मूल	7.34			
			17.52	17.52	..
	पुनर्वि०	10.18			
47-	अग्निशमन सेवा विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xL)	मूल	4.39			
			22.36	22.36	..
	पुनर्वि०	17.97			
48-	अभियोजन विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xLi)	मूल	16.13			
			31.09	31.09	..
	पुनर्वि०	14.96			
49-	आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xLii)	मूल	29.34			
			55.66	55.66	..
	पुनर्वि०	26.32			
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(xLiii)	मूल	51.35			
			72.83	72.83	..
	पुनर्वि०	21.48			
53-	आतिथ्य संगठन के पेंशनर- गैर योजना				
(xLiv)	मूल	2.20			
			7.70	7.70	..
	पुनर्वि०	5.50			
59-	लोकायुक्त के पेंशनर- गैर योजना				
(xLv)	मूल	0.74			
			1.71	1.71	..
	पुनर्वि०	0.97			
60-	महाधिवक्ता के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
(xLvi)	मूल	1.46			
			5.46	5.46	..
	पुनर्वि०	4.00			
62- खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के पेंशनर-गैर योजना					
(xLvii)	मूल	1.18			
			3.26	3.26	..
	पुनर्वि०	2.08			
63- जनजातीय विकास के पेंशनर-गैर योजना					
(xLviii)	मूल	0.29			
			2.04	2.04	..
	पुनर्वि०	1.75			
64- राहत एवं पुनर्वास विभाग के पेंशनर-गैर योजना					
(xLvix)	मूल	0.15			
			0.63	0.63	..
	पुनर्वि०	0.48			
65- बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पेंशनर-गैर योजना					
(L)	मूल	7.34	17.34	17.34	..
	पुनर्वि०	10.00			
66- लघु बचत संगठन के पेंशनर-गैर योजना					
(Li)	मूल	0.74	3.63	3.63	..
	पुनर्वि०	2.89			
67- योजना विभाग के पेंशनर-गैर योजना					
(Lii)	मूल	1.46	8.89	8.88	(-)0.01
	पुनर्वि०	7.43			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

69-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के पेंशनर- गैर योजना				
(Liii)	मूल	17.60			
			30.43	30.43	..
	पुनर्वि०	12.83			
70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर- गैर योजना				
(Liv)	मूल	0.45			
			0.59	0.59	..
	पुनर्वि०	0.14			
71-	वन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(Lv)	मूल	2,20.11			
			3,26.16	3,26.16	..
	पुनर्वि०	1,06.05			
73-	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lvi)	मूल	4,84.24			
			14,28.97	14,28.97	..
	पुनर्वि०	9,44.73			
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lvii)	मूल	2,64.13			
			7,43.59	7,43.59	..
	पुनर्वि०	4,79.46			
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर- गैर योजना				
(Lviii)	मूल	0.74			
			2.44	2.44	..
	पुनर्वि०	1.70			
83-	राजस्व विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lix)	मूल	93.62			
			1,98.76	1,98.70	(-)0.06
	पुनर्वि०	1,05.14			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

84-	मुख्य विद्युत निरीक्षक विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lx)	मूल	0.74			
			1.13	1.13	..
	पुनर्वि०	0.39			
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lxi)	मूल	7.34			
			22.86	22.86	..
	पुनर्वि०	15.52			
87-	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के पेंशनर- गैर योजना				
(Lxii)	मूल	0.42			
			1.92	1.92	..
	पुनर्वि०	1.50			

उपरोक्त बासठ मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38,30.18 लाख का आवर्धन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2236- पोषण-

02- पौष्टिक आहार और सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

05- पोषाहार योजना-

योजना

मूल	48,34.00				
			51,74.04	51,74.04	..
पुनर्वि०	3,40.04				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,40.04 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

01-	हिमाचल पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिला वित्त विकास निगम में निवेश- योजना				
	मूल	3,51.00			
			2,75.50	2,75.50	..
	पुनर्वि०	(-)75.50			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 75.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	भवनों का निर्माण- योजना				
	मूल	2,00.00	1,42.14	1,42.14	..
	पुनर्वि०	(-)57.86			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.86 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
03-	पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1,52.50
	पुनर्वि०	(-)1,52.50			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	सामाजिक कल्याण-				
102-	बाल कल्याण-				
03-	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आवासीय संस्थान- गैर योजना				
(iii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में ₹ 1,54.50 लाख का समस्त प्रावधान प्रास्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

02- महिला विकास निगम-
योजना

मूल 1,42.00

1,22.50

1,22.50

..

पुनर्वि० (-)19.50

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.50 लाख की कमी ऋणों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 5,74.00

5,42.52

5,42.52

..

पुनर्वि० (-)31.48

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.48 लाख की कमी शौचालय, रसोई घर तथा पेयजल के उन्नयन तथा निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण
हेतु ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों
के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-
योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2019 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	15,46,34,87			
		15,46,34,90	11,62,41,88	(-)3,83,93,02
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				3,83,94,22
प्रभारित				
मूल	..			
		1,11	25,02	+23,91
पूरक	1,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	23,16,50			
		23,16,50	17,46,50	(-)5,70,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				1,70,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 23,91,308 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,83,93.02 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,83,94.22 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 23.91 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 1.11 लाख का पूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,70.00 लाख की कुल बचत हुई परन्तु विभाग के द्वारा वर्ष के दौरान केवल ₹ 1,70.00 लाख अभ्यर्पण किया गया।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2216- आवास-			
03- ग्रामीण आवास-			
102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-			
01- इन्दिरा आवास योजना-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना			
मूल	22,11.00		
		14,68.94	14,68.94
पुनर्वि०	(-)7,42.06		..
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,42.06 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
2230- श्रम तथा रोजगार-			
03- प्रशिक्षण-			
003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-			
01- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्र-			
गैर योजना			
मूल	1,66.08		
		66.78	66.78
पुनर्वि०	(-)99.30		..
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
06- स्वरोजगार कार्यक्रम-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 13,16.00

3,45.30

3,45.30

..

पुनर्वि० (-)9,70.70

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,70.70 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 10,91.14 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण

कौशल योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 46,07.00

1,83.60

1,83.60

..

पुनर्वि० (-)44,23.40

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,23.40 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 77.92 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

08- श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 19,74.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)19,74.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा ₹ 19,74.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

09- मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना-

गैर योजना

मूल 75,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)75,00.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 75,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

10- मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना-
गैर योजना

मूल 75,00.00

1,00.00

1,00.00

..

पुनर्वि0 (-)74,00.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74,00.00 लाख की कमी योजना का ग्रामीण विकास के विभाग से उद्योग विभाग में स्थानान्तरित होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

07- बालिका गौरव पुरस्कार योजना-
योजना

मूल 1,50.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1,50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान बालिका गौरव पुरस्कार योजना के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2505- ग्राम रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना**

मूल 3,84,99.00

2,21,75.49

2,21,75.49

..

पुनर्वि0 (-)1,63,23.51

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63,23.51 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से को कम जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,23,36.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

03- कच्चे पानी के टैंको को पोली लाइन्ड/पक्के पानी
के टैंकों में परिवर्तित करने हेतु सामग्री-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल 2,00.00

..

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत अनुदान के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

101- पंचायती राज-

01- पंचायती राज विभाग-

गैर योजना

मूल 24,92.83

22,05.77 22,07.38 +1.61

पुनर्वि० (-)2,87.06

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,87.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और मुरम्मत प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई, जोकि नए वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिस्तुलित हुई।

102- सामुदायिक विकास-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास योजना-

गैर योजना

मूल 1,02,10.17

80,05.30 80,05.10 (-)0.20

पुनर्वि० (-)22,04.87

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22,04.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

10- ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 13,16.00

..

पुनर्वि० (-)13,16.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,16.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

योजना					
मूल	1,32.00				
		1,00.76	1,00.76		..
पुनर्वि०	(-)31.24				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.24 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के मुकाबले राज्य के समतुल्य हिस्से कम जारी होने के कारण हुई।					
16-	कार्यालय भवन/ भण्डार निर्माण/नवीनीकरण-योजना				
मूल	4,00.00				
		2,63.73	2,63.73		..
पुनर्वि०	(-)1,36.27				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.27 लाख की कमी कार्यालय भवन के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
18-	महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु समतुल्य अनुदान-गैर योजना				
(i)	मूल	60.00			
			7.65	7.65	..
	पुनर्वि०	(-)52.35			
योजना					
(ii)	मूल	1,00.00			
			77.88	77.88	..
	पुनर्वि०	(-)22.12			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.47 लाख की कमी महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
20-	शौचालय योजना के अन्तर्गत राज्य प्रोत्साहन-योजना				
मूल	2,36.00				
		2,01.65	2,01.65		..
पुनर्वि०	(-)34.35				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.35 लाख की कमी शौचालय योजना के अन्तर्गत राज्य पुरस्कार पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
22-	सशक्त महिला योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को ग्रामीण विकास विभाग से महिला और बाल विभाग में स्थानांतरित करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

198- ग्राम पंचायतों को सहायता-

03- 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-

गैर योजना

मूल 4,07,24.00

3,61,63.00 3,61,63.00

पुनर्वि० (-)45,61.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45,61.00 लाख की कमी भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- पन्द्रहवें राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत-

ग्राम पंचायतों को अनुदान-

गैर योजना

मूल 93,23.33

92,90.60 92,90.60

पुनर्वि० (-)32.73

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.73 लाख की कमी राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

योजना

मूल	4,61.00			
		5,62.24	5,62.24	..
पुनर्वि०	1,01.24			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.24 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।				

गैर योजना

मूल	0.01			
		14,55.00	14,55.00	..
पुनर्वि०	14,54.99			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,54.99 लाख का आवर्धन लम्बित मामलों का निपटान करने के लिए अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।				

योजना

मूल	33.00			
		84.31	84.31	..
पुनर्वि०	51.31			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.31 लाख का आवर्धन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत केन्द्रिय हिस्से के समतुल्य अनुदान में अधिक निधियां जारी होने के कारण हुआ।				

05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना-

योजना

मूल	1,32.00			
		11,32.00	11,32.00	..
पुनर्वि०	10,00.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा को लागू करने के लिए अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुआ।				

800- अन्य व्यय-

03- मातृ शक्ति बीमा योजना-

गैर योजना-

मूल	2,00.00			
		3,54.00	3,54.00	..
पुनर्वि०	1,54.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.00 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1,32.00			
		17,14.00	17,14.00	..
पुनर्वि०	15,82.00			
योजना				
(ii) मूल	13.00			
		1,90.44	1,90.44	..
पुनर्वि०	1,77.44			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,59.44 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ, जबकि भारत सरकार से ₹ 17,14.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
योजना

मूल	42,78.00			
पूरक	0.01	89,89.83	89,89.83	..
पुनर्वि०	47,11.82			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47,11.82 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत बढ़े हुए 20 दिनों के लिए अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,23,36.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

04- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत
सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का संचालन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

गैर योजना

पूरक	0.01			
		1,60.71	1,60.71	..
पुनर्वि०	1,60.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,60.70 लाख का आवर्धन सामाजिक लेखापरीक्षा ईकाई के संचालन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

गैर योजना

मूल	1,93.26			
		2,16.70	2,16.49	(-)0.21
पुनर्वि०	23.44			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.44 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत जारी करने के कारण हुआ।

101- पंचायती राज-

10- पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत खनिजों पर रायल्टी के बदले सहायता अनुदान-

योजना

मूल	0.01			
		53.49	53.49	
पुनर्वि०	53.48			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.48 लाख का आवर्धन पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत खनिजों पर रायल्टी के बदले अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

15- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	1.00			
		5,96.33	5,96.33	
पुनर्वि०	5,95.33			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,95.33 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ, जबकि भारत सरकार से ₹ 6,99.83 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

योजना			
मूल	0.50		
		66.76	66.76
पुनर्वि०	66.26		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.26 लाख का आवर्धन राज्य के हिस्से में अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

(vii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ।

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-------------------------------	-----------------------

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

101- पंचायती राज-

01- पंचायत राज विभाग-
गैर योजना

मूल	1.11	1.11	13.57	+12.46
-----	------	------	-------	--------

विनियोजन में ₹ 12.46 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

102- सामुदायिक विकास-

01- ग्रामीण विकास विभाग-
गैर योजना

..	..	11.45	+11.45
----	----	-------	--------

₹ 11.45 लाख के बिना बजट विनियोजन के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-

101- पंचायती राज-

01- भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (समाप्त)

गैर योजना

पुनर्वि०	4,00.00	4,00.00	..	(-)4,00.00
----------	---------	---------	----	------------

₹ 4,00.00 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा बगैर प्रावधान के ₹ 4,00.00 लाख का आवर्धन भवनों की अधिक मरम्मत के कारण हुआ, जोकि अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट के पैरा संख्या 12.5 का उल्लंघन था।

₹ 4,00.00 लाख के व्यय न करने के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

03- ग्राम गौरव पट्ट-

गैर योजना

मूल	4,00.00			
-----	---------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)4,00.00
----------	------------	----	----	----

मार्च 2019 में ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

103- गामीण विकास-

02- मुख्यमंत्री लोक भवन-

गैर योजना

मूल	12,00.00			
-----	----------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1,70.00	10,30.00	10,30.00	..
----------	------------	----------	----------	----

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,70.00 लाख की कमी मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	33,50,25			
		44,75,63	41,14,59	(-)3,61,04
पूरक	11,25,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				3,59,82
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	..			
		28,34,95	28,34,95	..
पूरक	28,34,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,61.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 11,25.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2425- सहकारिता-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	5,05.25			
पूरक	0.01	3,47.97	3,47.96	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,57.29			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,57.29 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

(i) मूल	19,88.81			
		16,21.36	16,19.22	(-)2.14
पुनर्वि०	(-)3,67.45			

101- सहकारी समीतियों की लेखा परीक्षा-
01- लेखा परीक्षा कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

(ii) मूल	7,85.18			
		6,58.99	6,59.91	+0.92
पुनर्वि०	(-)1,26.19			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,93.64 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दूरभाष/जल प्रभागों, बिजली के बिलों पर कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2425- सहयोग-

- 109- कृषि उधार स्थिरीकरण निधि-
01- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

योजना				
मूल	1.00			
पूरक	11,25.37	14,17.49	14,17.49	..
पुनर्वि०	2,91.12			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,91.12 लाख का आवर्धन मंडी, सोलन, कुल्लु, कांगड़ा और शिमला में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के कार्यन्वयन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य,2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,61,51,64			
		2,93,10,94	3,28,40,39	+35,29,45
पूरक	31,59,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..	
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,01,15			
		2,01,15	2,00,97	(-)18
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,29,45,402 लाख के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित हैं।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,29.45 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 31,59.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

01- कार्यालय भवन-				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				
17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना				
मूल	0.01			
		29.81	29.81	..
पुनर्वि०	29.80			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.80 लाख का आवर्धन मण्डी और सोलन में जिला कार्यालय भवनों की पार्किंग के निर्माण और रखरखाव के कारण हुआ।				
2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-				
01- खाद्य-				
102- खाद्य उपदान-				
12- चीनी की खरीद- गैर योजना				
मूल	0.01			
		82,95.28	82,95.28	..
पुनर्वि०	82,95.27			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82,95.27 लाख का आवर्धन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को चीनी उपदान की प्रतिपूर्ति के कारण हुआ।				
13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	4,57.00			
		23,72.52	47,14.52	+23,42.00
पूरक	19,15.52			
₹ 23,42.00 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
गैर योजना				
मूल	1.00			
पूरक	1,66.01	3,00.00	3,00.00	..
पुनर्वि०	1,32.99			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.99 लाख का आवर्धन छोर से छोर तक कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

योजना				
मूल	66.00			
		1,87.00	7,90.81	(+)6,03.81
पुनर्वि०	1,21.00			

₹ 6,03.81लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.00 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के हिस्से को खाद्यान और उचित मूल्य के डीलरों को जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 6,03.81लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

800- अन्य व्यय-

**02- हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना-
गैर योजना**

मूल	12,00.00			
पूरक	10,75.00	24,49.73	30,33.55	(+)5,83.82
पुनर्वि०	1,74.73			

₹ 5,83.82 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.73 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत योग्य परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 5,83.82 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

**04- उपभोक्ता जागरूकता-
गैर योजना-**

मूल	0.02			
		18.00	18.00	..
पुनर्वि०	17.98			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.98 लाख का आवर्धन उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान की उपलब्धता के लिए पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर उपभोक्ताओं को लघु संदेश सेवाएं प्रदान करने के कारण हुआ।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2408- खाद्य भंडारण और भाण्डागार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

01-	खाद्य				
001-	निदेशन और प्रकाशन-				
02-	जिला फोरम का कर्मचारी वर्ग- गैर योजना				
	मूल	6,28.58			
			5,27.21	5,27.21	..
	पुनर्वि०	(-)1,01.37			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.37 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
102-	खाद्य उपदान-				
11-	उपदान पर दालों, गेहूं, चावल, तेल और आयोडीन युक्त नमक की खरीद- गैर योजना				
	मूल	2,20,00.00			
			1,37,04.72	1,37,04.72	..
	पुनर्वि०	(-) 82,95.28			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82,95.28 लाख की कमी, दाल, खाद्य, तेल और आयोडीन युक्त नमक की खरीद के लिए राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
3456-	नागरिक आपूर्ति-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशालय- गैर योजना				
	मूल	4,19.22			
			3,91.65	3,91.49	(-)0.16
	पुनर्वि०	(-) 27.57			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.57 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
02-	जिला कार्यालय- गैर योजना				
	मूल	9,39.18			
			8,11.29	8,11.29	..
	पुनर्वि०	(-) 1,27.89			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,27.89 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि टैक्सी के किराए, पेट्रोल,तेल, रनेहक और वाहनों की मामूली मरम्मत के बिलों के भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिन्तुलित हुई।

04- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 22.00

पुनर्वि० (-)22.00

योजना

(ii) मूल 99.00

पुनर्वि० (-)99.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया जा सका।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

106- भार और माप का विनियमन-

01- भार तथा माप संगठन-

गैर योजना

मूल 3,18.59

2,15.25

2,15.24

(-)0.01

पुनर्वि० (-) 1,03.34

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 2810-नई तथा नवीनीकरण उर्जा, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,36,24,07			
		6,36,26,00	5,82,81,18	(-)53,44,82
पूरक	1,00,01,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				53,44,85
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,10,08,01			
		6,35,08,01	5,03,63,15	(-)1,31,44,86
पूरक	2,25,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,82,38,01

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 53,44.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 1,00,01.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,31,44.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 2,25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 1,82,38.01 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर तथा अन्य शुल्क-			
103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-			
01- विद्युत निरीक्षणालय- गैर योजना			
मूल	2,85.17		
पूरक	2.66	2,11.93	2,11.95
पुनर्वि०	(-)75.90		+0.02
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 75.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
2801- विद्युत-			
01- जल ऊर्जा उत्पादन-			
101- विद्युत का क्रय-			
01- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड- गैर योजना			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-)40,00.00
मार्च 2019 में ₹ 40,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण अभियर्पित किया गया।			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- ऊर्जा निदेशालय- गैर योजना			
मूल	7,01.85		
पूरक	3.27	4,36.22	4,36.22
पुनर्वि०	(-)2,68.90		..
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,68.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

101- विद्युत बोर्डों को सहायता-

09- उज्जवला डिस्कोम आश्वासन योजना के दिशा निर्देशानुसार
नुकसान की भरपाई हेतु सहायता-
गैर योजना

मूल 10,00.00

..

पुनर्वि० (-)10,00.00

मार्च 2019 में ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए लाभ दर्शाने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6801- विद्युत परियोजनाओं को ऋण-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-			
01- हिमाचल प्रदेश बिजली निगम को ऋण- योजना			
मूल 1,81,72.00
पुनर्वि० (-)1,81,72.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,81,72.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण की अदायगी न करने के कारण कम कर दिया गया।			
04- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए के.एफ.डबल्यू शेयर- योजना			
मूल 66.00
पुनर्वि० (-)66.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा प्रत्यक्ष ऋण का लाभ उठाने के कारण कम कर दिया गया।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6801- विद्युत परियोजनाओं को ऋण-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-			
01- हिमाचल प्रदेश बिजली निगम को ऋण-			
गैर योजना			
मूल	0.01		
		..	
पुनर्वि०	(-)0.01	6,61.36	+6,61.36
₹ 6,61.36 लाख बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।			
02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-			
योजना			
मूल	82,79.00		
		3,07,79.00	3,44,42.80
पूरक	2,25,00.00		+36,63.80
₹ 36,63.80 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।			
03- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ऋण-			
योजना			
	7,67.99
			+7,67.99
₹ 7,67.99 लाख को पिछले वर्ष 2010-11 की त्रुटियों का सुधार करने के लिये उप शीर्ष “01-हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण” से बुक समायोजन के द्वारा स्थानान्तरित किया गया।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	27,94,53			
		30,52,15	29,33,19	(-)1,18,96
पूरक	2,57,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				1,18,89
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,58			
		41,58	41,58	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,18.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 2,57.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

103- सरकारी मुद्रणालय-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

गैर योजना				
(i)	मूल	17,75.75		
	पूरक	2,25.80	17,16.21	17,16.14
	पुनर्वि०	(-),2,85.34		(-)0.07
104-	अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-			
02-	अन्य सरकारी मुद्रणालय-			
	गैर योजना			
(ii)	मूल	21.07		
			12.61	12.61
	पुनर्वि०	(-)8.46		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.80 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

101- लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति -

01- लेखन सामग्री -

गैर योजना

मूल	4,42.47		
पूरक	4.82	6,41.14	6,41.14
पुनर्वि०	1,93.85		..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,93.85 लाख का आवर्धन लोकसभा चुनाव 2019 के लिए लेखन सामग्री के अत्याधिक खरीद के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन तथा 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,60,23,81			
		3,21,19,56	3,18,94,90	(-)2,24,66
पूरक	60,95,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,24,33
प्रभारित				
मूल	..			
		..	13,58	+13,58
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	54,84,01			
		54,84,01	54,82,00	(-)2,01
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,01

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 13,57,907 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
(ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,24.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 60,95.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2041- वाहनों पर कर-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	3,33.77			
		2,45.89	2,45.57	(-)0.32
पुनर्वि०	(-)87.88			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सड़क सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

101- गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिक दुर्घटना बीमा योजना-

04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-
गैर योजना

मूल	68.00			
		35.50	35.50	..
पुनर्वि०	(-) 32.50			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.50 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-
गैर योजना

मूल	10,35.25			
पूरक	95.76	10,32.39	10,32.39	..
पुनर्वि०	(-) 98.62			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 98.62 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

05- स्मार्ट कार्ड सिस्टम विकसित करने हेतु हिमाचल पथ
परिवहन निगम को सहायता अनुदान-
योजना

मूल	1.00			
	
पूरक	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

3056- अंतर्देशीय जल परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था-
गैर योजना

मूल	9.76			
		6.45	6.45	..
पुनर्वि०	(-) 3.31			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.31 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	------------------------------	-----------------------

2041- वाहनों पर कर-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

..	..	13.58	+13.58
----	----	-------	--------

₹ 13.58 लाख बिना विनियोजन के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई,2019)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

5055- सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 25- (समाप्त)

050-	भूमि तथा भवन-				
06-	सरकाघाट में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
07-	परिवहन नगर- योजना				
(ii)	मूल	2,63.00			
	पुनर्वि०	(-)2,63.00
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,64.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकतओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र- योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
02-	हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश- योजना				
	मूल	36,20.00			
	पुनर्वि०	2,63.00	38,83.00	38,83.00	..
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,63.00 लाख का आवर्धन हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	68,88,39			
		98,74,28	98,52,94	(-)21,34
पूरक	29,85,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				21,20
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	55,33,00			
		55,45,67	55,45,66	(-)1
पूरक	12,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 29,85.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
3452- पर्यटन-				
80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशालय-				
गैर योजना				
मूल	1,94.40			
		1,62.91	1,62.94	+0.03
पुनर्वि0	(-)31.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि गृहक्षक के वेतन में बढ़ोतरी के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग
गैर योजना

मूल	4,38.80			
		3,73.30	3,73.23	(-)0.07
पुनर्वि०	(-)65.50			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.50 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में बढ़ोतरी के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-
योजना

मूल	7.00			
		64.70	64.70	..
पुनर्वि०	57.70			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.70 लाख का आवर्धन मशोबरा रिजोर्ट मामले के सम्बन्ध में बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,90,00,90		
	3,35,04,71	2,95,11,91	(-)39,92,80
पूरक	45,03,81		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			40,07,13
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	71,75,81		
	73,57,81	73,57,80	(-)1
पूरक	1,82,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 39,92.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त क्रमशः ₹ 45,03.81 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 40,07.13 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2203- तकनीकी शिक्षा			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
गैर योजना			
मूल	2,68.77		
	2,41.39	2,41.39	..
पुनर्वि0	(-)27.38		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- बहुतकनीकी विद्यालय-

01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय-
गैर योजना

मूल 35,43.80

31,64.36

31,64.36

..

पुनर्वि० (-)3,79.44

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,79.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-

01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय-
गैर योजना

मूल 6,79.60

5,04.38

5,04.32

(-)0.06

पुनर्वि० (-)1,75.22

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल 11,64.00

10,18.68

10,18.68

..

पुनर्वि० (-)1,45.32

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.32 लाख की कमी सामग्री, मशीनरी उपकरणों पर कम व्यय और बिजली, दूरभाष और पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान-

गैर योजना

मूल 10.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2019 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान सहायता अनुदान आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजित द्वारा कम कर दिया गया।

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- श्रम-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी-

गैर योजना

(i) मूल 150.94

1,02.39

1,02.39

..

पुनर्वि० (-)48.55

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

101-	औद्योगिक सम्बन्ध-				
01-	श्रम कानूनों का प्रवर्तन-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	4,82.82			
			4,10.43	4,10.40	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)72.39			
02-	रोजगार सेवाएं-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	रोजगार निदेशालय का कर्मचारी वर्ग-				
	गैर योजना				
(iii)	मूल	73.19			
			51.82	51.82	..
	पुनर्वि०	(-)21.37			
101-	रोजगार सेवाएं-				
01-	रोजगार सेवाओं के आवरण का विस्तार-				
	गैर योजना				
(iv)	मूल	9,63.47			
			8,39.01	8,39.01	..
	पुनर्वि०	(-)1,24.46			
02-	व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श-				
	गैर योजना				
(v)	मूल	31.67			
			22.12	22.20	+0.08
	पुनर्वि०	(-)9.55			
	उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,76.32 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	34.20			
	पूरक	1.20	10.29	10.29	..
	पुनर्वि०	(-)25.11			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.11 लाख की कमी बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	बेरोजगारी भत्ता-				
	गैर योजना				
	मूल	39,00.00			
			29,41.54	29,41.54	..
	पुनर्वि०	(-)9,58.46			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रवधान में ₹ 1,20.55 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते व अंतरिम राहत के बकाया भुगतान के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-
योजना

पूरक 45,02.61

71,35.00

71,35.00

..

पुनर्वि० 26,32.39

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26,32.39 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति, मंहगाई भत्ते व अंतरिम राहत की अदायगी के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2217- शहरी विकास, 3054- सड़क तथा पुल, 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	4,13,58,86		
		5,58,46,77	(-)1,18,34,98
पूरक	1,44,87,91		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,18,34,98
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	20,12,00		
		20,12,00	(-)20,95
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			20,95

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,18,34.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरा 2019 में प्राप्त ₹ 1,44,87.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

192- नगर पालिकाओं -नगर परिषदों को सहायता-

02- छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु शहरी मूलभूत योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	1,00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
योजना					
(ii)	मूल	3.00			
	पूरक	0.01
	पुनर्वि०	(-)3.01			
193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-				
02-	छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु शहरी मूलभूत विकास योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(iii)	मूल	1,00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
योजना					
(iv)	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में ₹ 8.01 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भा अभ्यर्पित कर दिया गया ।					
80-	<i>सामान्य-</i>				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थानीय निकायों का निदेशालय- गैर योजना				
(i)	मूल	3,02.51			
	पूरक	0.01	2,13.21	2,13.21	..
	पुनर्वि०	(-)89.31			
02-	नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय- गैर योजना				
(ii)	मूल	14,54.34			
	पूरक	46.29	11,60.73	11,60.73	..
	पुनर्वि०	(-)3,39.91			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,29.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

191-	नगर निगम को सहायता-				
04-	दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि० योजना	(-)1.00			
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
41-	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत निधियां- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्र तथा राज्य की कि हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अभ्यर्पित कर दी गयी।

45-	केन्द्रीय वित्त आयोग पुरस्कार- गैर योजना				
(i)	मूल	13,67.76			
			5,32.48	5,32.48	..
	पुनर्वि०	(-)8,35.28			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,35.28 लाख की कमी भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

47-	स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	2,00.00			
			45.00	45.00	..
	पुनर्वि०	(-)1,55.00			
	योजना				
(ii)	मूल	23.00			
			5.00	5.00	..
	पुनर्वि०	(-)18.00			
48-	अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	26,18.00			
			13,86.29	13,86.29	..
	पुनर्वि०	(-)12,31.71			
	योजना				
(iv)	मूल	2,63.00			
			1,64.53	1,64.53	..
	पुनर्वि०	(-)98.47			
49-	स्मार्ट सिटी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	75,00.00			
			39,00.00	39,00.00	..
	पुनर्वि०	(-)36,00.00			
	उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51,03.18 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई और राज्य का आनुपातिक हिस्सा भी अभ्यर्पित कर दिया गया। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 6,20.00 लाख, क्रम संख्या (ii) पर ₹ 40,00.00 लाख और क्रम संख्या (iii) पर ₹ 32,40.42 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
50-	सभी के लिए आवास सरदार पटेल शहरी आवास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	6,00.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6,00.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	67.00			
	पुनर्वि०	(-)67.00
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में ₹ 6,67.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्र का हिस्सा प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य का हिस्सा भी अभ्यर्पित कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 11,67.56 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
55-	कूड़ा संवर्धन संयंत्र की स्थापना और भूमि भराव स्थल का विकास- योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
56-	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला जलापूर्ति योजना- योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान टोकन प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण कम कर दिया गया ।					
192-	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-				
04-	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना- योजना				
	मूल	10.00			
	पूरक	16.20	16.21	16.21	..
	पुनर्वि०	(-)9.99			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई ।					
12-	सृजल/ उन्नयन हेतु विशेष राज्य वित्तायोग पुरस्कार- गैर योजना				
	मूल	2,00.00			
	पुनर्वि०	(-)2,00.00
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य में नगर निगम/नगर पंचायत के गैर-सृजन/उन्नयन के कारण कम कर दिया गया।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

14- केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार-
गैर योजना

मूल	26,55.87			
		10,35.02	10,35.02	..
पुनर्वि०	(-)16,20.85			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,20.85 लाख की कमी भारत सरकार से आधारभूत तथा योग्यता के आधार पर अनुदान की दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण हुई।

16- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	8,00.00			
		4,96.00	4,96.00	..
पुनर्वि०	(-)3,04.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,04.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई ।

योजना

मूल	89.00			
		55.00	55.00	..
पुनर्वि०	(-)34.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई ।

17- अटल मिशन कायाकल्प और शहरी रूपांतरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	11,22.00			
		5,94.13	5,94.13	..
पुनर्वि०	(-)5,27.87			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,27.87 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई । जबकि भारत सरकार से ₹ 32,40.42 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।

योजना

मूल	1,12.00			
		70.51	70.51	..
पुनर्वि०	(-)41.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.49 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

18- सरदार पटेल शहरी आवास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	20,00.00			
		5,63.34	5,63.34	..
पुनर्वि०	(-)14,36.66			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,36.66 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई ।

योजना

मूल	2,22.00			
		54.00	54.00	..
पुनर्वि०	(-)1,68.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई ।

20- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी
आजीविका योजना-
गैर योजना

मूल	50.00			
		30.00	30.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी नगर पालिका परिषदों से योजना के अन्तर्गत माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों
या उनके समतुल्य को सहायता-

04- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान टोकन प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण कम कर दिया गया।					
13-	केन्द्रीय वित्त आयोग पुरस्कार-गौर योजना				
(i)	मूल	5,77.37			
	पुनर्वि०	(-)3,52.87	2,24.50	2,24.50	..
14-	स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,47.00			
	पुनर्वि०	(-)2,68.00	79.00	79.00	..
(iii)	मूल	38.00			
	पुनर्वि०	(-)29.00	9.00	9.00	..
16-	सभी के लिए आवास सरदार पटेल शहरी आवास योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	7,67.00			
	पुनर्वि०	(-)1,64.00	6,03.00	6,03.00	..
(v)	मूल	86.00			
	पुनर्वि०	(-)25.70	60.30	60.30	..
उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,39.57 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियों को जारी करने के कारण और केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 6,20.00 लाख और क्रम संख्या (iv) पर ₹ 11,67.56 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

18- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजना
गैर योजना

मूल	50.00			
		30.00	30.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

191- नगर निगम को सहायाता-

49- स्मार्ट सिटी मिशन-

योजना

मूल	7,50.00			
		11,50.00	11,50.00	..
पुनर्वि०	4,00.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख का आवर्धन अधिक निधियाँ जारी होने के कारण हुआ।

53- लाल बहादुर शास्त्री कामगार
एवं शहरी आजीविका योजना-
गैर योजना

मूल	50.00			
		60.00	60.00	..
पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

56- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला
जलापूर्ति योजना-
गैर योजना

पूरक	1,43,22.75			
		1,43,53.00	1,43,53.00	..
पुनर्वि०	30.25			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.25 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत 01-04-2018 से पहले लम्बित देनदारियों के निपटान के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-			
03- लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का एकीकृत विकास-			
051- निर्माण-			
05- प्रस्तावित विकास योजनाओं की तैयारी-			
योजना			
मूल	1,42.00		
		1,21.05	
पुनर्वि०	(-)20.95		..

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.95 लाख की कमी प्रस्तावित विकास योजनाओं की तैयारी न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2049- ब्याज अदायगियां, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवार्ये, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	59,94,83,17			
		59,94,83,18	50,54,90,44	(-)9,39,92,74
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,40,83,58
प्रभारित				
मूल	42,60,00,00			
		42,60,00,03	40,21,52,04	(-)2,38,47,99
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,59,99,01
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,77,51			
		12,77,52	6,50,26	(-)6,27,26
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,30,38
प्रभारित				
मूल	31,84,20,33			
		46,22,90,44	46,73,34,54	+50,44,10
पूरक	14,38,70,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 50,44,10,196 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,39,92.74 लाख अंतिम की बचत की दृष्टि से ₹ 10,40,83.58 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,38,47.99 लाख की बचत हुई जबकि वर्ष के दौरान विभाग के द्वारा ₹ 1,59,99.01 लाख अभ्यर्पित किया गया।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,27.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में ₹ 6,30.38 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 50,44.10 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 14,38,70.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-			
103- लघु बचत को प्रोत्साहन-			
01- लघु बचत संगठन-			
गैर योजना			
मूल	80.03		
		53.85	
		53.85	..
पुनर्वि०	(-)26.18		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

- 095- लेखा एवं खजाना निदेशालय-

- 01- मुख्यालय संगठन-

गैर योजना

मूल 8,39.46

7,33.71

7,33.71

..

पुनर्वि० (-)1,05.75

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

04-	विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली- योजना				
	मूल	10,00.00			
			5,33.85	5,33.85	..
	पुनर्वि०	(-)4,66.15			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,66.15 लाख की कमी बाह्य स्रोतों और ई-कार्यालय प्रशिक्षण पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत और ई-सूचना गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई।				
097-	खजाना स्थापना-				
01-	जिला कोष और उप कोषागार- गैर योजना				
	मूल	30,55.55			
			25,87.21	25,86.25	(-)0.96
	पुनर्वि०	(-)4,68.34			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,68.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।				
098-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-				
01-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन- गैर योजना				
	मूल	9,25.37			
			7,01.54	7,01.54	..
	पुनर्वि०	(-)2,23.83			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,23.83 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-				
01-	नागरिक-				
101-	अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-				
03-	1.11.1966 से अधिवर्षिकी- गैर योजना				
	मूल	29,83,13.85			
			27,69,94.36	28,53,11.06	+83,16.70
	पुनर्वि०	(-)2,13,19.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,13,19.49 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 83,16.70 लाख का अंतिम आधिक्य अपेक्षा से अधिक पेंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

102- पेंशन का साराशीकृत मूल्य-

02- 1.11.1966 से देय उपदान-
गैर योजना

मूल 7,47,08.00

2,63,29.61 2,63,34.16 +4.55

पुनर्वि० (-)4,83,78.39

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83,78.39 लाख की कमी मुख्यतः मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- उपदान-

02- 1.11.1966 से देय उपदान-
गैर योजना

मूल 6,68,79.00

4,89,69.38 4,90,49.76 +80.38

पुनर्वि० (-)1,79,09.62

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,79,09.62 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 80.38 लाख का अन्तिम आधिक्य अपेक्षा से अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

105- पारिवारिक पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व भुगतान-
गैर योजना

मूल 11,82.49

9,38.12 9,38.12 ..

पुनर्वि० (-)2,44.37

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.37 लाख की कमी मुख्यतः मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- 1.11.1966 से भुगतान-
गैर योजना

मूल 7,52,22.86

7,15,56.87 7,15,00.10 (-)56.77

पुनर्वि० (-)36,65.99

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36,65.99 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 56.77 लाख की अन्तिम बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

115- अवकाश नकदीकरण लाभ-

01- अवकाश नकदीकरण-

गैर योजना

मूल 4,05,33.00

3,78,10.66 3,79,02.02 +91.36

पुनर्वि० (-)27,22.34

₹ 91.36 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,22.34 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 91.36 लाख का अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)

117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए

सरकारी अंशदान-

01- अंशदायी पेंशन योजना-

गैर योजना

मूल 3,00,00.00

2,22,99.72 2,22,97.40 (-)2.32

पुनर्वि० (-)77,00.28

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77,00.28 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण -

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- अटल पेंशन योजना-

गैर योजना

मूल 10,00.00

3,75.47 3,75.47 ..

पुनर्वि० (-)6,24.53

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,24.53 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत उपयुक्त अभिदाताओं की अनुपलब्धता के कारण हुई।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और लोक उद्यम संगठन निदेशालय -

गैर योजना

मूल 20,00.00

19,11.30 19,11.30 ..

पुनर्वि० (-)88.70

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.70 लाख की कमी निगमों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला

कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल 11,82.66

पूरक 0.01 10,21.06 10,20.27 (-)0.79

पुनर्वि० (-)1,61.61

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,61.61 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पंद्रहवें वित्त आयोग की यात्रा पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- मशीन/कैलकुलेटर सारणीकरण

इकाई की स्थापना-

गैर योजना

(i) मूल 19.04

14.35 14.51 +0.16

पुनर्वि० (-)4.69

03- राज्य आय अनुमान ईकाइयों में सुधार की स्थापना-

गैर योजना

(ii) मूल 24.30

8.04 8.04 ..

पुनर्वि० (-)16.26

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

04- आर्थिक और सांख्यिकी विभाग पर रखरखाव व्यय-

गैर योजना

मूल 0.01

1.96 1.96 ..

पुनर्वि० 1.95

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.95 लाख का आवर्धन मल प्रणाली की मरम्मत के कारण हुआ।

05- खजाना और लेखा विभाग का रखरखाव व्यय-
गैर योजना

मूल	0.01			
		16.73	16.73	..
पुनर्वि०	16.72			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.72 लाख का आवर्धन कार्यालय की मरम्मत और नवीनीकरण के कारण हुआ।

43- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का व्यय-
गैर योजना

मूल	0.01			
		2.67	2.67	..
पुनर्वि०	2.66			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.66 लाख का आवर्धन स्टील की छत के निर्माण के कारण हुआ।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- नागरिक-

101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते-

02- 1.11.1966 से पहले की अधिवार्षिकी -
गैर योजना

(i) .. 16,47.58 +16,47.58

04- अंशदायी पेंशन योजना-

गैर योजना

(ii) .. 1.04 +1.04

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 16,48.62 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान शिमला तथा उना कोषगारों के द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कोषगारों से पत्राचार किया जा चुका है परन्तु कारण अभी भी प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2019)।

111- विधायकों को पेंशन-

01- राज्य के विधायक-

गैर योजना

मूल	24,53.80			
		24,86.23	24,96.16	+9.93
पुनर्वि०	32.43			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.43 लाख का आवर्धन पेंशन भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष	(₹ लाख में)		
2049- ब्याज अदायगियां-			
01- आँतरिक ऋणों पर ब्याज-			
101- बाजारी ऋणों पर ब्याज-			
20- 13.75 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- गैर योजना			
(i) मूल	35,00.00		

पुनर्वि०	(-)35,00.00		
24- 8.31 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- गैर योजना			
(ii) मूल	10,38.75		

पुनर्वि०	(-)10,38.75		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,38.75 लाख की कमी समस्त विनियोजन निर्धारित समय पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया।			
61- 8.74 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- गैर योजना			
(i) मूल	9,00.22		
	4,50.11	4,50.11	..
पुनर्वि०	(-)4,50.11		
62- 9.30 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- गैर योजना			
(ii) मूल	8,08.17		
	4,04.09	4,04.09	..
पुनर्वि०	(-)4,04.08		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 8,54.19 लाख की कमी निर्धारित समय पर ब्याज का कम भुगतान करने के कारण हुई।			
80- 8.16 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

गैर योजना				
(i)	मूल	12,24.00
	पुनर्वि०	(-)12,24.00
81-	8.50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- गैर योजना			
(ii)	मूल	17,00.00
	पुनर्वि०	(-)17,00.00
82-	8.40 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- गैर योजना			
(iii)	मूल	8,40.00
	पुनर्वि०	(-)8,40.00
83-	8.03 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- गैर योजना			
(iv)	मूल	24,09.00
	पुनर्वि०	(-)24,09.00
84-	8.00 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- गैर योजना			
(v)	मूल	21,92.11
	पुनर्वि०	(-)21,92.11
85-	8.35 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- गैर योजना			
(vi)	मूल	18,78.75
	पुनर्वि०	(-)18,78.75

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,02,43.86 लाख का समस्त विनियोजन ब्याज के भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण-
गैर योजना

मूल 2,01,46.74

पुनर्वि० (-)2,01,46.74

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,01,46.74 लाख का समस्त विनियोजन में अनुसूची के अनुसार में नए ऋण के लिए प्रावधान रखने और ब्याज का भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया। वर्ष 2010-11 से ऐसा विनियोजन किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

05- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-
गैर योजना

मूल 10,00.00 10,00.00 9,91.63 (-)8.37

₹ 8.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

07- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक-
गैर योजना

मूल 1,60,00.00

1,42,00.00 1,38,15.32 (-)3,84.68

पुनर्वि० (-)18,00.00

₹ 3,84.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 18,00.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,84.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

15- आवास और शहरी विकास निगम से
लिए गए ऋणों पर ब्याज-
गैर योजना

मूल 1,00.00

88.00 86.74 (-)1.26

पुनर्वि० (-)12.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 12.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- सामान्य भविष्य निधि-

गैर योजना

मूल 10,61,73.00

11,10,90.60 10,39,73.62 (-)71,16.98

पुनर्वि० 49,17.60

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 49,17.60 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 71,16.98 लाख की अंतिम बचत पिछले वर्ष के अनुसार ब्याज की दर में वृद्धि न होने के कारण हुई।

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-
गैर योजना

मूल	22,80.00			
		21,33.00	19,44.31	(-)1,88.69
पुनर्वि०	(-)1,47.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,47.00 लाख की कमी निर्धारित समय पर ब्याज का कम भुगतान करने के कारण हुई।

₹1,88.69 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाख में)		
2049- ब्याज अदायगियां-				
01- आंतरिक ऋणों पर ब्याज-				
101- बाजार ऋणों पर ब्याज-				
01- 8.26 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2019- गैर योजना				
(i) मूल	16,52.00			
		74,34.00	74,34.00	..
पुनर्वि०	57,82.00			
बी 6- 7.78 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021- गैर योजना				
(ii) पूरक	0.01			
		38,90.00	38,90.00	..
पुनर्वि०	38,89.99			
बी 7- 7.79 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022- गैर योजना				
(iii) पूरक	0.01			
		23,37.00	23,37.00	..
पुनर्वि०	23,36.99			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

बी 8- 8.18 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण 2020-
गैर योजना

(iv) पूरक	0.01			
		32,72.00	32,72.00	..
पुनर्वि०	32,71.99			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,52,80.97 लाख का आवर्धन ब्याज की अदायगी के कारण हुआ।

115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-
01- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-
गैर योजना

मूल	0.01			
		95.76	95.75	(-)0.01
पुनर्वि०	95.75			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 95.75 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

116- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-
01- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -
गैर योजना

मूल	4,00.00			
		6,09.16	9,78.74	+3,69.58
पुनर्वि०	2,09.16			

₹ 3,69.58 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,09.16 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 3,69.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

305- ऋण प्रबंधन-
01- ऋण प्रबंधन-
गैर योजना

मूल	5,39.00			
		5,50.00	5,82.07	+32.07
पुनर्वि०	11.00			

₹ 32.07 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 11.00 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 32.07 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

03- लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

03- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि-

गैर योजना

मूल 4,08.00

9,63.00

4,14.20

(-)5,48.80

पुनर्वि० 5,55.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,55.00 लाख का आवर्धन पिछले वर्ष की तरह ब्याज भुगतान के कारण हुआ।

₹ 5,48.80 लाख की अन्तिम बचत पिछले वर्ष की तरह ब्याज की दर में वृद्धि न होने के कारण थे।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-

01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-

गैर योजना

मूल 58,61.83

65,34.70

65,34.70

..

पुनर्वि० 6,72.87

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6,72.87 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक 0.01

7.50

..

(-)7.50

पुनर्वि० 7.49

₹ 7.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.49 लाख का आवर्धन ऋण अग्रिम मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 7.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

योजना

मूल	6,00.00			
		1,33.34	1,43.96	+10.62
पुनर्वि०	(-)4,66.66			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,66.66 लाख की कमी ऋण अग्रिम आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 02- मन्त्रियों/उप मन्त्रियों तथा राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों को अग्रिम-
गैर योजना

मूल	50.00			
	
पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण अग्रिम प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 03- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/लोकायुक्त/
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों और
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/
सदस्यों को अग्रिम गृह निर्माण के लिए-

(i) गैर योजना

मूल	7.50			
	
पुनर्वि०	(-)7.50			

- 202- मोटर वाहन की खरीद करने के लिए अग्रिम-

- 03- मंत्रियों तथा राज्य विधान सभा के अधिकारियों को मोटर कार हेतु अग्रिम-
गैर योजना

(ii) मूल

मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27.50 लाख का समस्त प्रावधान ऋण अग्रिम मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 800- अन्य अग्रिम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

04-	शिक्षा ऋण- गैर योजना	मूल	3,00.00			
				8.54	8.54	..
	पुनर्वि०		(-)2,91.46			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,91.46 लाख की सारभूत कमी ऋण अग्रिम मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
(xi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-					
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)		
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-					
	01- कार्यालय भवन-					
	051- निर्माण-					
	08- कोषागार सगठन- योजना	मूल	2,50.00			
				3,50.00	3,50.00	..
	पुनर्वि०		1,00.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में आवासीय भवन के निर्माण के कारण हुआ।					
34-	विश्व बैंक समर्थित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत कोषागार भवन योजना	मूल	50.00			
				1,45.26	1,45.26	..
	पुनर्वि०		95.26			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.26 लाख का आवर्धन करसोग, अंब और सुन्नी के उप-कोषागारों के कार्यालय भवनों के निर्माण के कारण हुआ।					
7610-	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -					
	202- मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-					
	04- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/लोकायुक्त/प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों को ऋण- गैर योजना	मूल	0.01			
				2.50	2.50	..
	पुनर्वि०		2.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.49 लाख का आवर्धन ऋण अग्रिम मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(xii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-
गैर योजना

मूल 17,00.00

17,24.03

17,24.03

..

पुनर्वि० 24.03

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 24.03 लाख का आवर्धन ऋण की वापसी करने के कारण हुआ।

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

01- साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट अधिविकरण-

गैर योजना

मूल 0.01

पूरक 14,38,70.11

14,44,59.00

14,95,93.00

+51,34.00

पुनर्वि० 5,88.88

₹ 51,34.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,88.88 लाख का आवर्धन भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय तथा ओवर ड्राफ्ट अधिविकरण की अदायगी के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 51,34.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-

02- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए ऋण-

101- खण्ड ऋण-

01- सामान्य ऋण-

गैर योजना

मूल 37,39.56

39,26.47

39,26.47

..

पुनर्वि० 1,86.91

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,86.91 लाख का आवर्धन ऋण भुगतान की अदायगी करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (समाप्त)

(xiii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	------------------	-----------------------

(₹ लाख में)

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

105- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण-

01- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण-
गैर योजना

मूल 4,00,00.00

3,92,00.00

3,91,10.16

(-)89.84

पुनर्वि० (-)8,00.00

₹ 89.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 8,00.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ऋण की अदायगी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 89.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	89,89,50			
		1,07,29,45	98,32,26	(-)8,97,19
पूरक	17,39,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				8,97,29
प्रभारित				
मूल	..			
		73,97,00	73,97,00	..
पूरक	73,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	50,66,03			
		50,66,03	46,60,62	(-)4,05,41
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				4,05,42

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,97.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 17,39.95 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 8,97.29 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,05.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,05.42 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
003- प्रशिक्षण -			
03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन- संस्थान- गैर योजना			
मूल	4,63.05		
पुनर्वि०	(-)96.22		
	3,66.83	3,66.81	(-)0.02
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि फर्नीचर और विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
05- भाषा विभाग-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- गैर योजना			
(i) मूल	4,06.61		
पुनर्वि०	(-)1,03.04		
	3,03.57	3,03.74	+0.17
2204- खेलकूद एवं युवा सेवाएं-			
101- शारीरिक शिक्षा-			
01- शारीरिक शिक्षा योजना- गैर योजना			
(ii) मूल	1,02.97		
पुनर्वि०	(-)35.22		
	67.75	67.74	(-)0.01
104- खेल एवं क्रीड़ा-			
01- पर्वतारोहरण संस्थान तथा सम्बद्ध खेल, मनाली-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

गैर योजना				
(iii) मूल	4,85.53			
		3,41.98	3,41.98	..
पुनर्वि०	(-)1,43.55			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,81.81 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
2205- कला एवं संस्कृति-				
102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन-				
02- त्योहारों पर खर्च-				
योजना				
मूल	1,97.00			
		1,50.48	1,50.48	..
पुनर्वि०	(-)46.52			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.52 लाख की कमी आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से समृति समारोह आयोजन न कर सकने के कारण हुई।				
04- कला केन्द्र-				
गैर योजना				
मूल	33.59			
		24.12	24.11	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)9.47			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और रख-रखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
07- वृत्तचित्र कलाकारों को वित्तीय सहायता-				
गैर योजना				
मूल	30.00			
	
पुनर्वि०	(-)30.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
09- देव भूमि दर्शन योजना-				
गैर योजना				
मूल	50.00			
		0.69	0.69	..
पुनर्वि०	(-)49.31			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.31 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

103- पुरातत्व विज्ञान-

- 01- प्राचीन कला और कला भू-निधि
अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल	1,89.22				
		1,23.05	1,23.04	(-)0.01	
पुनर्वि०	(-)66.17				

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 66.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- अभिलेखागार-

- 01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-
गैर योजना

मूल	91.07				
		65.95	65.95	..	
पुनर्वि०	(-)25.12				

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	2.00				
		
पुनर्वि०	(-)2.00				

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों के संचालन न करने के कारण कम कर दिया गया।

107- संग्रहालय-

- 01- हिमाचल राजकीय संग्रहालय-
गैर योजना

मूल	2,55.66				
		2,24.29	2,24.31	+0.02	
पुनर्वि०	(-)31.37				

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- फिल्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 6,19.03

5,31.75

5,31.74

(-)0.01

पुनर्वि० (-)87.28

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराया दर और करों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल 8,40.48

6,81.90

6,81.89

(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,58.58

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- फिल्मों का निर्माण-

01- इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का

उत्पादन और प्रदर्शन-

गैर योजना

मूल 1,91.84

1,62.01

1,62.01

..

पुनर्वि० (-)29.83

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और सामग्री और आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

60- अन्य

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रैस सूचना बैंक सेवाएं-

गैर योजना

मूल 3,46.86

2,99.34

2,99.34

..

पुनर्वि० (-)47.52

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- हिमाचल प्रदेश पत्रकार
कल्याण योजना-
गैर योजना
मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-

01- मंदिरों का प्रबन्ध-

गैर योजना

मूल 1,22.13

71.20

71.20

..

पुनर्वि० (-)50.93

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

23- लोक सम्पर्क विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल 0.01

12.84

12.84

..

पुनर्वि० 12.83

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.83 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-

01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-
गैर योजना

मूल 2,10.38

2,33.68

2,33.68

..

पुनर्वि० 23.30

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.30 लाख का आवर्धन किराया दर, करों और बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि खाली पदों को न भरने व संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

05- भाषा विकास-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-
योजना

मूल 16.00

20.53

20.53

..

पुनर्वि० 4.53

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.53 लाख का आवर्धन कवि सम्मेलनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-
गैर योजना

मूल 12,38.10

13,16.66

13,16.65

(-)0.01

पुनर्वि० 78.56

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.56 लाख का आवर्धन अतिरिक्त खेल गतिविधियों के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला एवं संस्कृति का संवर्धन-

05- अन्य संस्थानों को सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	10.00			
		16.80	16.80	..
पुनर्वि०	6.80			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.80 लाख का आवर्धन सांस्कृतिक गतिविधियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

107- गीत तथा नाटक सेवाएं-

01- गीत तथा नाटक सेवाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,84.13			
		2,29.64	2,29.64	..
पुनर्वि०	45.51			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.51 लाख का आवर्धन व्यवसायिक व विशेष सेवाओं की भर्ती के कारण हुआ जोकि कि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

110- प्रकाशन-

01- प्रकाशन स्कीम पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,89.52			
		2,39.62	2,39.62	..
पुनर्वि०	50.10			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.10 लाख का आवर्धन प्रकाशन कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

102- खेल क्रीड़ा स्थल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

01-	बहुउद्देशीय खेल परिसर- योजना				
	मूल	3,90.00			
			3,65.00	3,65.00	..
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई।				
04-	मुख्य मंत्री खेल विकास योजना- गैर योजना				
	मूल	6,80.00			
			4,60.00	4,60.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,20.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
04-	कला एवं संस्कृति-				
106-	संग्रहालय-				
01-	भवन- योजना				
(i)	मूल	1,10.00			
			14.14	14.14	..
	पुनर्वि०	(-)95.86			
800-	अन्य व्यय-				
01-	भवन- योजना				
(ii)	मूल	1,00.00			
			78.18	78.18	..
	पुनर्वि०	(-)21.82			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.68 लाख की कमी आचार संहिता लागू होने के कारण निर्माण कार्य पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
4220-	सूचना तथा प्रचार पर				
	पूँजीगत परिव्यय-				
60-	अन्य -				
101-	भवन-				
02-	प्रेस क्लब भवन का निर्माण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

गैर योजना

मूल	50.00			
		4.80	4.80	..
पुनर्वि०	(-)45.20			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.20 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4220- सूचना तथा प्रचार पर
पूँजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

101- भवन-

01- लोक निर्माण-

गैर योजना

मूल	19.00			
		29.08	29.08	..
पुनर्वि०	10.08			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.08 लाख का आवर्धन मशीनरी और अपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम एवं रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-बिजली, 2810- नई तथा नवीकरण उर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3054- सड़कें तथा पुल, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- सिविल आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य बचत	(+) (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,64,91,92	12,64,92,41	9,39,20,39	(-)3,25,72,02
पूरक	49			

(₹ हजार में)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019) 3,36,54,81

प्रभारित

मूल	..				
		36,46	25,80	(-)10,66	
पूरक	36,46				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..

पूंजीगत प्रवर्ग**दत्तमत**

मूल	3,54,98,06				
		3,81,67,78	2,99,43,20	(-)82,24,58	
पूरक	26,69,72				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019) 80,79,98

प्रभारित

मूल	..				
		19,32	18,95	(-)37	
पूरक	19,32				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,25,72.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में ₹ 3,36,54.81 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 10.66 लाख की बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 36.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 82,24.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 26,69.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 80,79.98 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2014- न्याय प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	2,30.42			
		2,06.74	2,06.73	(-)0.01

पुनर्वि० (-)23.68

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

2015- चुनाव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- स्थानीय संस्थानों के चुनावों से

सम्बन्धित प्रभार पर व्यय-

गैर योजना

मूल	33.47			
		3.07	3.07	..

पुनर्वि० (-)30.40

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.40 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने, रिक्त पदों को न भरने तथा टेलिफोन, पानी और बिजली बिलों पर कम व्यय करने के कारण हुई।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	5,27.46			
		3,89.48	4,53.01	+63.53

पुनर्वि० (-)1,37.98

₹ 63.53 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बिजली, पानी तथा दूरभाष प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 63.53 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों

का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-

गैर योजना

मूल	1,19.12			
		64.75	68.31	+3.56

पुनर्वि० (-)54.37

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.37 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 11,31.25

8,39.09

8,77.34

+38.25

पुनर्वि० (-)2,92.16

₹ 38.25 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,92.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी, बिजली बिलों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन की दरों पर बढ़ोतरी, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 38.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय/

(विशेष केन्द्रीय सहायता)-

गैर योजना

मूल 1,90.56

1,37.96

1,37.96

..

पुनर्वि० (-)52.60

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, पानी प्रभार तथा बिजली बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

योजना

मूल 2,40.00

48.14

48.14

..

पुनर्वि० (-)1,91.86

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.86 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

13- अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त दण्डाधिकारी भरमौर के कार्यालय पर व्यय-

गैर योजना

मूल 14.33

6.18

6.18

..

पुनर्वि० (-)8.15

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.15 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01- जिला कोषागार तथा उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

मूल	3,27.85			
		2,79.90	2,79.79	(-)0.11
पुनर्वि०	(-)47.95			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत व रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-
गैर योजना

मूल	54,68.73			
पूरक	0.01	45,37.88	45,37.89	+0.01
पुनर्वि०	(-)9,30.86			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,30.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बिजली, पानी, दूरभाष बिलों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, मरम्मत बाह्य स्रोतों तथा वाहनों के रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

04- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग पर व्यय-
गैर योजना

मूल	7,74.32			
		6,78.63	6,78.64	+0.01
पुनर्वि०	(-)95.69			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

07- सुरक्षा सम्बन्धित व्यय-
गैर योजना

मूल	23.06			
		11.49	11.49	..
पुनर्वि०	(-)11.57			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.57 लाख की कमी सुरक्षा सम्बन्धित मानदेय के भुगतान पर कम व्यय करने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

11-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान- गैर योजना				
	मूल	10,55.48	10,55.48	8,40.84	(-)2,14.64
					₹ 2,14.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

13-	स्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव- योजना				
	मूल	36.00			
			27.18	27.18	..
	पुनर्वि०	(-)8.82			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.82 लाख की कमी भवनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी स्थापना पर व्यय- गैर योजना				
(i)	मूल	6,29.30			
			3,46.06	3,66.21	+20.15
	पुनर्वि०	(-)2,83.24			

02-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग पर व्यय- गैर योजना				
(ii)	मूल	10,85.67			
			7,92.04	8,38.45	+46.41
	पुनर्वि०	(-)2,93.63			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 66.56 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में ₹ 5,76.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 66.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

2062-	सतर्कता-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधक ब्यूरो- गैर योजना				
	मूल	1,77.54			
			1,32.38	1,32.37	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)45.16			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-
गैर योजना

मूल 1,27.92

1,00.45

1,00.45

..

पुनर्वि० (-)27.47

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.47 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारियों पर व्यय-
गैर योजना

मूल 1,15.99

92.76

92.76

..

पुनर्वि० (-)23.23

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.23 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारियों पर व्यय-

गैर योजना

मूल 4,20.02

3,03.82

3,03.82

..

पुनर्वि० (-)1,16.20

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली, पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल 81,99.07

69,69.38

69,69.30

(-)0.08

पुनर्वि० (-)12,29.69

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,29.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

योजना

मूल 6,23.00

4,72.78

4,72.79

+0.01

पुनर्वि० (-)1,50.22

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.22 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, वस्तुओं, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि वस्तुओं पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

09- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय-
योजना

मूल	2.00			
		1.15	1.15	..
पुनर्वि०	(-)0.85			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.85 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिए कम छात्रों की पात्रता के कारण हुई।

10- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्राथमिक
शिक्षा की सहायता अनुदान-
योजना

मूल	6,41.00			
		3,53.77	3,53.77	..
पुनर्वि०	(-)2,87.23			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,87.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुई।

11- गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	8,35.00			
		3,13.21	3,13.21	..
पुनर्वि०	(-)5,21.79			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,21.79 लाख की कमी मध्याह्न भोजन सामग्री की कम खरीद, मानदेय, बिजली/पानी, व दूरभाष बिलों तथा बाह्य स्त्रोतों पर कम भुगतान के कारण हुई जोकि मानदेय प्रदान करने के लिए अधिक व्यय तथा मध्याह्न भोजन के लिए बर्तनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

12- सर्व शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	32,40.00			
		13,11.93	13,11.93	..
पुनर्वि०	(-)19,28.07			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,28.07 लाख की कमी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 13,59.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	3,60.00			
		1,45.77	1,45.77	..
पुनर्वि०	(-)2,14.23			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.23 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुई इसलिए राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त हिस्सेदारी उपलब्ध हुई।				
16-	अटल वर्दी योजना-			
	योजना			
(i)	मूल	2,24.00		
	
	पुनर्वि०	(-)2,24.00		
19-	उर्दू एवं पंजाबी अध्यापक-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(ii)	मूल	12.00		
	
	पुनर्वि०	(-)12.00		
20-	सफाई कर्मचारी वर्ग के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(iii)	मूल	4.00		
	
	पुनर्वि०	(-)4.00		
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारकताओं को पूरा न करने तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-गैर योजना			
	मूल	44,56.83		
		36,52.34	36,52.34	..
	पुनर्वि०	(-)8,04.49		
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,04.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	2,39.00			
		1,46.76	1,46.76	..

पुनर्वि० (-)92.24

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.24 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भिन्न
उच्च विद्यालय पर व्यय-

गैर योजना

मूल	58,25.17			
		48,40.84	48,40.83	(-)0.01

पुनर्वि० (-)9,84.33

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,84.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

योजना

मूल	4,11.00			
		2,84.44	2,84.44	..

पुनर्वि० (-)1,26.56

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों फर्नीचर की खरीद पर व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता तथा रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

09- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	16,61.00			
		6,97.16	6,97.16	..

पुनर्वि० (-)9,63.84

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,63.84 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण तथा योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने से हुई। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 6,30.39 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	1,85.00			
		77.47	77.47	..

पुनर्वि० (-)1,07.53

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.53 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

12-	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की मैरिट के उन्नयन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00
13-	छात्र डिजिटल योजना - योजना				
(ii)	मूल	1,62.00			
	पुनर्वि०	(-)1,62.00
15-	अटल/मुख्यमंत्री वर्दी योजना- योजना				
(iii)	मूल	1,17.00			
	पुनर्वि०	(-)1,17.00
16-	उच्चतर शिक्षा के व्यावसायिकरण पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	मूल	9,66.00			
	पुनर्वि०	(-)9,66.00
	योजना				
(v)	मूल	1,07.00			
	पुनर्वि०	(-)1,07.00
18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	1,06.00			
	पुनर्वि०	(-) 67.09	38.91	38.91	..
19-	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vii)	मूल	13.00			
	पुनर्वि०	(-)13.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

22-	सूचना एवं संचार प्राद्यौगिकी के लिए सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(viii)	मूल	4,92.00			
			2,70.00	2,70.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,22.00			
	योजना				
(ix)	मूल	49.00			
		
	पुनर्वि०	(-)49.00			
23-	बोर्ड परीक्षाओं के लिए सी०सी०टी०वी० किराये पर लेना- योजना				
(x)	मूल	18.00			
		
	पुनर्वि०	(-)18.00			
03-	विश्व विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
796-	जनजातिय क्षेत्र उप योजना-				
02-	डिग्री कालेजों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(xi)	मूल	12,15.00			
			7,43.15	7,43.15	..
	पुनर्वि०	(-)4,71.85			
	उपरोक्त ग्यारह मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 21,95.94 लाख की कमी संहितागत औपचारकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
	गैर योजना				
	मूल	7,41.00			
			5,38.41	5,38.42	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)2,02.59			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.59 लाख की कमी संहितागत औपचारिकतरसों को पूरा न करने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
08-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	5,40.00			
			2,21.64	2,21.64	..
	पुनर्वि०	(-)3,18.36			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,18.36 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,21.64 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	54.00			
		24.63	24.63	..
पुनर्वि०	(-)29.37			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.37 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी की गईं इसलिए राज्य सरकार द्वारा कम समुत्पन्न राशि उपलब्ध करवाई गई।				
2204- खेलकूद तथा सुवा सेवाएं-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- पर्वतारोहण पर व्यय-				
योजना				
मूल	43.00			
		20.92	38.91	+17.99
पुनर्वि०	(-)22.08			
₹ 17.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पर्वतारोहण के लिए वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत संगोष्ठियों/सम्मेलन/प्रशिक्षण के कम आयोजन करने से हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
₹ 17.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
2205- कला एवं संस्कृति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	18.04			
		12.80	12.79	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5.24			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.24 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-				
योजना				
मूल	1,01.00			
		78.72	78.72	..
पुनर्वि०	(-)22.28			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.28 लाख की कमी पुरातत्व कक्ष पर कम व्यय के कारण हुई।				
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना					
	मूल	1,66.07			
			1,32.98	1,32.98	..
	पुनर्वि०	(-)33.09			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 33.09 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	94.40			
			64.60	56.71	(-)7.89
	पुनर्वि०	(-)29.80			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान मे ₹ 29.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
02-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-				
गैर योजना					
(i)	मूल	7,63.59			
			5,18.54	5,18.02	(-)0.52
	पुनर्वि०	(-)2,45.05			
03-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	9,39.80			
			8,10.24	8,04.90	(-)5.34
	पुनर्वि०	(-)1,29.56			
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-				
गैर योजना					
(iii)	मूल	5,40.62			
			4,30.52	4,21.76	(-)8.76
	पुनर्वि०	(-)1,10.10			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 4,84.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
06-	आयुर्वेदिक, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होमयोपैथी-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-					
योजना					
(i)	मूल	69.00			
		
	पुनर्वि०	(-)69.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	9.00
	पुनर्वि०	(-)9.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 78.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।					
06- लोक स्वास्थ्य-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-					
गैर योजना					
(i)	मूल	83.69	50.67	50.67	..
	पुनर्वि०	(-)33.02			
04- यौन संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-					
गैर योजना					
(ii)	मूल	62.67	47.65	55.20	+7.55
	पुनर्वि०	(-)15.02			
05- विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय-					
गैर योजना					
(iii)	मूल	1,30.15	1,14.13	1,06.93	(-)7.20
	पुनर्वि०	(-)16.02			
12- राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण निगरानी इकाईयों की स्थापना-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(iv)	मूल	28.00	11.35	11.35	..
	पुनर्वि०	(-)16.65			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.71 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
15- अभिघात केन्द्र-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(i)	मूल	81.00
	पुनर्वि०	(-)81.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	9.00
	पुनर्वि०	(-)9.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 90.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।					
2211- परिवार कल्याण-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय-					
गैर योजना					
	मूल	50.55	30.28	30.28	..
	पुनर्वि०	(-)20.27			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.27 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
	मूल	5,53.00	4,55.85	4,54.10	(-)1.75
	पुनर्वि०	(-)97.15			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 97.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों की खरीद, दवाईयों/वस्तुओं व उपकरणों की मरम्मत पर कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	7.20	2.14	2.14	..
	पुनर्वि०	(-)5.06			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
05- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-					
योजना					
	मूल	6.50	1.25	1.25	..
	पुनर्वि०	(-)5.25			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.25 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06-	उत्कृष्ट महिला जन्मदर अनुपात हेतु ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना	मूल	5.00				
		पुनर्वि०	(-)5.00				
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।						
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना						
(i)	मूल	30,97.00		12,93.00	12,93.00		..
	पुनर्वि०	(-)18,04.00					
	योजना						
(ii)	मूल	3,44.00		2,94.00	2,94.00		..
	पुनर्वि०	(-)50.00					
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,54.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान कम जारी करने के कारण हुई। इसलिए राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।						
09-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना						
(i)	मूल	1,08.00		6.52	6.52		..
	पुनर्वि०	(-)1,01.48					
10-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना						
(ii)	मूल	2,10.00					..
	पुनर्वि०	(-)2,10.00					
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,11.48 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां को जारी न करने के कारण हुई।						
2215-	जलापूर्ति तथा सफाई-						
01-	जलापूर्ति-						
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
01-	ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय-						

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	68.00			
		51.43	51.43	..

पुनर्वि० (-)16.57

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों के कम स्थानान्तरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	28,53.61			
		27,85.40	23,91.75	(-)3,93.65

पुनर्वि० (-)68.21

₹ 3,93.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,93.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

09- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-

गैर योजना

मूल	25,77.78			
		11,62.57	15,56.51	+3,93.94

पुनर्वि० (-)14,15.21

₹ 3,93.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,15.21 लाख की कमी रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 3,93.94 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

02- सीवरेज और स्वच्छता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मल निकासी योजना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	19.42			
		13.71	13.70	(-)0.01

पुनर्वि० (-)5.71

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.71 लाख की कमी ऊर्जा प्रभारों तथा मल निकासी योजना के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/

इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 3,02.00

पुनर्वि० (-)3,02.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,02.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 54.00

41.00

41.00

..

पुनर्वि० (-)13.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी भारत सरकार से कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुई इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की गई ।

05- साधारण पुल आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

योजना

मूल 2.00

2.00

..

(-)2.00

₹ 2.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 40.00

28.18

28.19

+0.01

पुनर्वि० (-)11.82

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

गैर योजना

मूल 99.80

72.36

72.35

(-)0.01

पुनर्वि० (-)27.44

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि बाहरी स्त्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजना

मूल	16.00			
		11.36	11.35	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)4.64			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.64 लाख की कमी दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर व्यय-
योजना

मूल	20.00			
		9.43	9.43	..
पुनर्वि०	(-)10.57			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.57 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की कम पात्रता होने के कारण हुई।

**12- कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-
योजना**

मूल	60.00			
		13.84	13.84	..
पुनर्वि०	(-)46.16			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.16 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- श्रम-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- श्रम कानूनों को लागू करने पर व्यय-

गैर योजना

मूल	30.50			
		21.39	21.39	..
पुनर्वि०	(-)9.11			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	रोजगार सेवाएं-				
796-	जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रोजगार सेवाओं पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	74.55			
			30.00	32.34	+2.34
	पुनर्वि०	(-)44.55			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	12.00			
			8.39	8.57	+0.18
	पुनर्वि०	(-)3.61			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.61 लाख की कमी दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
02-	बेरोजगारी भत्ता-				
	गैर योजना				
	पूरक	1,00.00			
			52.83	52.83	..
	पुनर्वि०	(-)47.17			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.17 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय हाने के कारण हुई।				
03-	प्रशिक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्रों पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	10.48			
			4.76	4.76	..
	पुनर्वि०	(-)5.72			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.72 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
04-	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	योजना				
	मूल	1,29.00			
			81.39	1,00.84	+19.45
	पुनर्वि०	(-)47.61			
	₹ 19.45 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.61 लाख की कमी ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों व वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई जोकि मानदेय के लिए अधिक पात्रता होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 19.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06- कौशल विकास भत्ता-
गैर योजना

मूल 1,03.37

25.02

25.02

..

पुनर्वि० (-)78.35

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.35 लाख की कमी कौशल विकास भत्ते के लिए कम आवेदनों की प्राप्ति होने तथा विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय होने के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर व्यय

गैर योजना

मूल 4.50

3.24

3.24

..

पुनर्वि० (-)1.26

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.26 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई ।

02- एकीकृत शिशु रक्षा सेवाओं पर व्यय-
योजना

मूल 30.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

03- एकीकृत बाल विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 22,18.00

6,34.53

6,34.52

(-)0.01

पुनर्वि० (-)15,83.47

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,83.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत, बिजली, पानी/दूरभाष बिलों तथा लेखन सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

योजना

मूल 2,65.00

50.16

50.16

..

पुनर्वि० (-)2,14.84

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.84 लाख की कमी रक्त पदों को न भरने, एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत, बिजली, पानी/दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

08- विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-
योजना

मूल	4.50			
		2.50	2.50	..
पुनर्वि०	(-)2.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

11- बलात्कार पीड़ितों को सहायता-
योजना

मूल	2.00			
		0.75	0.75	..
पुनर्वि०	(-)1.25			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.25 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।

15- विकलांग बच्चों का कल्याण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

19- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1,68.00			
		92.90	92.90	..
पुनर्वि०	(-)75.10			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 75.10 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	17.00			
		8.36	8.36	..
पुनर्वि०	(-)8.64			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.64 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न होने के कारण हुई इसलिए राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी ।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तथा

वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 4,06.00

3,77.33

3,77.34

+0.01

पुनर्वि० (-)28.67

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.67 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा से कम निधियां जारी होने तथा योजना के अन्तर्गत कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सचिवालय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल 1,06.20

56.17

56.17

..

पुनर्वि० (-)50.03

02- आयुक्त जनजातीय/अनुसूचित जाति

विकास कार्यालय पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल 1,63.00

1,18.36

1,18.36

..

पुनर्वि० (-)44.64

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 94.67 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल 1,05.20

53.85

53.85

..

पुनर्वि० (-)51.35

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.35 लाख की कमी वस्तुओं, दूरभाष, पानी व बिजली बिलों पर कम व्यय, कर्मचारियों द्वारा कम दौर करने तथा बैठकों व सम्मेलनों के कम आयोजन करने के कारण हुई जोकि नए वाहनों को खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- मूलभूत सुविधाओं पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
मूल	9,45.00				
		2,71.76	2,71.76		..
पुनर्वि०	(-)6,73.24				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,73.24 लाख की कमी जनजातीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं व आधारभूत मामूली रखरखाव पर कम व्यय तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
04-	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा-योजना				
मूल	12,72.00				
		7,89.51	7,89.51		..
पुनर्वि०	(-)4,82.49				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,82.49 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय करने के कारण हुई।					
06-	जनजातीय अध्ययन संस्थान को सहायता अनुदान-योजना				
मूल	16.00				
		9.00	9.00		..
पुनर्वि०	(-)7.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई।					
2401-	फसल कृषि-कर्म-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कृषि विभाग की जिला स्थापना पर व्यय-गैर योजना				
(i)	मूल	94.69			
			41.91	41.81	(-)0.10
	पुनर्वि०	(-)52.78			
03-	कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-गैर योजना				
(ii)	मूल	78.21			
			49.91	49.90	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)28.30			
04-	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जिला स्थापना पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना					
(iii)	मूल	78.02			
			48.59	48.58	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)29.43			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
05-	उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	7,97.99			
			5,52.06	5,96.04	+43.98
	पुनर्वि०	(-)2,45.93			
₹ 43.98 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुई।					
₹ 43.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
08-	जनजातीय क्षेत्रों (पॉकेट्स) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय- योजना				
	मूल	10.10			
			6.39	6.39	..
	पुनर्वि०	(-)3.71			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.71 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम योग्य आवेदको के कारण हुई।					
09-	उद्यान विभाग की योजनाओं पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- योजना				
	मूल	55.00			
			49.27	54.70	+5.43
	पुनर्वि०	(-)5.73			
5.43 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.73 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम योग्य आवेदको के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।					
₹ 5.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
12-	सेब स्कैब के उपदान पर व्यय- योजना				
	मूल	6.50			
			3.24	3.72	+0.48
	पुनर्वि०	(-)3.26			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पूनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.26 लाख की कमी कृषि सम्बंधी योजना के अन्तर्गत उपकरणों/बिजों की उपलब्धि पर कम व्यय होने के कारण हुई।

17- उद्यान योजनाओं पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1,17.21			
		87.02	95.97	+8.95
पुनर्वि०	(-)30.19			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	1,46.00			
		27.20	27.20	..
पुनर्वि०	(-)1,18.80			

(ii) मूल	16.00			
		2.28	2.28	..
पुनर्वि०	(-)13.72			

23- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	65.00			
		6.30	6.30	..
पुनर्वि०	(-)58.70			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.22 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न होने के कारण हुई।

योजना

मूल	7.00			
		0.70	0.70	..
पुनर्वि०	(-)6.30			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.30 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की कम पात्रता होने के कारण हुई।

28- बगीचे/नर्सरी की स्थापना तथा रखरखाव-
योजना

मूल	14.00			
		8.38	8.78	+0.40
पुनर्वि०	(-)5.62			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजना द्वारा प्रावधान में ₹ 5.62 लाख की कमी फलों को डिब्बे में बन्द करने के लिए मशीन की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
30-	मशीनरी और औजारों के वितरण पर व्यय- केन्द्रगत योजना योजना				
(i)	मूल	14.00			
			10.42	10.42	..
	पुनर्वि०	(-)3.58			
31-	पौधों के बचाओं पर व्यय- केन्द्रगत योजना योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			2.34	2.34	..
	पुनर्वि०	(-)2.66			
32-	पुष्पोत्पादन के विकास पर व्यय- केन्द्रगत योजना योजना				
(iii)	मूल	2.00			
			0.60	0.60	..
	पुनर्वि०	(-)1.40			
34-	खुम्ब का विकास- केन्द्रगत योजना योजना				
(iv)	मूल	2.00			
			0.44	0.44	..
	पुनर्वि०	(-)1.56			
36-	पौध वितरण पर व्यय- केन्द्रगत योजना योजना				
(v)	मूल	6.00			
			0.63	0.63	..
	पुनर्वि०	(-)5.37			
उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.57 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदकों की कम पात्रता के कारण हुई।					
38-	नई पौधशालाओं की स्थापना पर व्यय- केन्द्रगत योजना योजना				
(i)	मूल	3.50			
		
	पुनर्वि०	(-)3.50			
39-	मशीनरी तथा औजारों अवयवों के वितरण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र के विकास के लिए एजेंसी)-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	केन्द्रगत योजना				
	योजना				
(ii)	मूल	2.50			
		
	पुनर्वि०	(-)2.50			
40-	पौध संरक्षण पर व्यय- केन्द्रगत योजना				
	योजना				
(iii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदकों की कम पात्रता के कारण हुई।				
45-	स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	1,78.00			
			53.16	53.16	..
	पुनर्वि०	(-)1,24.84			
	योजना				
(ii)	मूल	20.00			
			5.77	5.77	..
	पुनर्वि०	(-)14.23			
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(iii)	मूल	1,34.00			
			47.35	47.35	..
	पुनर्वि०	(-)86.65			
	योजना				
(iv)	मूल	15.00			
			5.05	5.05	..
	पुनर्वि०	(-)9.95			
48-	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय (संशोधित एकीकृत बागवानी का विकास)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(v)	मूल	3,56.00			
			1,21.69	1,21.69	..
	पुनर्वि०	(-)2,34.31			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,69.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों के जारी न करने के कारण हुई।

योजना

मूल	40.00			
पूरक	0.01	15.18	15.18	..
पुनर्वि०	(-)24.83			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.83 लाख की कमी मुख्यतः योजना के अन्तर्गत पात्रता कम होने के कारण हुई।

50- विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल	2,43.00			
		1,33.10	1,33.10	..
पुनर्वि०	(-)1,09.90			

योजना

(ii) मूल	27.00			
		12.55	12.55	..
पुनर्वि०	(-)14.45			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.35 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई इसलिए केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी हुई।

52- उठाऊ सिंचाई योजना और नलकूप - योजना

मूल	10.00			
		7.53	7.53	..
पुनर्वि०	(-)2.47			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.47 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदकों की कम पात्रता होने के कारण हुई।

53- विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना- योजना

मूल	9,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)9,00.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण हुई।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
मूल	99.00				
		36.00	36.00		..
पुनर्वि०	(-)63.00				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियाँ जारी नहीं करने के कारण हुई।					
56-	मुख्यमंत्री खेत सिंचाई योजना- योजना				
मूल	2,70.00				
		2,30.51	2,30.51		..
पुनर्वि०	(-)39.49				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.49 लाख की कमी सौर उर्जा बाढ़ लगाने हेतु आवेदकों की कम पात्रता होने के कारण हुई।					
2402-	मृदा तथा जल संरक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कृषि योग्य भूमि पर भू-संरक्षण व्यय- गैर योजना				
(i)	मूल	1,49.90			
			98.94	1,01.64	+2.70
	पुनर्वि०	(-)50.96			
02-	मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन) गैर योजना				
(ii)	मूल	2,74.73			
			2,35.73	2,35.72	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)39.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	97.00			
			29.89	29.89	..
	पुनर्वि०	(-)67.11			
	योजना				
(ii)	मूल	11.00			
			3.23	3.32	+0.09
	पुनर्वि०	(-)7.77			
11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(iii)	मूल	1,78.00			
			45.34	45.34	..
	पुनर्वि०	(-)1,32.66			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,07.54 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	20.00			
			3.81	3.81	..
	पुनर्वि०	(-)16.19			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.19 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदकों की कम पात्रता के कारण हुई।					
12-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई योजना- योजना				
	मूल	50.00			
			25.81	25.81	..
	पुनर्वि०	(-)24.19			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.19 लाख की कमी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कुशल सिंचाई की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
2403-	पशु पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय स्थापना-				
	गैर योजना				
	मूल	2,44.27			
			2,00.82	1,84.16	(-)16.66
	पुनर्वि०	(-)43.45			
₹ 16.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.45 लाख मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 16.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
02-	अस्पताल और औषधालय-				
	गैर योजना				
	मूल	20.71.40			
			18,46.39	17,74.44	(-)71.95
	पुनर्वि०	(-)2,25.01			
₹ 71.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,25.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों तथा उपकरणों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुई।					
₹ 71.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03-	मुर्गी पालन विकास पर व्यय- गैर योजना			
(i)	मूल	15.02		
			9.57	9.56
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)5.45		
04-	भेड़ एवं ऊँ विकास पर व्यय- गैर योजना			
(ii)	मूल	1,25.57		
			73.82	73.96
				+0.14
	पुनर्वि०	(-)51.75		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
	मूल	1,13.00		
			27.10	27.10
				..
	पुनर्वि०	(-)85.90		
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 85.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय तथा भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई।			
	योजना			
	मूल	13.00		
			3.01	3.01
				..
	पुनर्वि०	(-)9.99		
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।			
2405-	मत्स्य पालन-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	जिला प्रशासन के अधीन मत्स्य योजना- गैर योजना			
	मूल	16.94		
			11.38	11.38
				..
	पुनर्वि०	(-)5.56		
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
02-	मत्स्य पालन योजनाओं पर व्यय- योजना			
	मूल	16.80		
			8.68	8.67
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)8.12		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.12 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद तथा बिजली, पानी व टेलीफोन बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

06- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 12.00

4.86

4.86

..

पुनर्वि० (-)7.14

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

गैर योजना

मूल 10,80.85

10,11.30

9,81.77

(-)29.53

पुनर्वि० (-)69.55

₹ 29.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, पेट्रोल, तेल, स्नेहको पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

02- वानिकी कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल 4,88.52

4,65.65

4,43.97

(-)21.68

पुनर्वि० (-)22.87

₹ 21.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि ज्वलनशील लकड़ी की पूर्ति के लिए यातायात उपदान पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

07- चिलगोजा पाईन का पुनोत्पादन पर व्यय-

गैर योजना

मूल 14.80

11.03

11.03

..

पुनर्वि० (-)3.77

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

20-	वन क्षेत्र में सुधार/नर्सरी उत्पादन- गैर योजना				
	मूल	14.52			
			4.46	4.46	..
	पुनर्वि०	(-)10.06			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.06 लाख की कमी वन क्षेत्र में सुधार/नर्सरी उत्पादन पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
22-	वन प्रबंधन की गहनता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	33.00			
		
	पुनर्वि०	(-)33.00			
	योजना				
(ii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 37.00 लाख का समस्त प्रावधान दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण तथा भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।				
23-	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	36.00			
		
	पुनर्वि०	(-)36.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने कारण कम कर दिया गया।				
	योजना				
	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
24-	हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम जलवायु प्रूफिंग प्रोजेक्ट -				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	2,25.00			
			1,21.82	1,21.82	..
	पुनर्वि०	(-)1,03.18			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.18 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय तथा टेलीफान, पानी प्रभार व बिजली बिलों पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
26-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	22.00			
			0.34	0.34	..
	पुनर्वि०	(-)21.66			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.66 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण, पोषणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण हुई।				
27-	स्मृति वन योजना- योजना				
	मूल	15.00			
			6.00	6.00	..
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा बीजों, वनीय पौधे व खाद की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
28-	हिमाचल प्रदेश वन स्मृद्धि परियोजना- योजना				
	मूल	4,50.00			
			18.39	18.39	..
	पुनर्वि०	(-)4,31.61			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,31.61 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, वनय पौधशाला के लिए खाद की खरीद पर कम व्यय तथा योजना के अन्तर्गत कम मरम्मत करने के कारण हुई।				
29-	हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना- योजना				
	मूल	1,35.00			
			53.62	53.62	..
	पुनर्वि०	(-)81.38			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.38 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा मरम्मत कार्य पर कम व्यय होने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	वन्य प्राणी प्रबंधन तथा प्रकृति संरक्षण पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	44.89			
			33.91	33.91	..
	पुनर्वि०	(-)10.98			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	वन्य प्राणी आश्रय स्थान के सुधार तथा विकास पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	18.85			
			2.66	2.66	..
	पुनर्वि०	(-)16.19			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.19 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।				
03-	वन्य प्राणी आश्रय के स्थलों के प्रगाढ़ प्रबन्धन पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	1,39.50			
			84.99	84.99	..
	पुनर्वि०	(-)54.51			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.51 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, वन्य जीवन के अन्तर्गत लघु मरम्मत कार्य पर कम व्यय, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
	गैर योजना				
	मूल	25.90			
			3.96	3.96	..
	पुनर्वि०	(-)21.94			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.94 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	15.50			
			9.44	9.44	..
	पुनर्वि०	(-)6.06			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.06 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा वन्य प्राणी आश्रय की लघु मरम्मत कार्य पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	42.22			
		24.29	24.29	..
पुनर्वि०	(-)17.93			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.93 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

07- ठंडे रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	99.00			
		8.01	8.01	..
पुनर्वि०	(-)90.99			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 90.99 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

योजना

मूल	11.00			
		0.89	0.89	..
पुनर्वि०	(-)10.11			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.11 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण तथा भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने इसलिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी कम जारी की गई।

2408- खाद्य भण्डार तथा भण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,17.64			
		85.76	84.49	(-)1.27
पुनर्वि०	(-)31.88			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण के कारण हुई।

2425- सहकारिता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,60.68			
		1,20.34	1,20.49	+0.15
पुनर्वि०	(-)40.34			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल 1,80.00

1,45.02

1,45.02

..

पुनर्वि० (-)34.98

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.98 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई।

05- जिला ग्रामीण स्थापना विकास अभिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 63.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)63.00

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 6,30.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)6,30.00

08- राष्ट्रीय रूबन मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल 2,70.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2,70.00

योजना

(iv) मूल 27.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)27.00

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(v)	मूल	52,65.00
	पुनर्वि०	(-)52,65.00			
उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 62,55.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों के जारी नहीं होने के कारण हुई इसलिए राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।					
2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	पंचायती योजनाओं पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	1,98.16			
			1,30.46	1,38.65	+8.19
	पुनर्वि०	(-)67.70			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 67.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहकों पर कम व्यय हाने के कारण हुई।					
02-	सामुदायिक विस्तार के विकास कार्यक्रम पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	6,05.62			
			4,96.99	4,71.61	(-)25.38
	पुनर्वि०	(-)1,08.63			
₹ 25.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 25.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
10-	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	1,80.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,80.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,80.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।					
2702-	लघु सिंचाई-				
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को				
	स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने				
	पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना				
(i)	मूल	7,67.72		
			7,28.26	6,03.47
				(-)1,24.79
	पुनर्वि०	(-)39.46		

07- स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

(ii)	मूल	5,13.50		
			3,97.62	3,64.31
				(-)33.31
	पुनर्वि०	(-)1,15.88		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,58.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.34 लाख की कमी रिक्त पदों न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,58.10 लाख की बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

11- वसुलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

गैर योजना

मूल	6,58.54	6,58.54	6,02.43	(-)56.11
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 56.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-

योजना

मूल	52.60			
		41.84	41.84	..

पुनर्वि० (-)10.76

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.76 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम आवेदन प्राप्त होने तथा किसानों से उपदान बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	92.02			
		56.23	56.23	..

पुनर्वि० (-)35.79

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.79 लाख की कमी रिक्त पदों न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

03- ग्रामीण उद्योग/शिल्पकार कार्यक्रम पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	21.10			
		
	पुनर्वि०	(-)21.10			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 21.10 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
08-	एकीकृत हथकरघा विकास योजना- योजना				
	मूल	9.00			
		
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
10-	खाद्यी उद्योगों पर व्यय- योजना				
	मूल	1.98			
		
	पुनर्वि०	(-)1.98			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.98 लाख समस्त प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन न प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
16-	खाद्यी ओर ग्रामीण उद्योगों पर व्यय/ (विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत)- योजना				
(i)	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			
21-	खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन- योजना				
(ii)	मूल	45.00			
		
	पुनर्वि०	(-)45.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
25-	विभागों का ऑनलाईन कम्प्यूटरीकरण (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	63.00			
		
	पुनर्वि०	(-)63.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

2852- उद्योग--

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-
गैर योजना

मूल 3.00

1.85

1.85

..

पुनर्वि० (-)1.15

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.15 लाख की कमी विज्ञापन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग--

02- खानों का विनियमन और विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खनिज विकास पर व्यय-
गैर योजना

मूल 72.79

59.58

59.58

..

पुनर्वि० (-)13.21

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3054- सड़कें तथा पुल-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के कार्यक्रमों
के अन्तर्गत स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

मूल 17,22.42

10,04.67

14,51.94

+4,47.27

पुनर्वि० (-)7,17.75

₹ 4,47.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,17.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी और टेलिफोन के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 4,47.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

02- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को स्थाई
स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	84,17.40			
		67,08.41	70,64.41	+3,56.00
पुनर्वि०	(-)17,08.99			
₹ 3,56.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17,08.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
₹ 3,56.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
03-	जिला सड़कों के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय-			
गैर योजना				
मूल	18,83.94			
		14,15.68	12,61.15	(-)1,54.53
पुनर्वि०	(-)4,68.26			
₹ 1,54.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,68.26 लाख की कमी जिला सड़कों के रखरखाव तथा मरम्मत पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 1,54.53 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
04-	जिला एवं अन्य सड़कों का रख रखाव-			
गैर योजना				
मूल	15,77.73			
		10,67.55	14,92.07	+4,24.52
पुनर्वि०	(-)5,10.18			
₹ 4,24.52 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,10.18 लाख की कमी जिला एवं अन्य सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
₹ 4,24.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
05-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-			
गैर योजना				
मूल	78,20.70			
		67,08.41	39,00.96	(-)28,07.45
पुनर्वि०	(-)11,12.29			
₹ 28,07.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,12.29 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 28,07.45 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			
02-	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन अध्ययन तथा तकनीकी पर व्यय-
गैर योजना

मूल	75.25			
		46.42	46.47	+0.05
पुनर्वि०	(-)28.83			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2019 में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

योजना

मूल	14.00			
	
पुनर्वि०	(-)14.00			

मार्च 2019 में ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त न होने के कारण राज्य का अनुपातिक हिस्सा जारी नहीं किया जा सका।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2015- निर्वाचन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- राज्य विधान सभा के चुनाव के संचालन प्रभार पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1.07			
		17.88	17.87	(-)0.01
पुनर्वि०	16.81			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.81 लाख का आवर्धन विधान सभा चुनाव के लम्बित दायित्वों, कर्मचारियों द्वारा दौरे करने पर अधिक व्यय, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहन की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय पर व्यय-
गैर योजना

मूल	25.54			
		39.64	38.70	(-)0.94
पुनर्वि०	14.10			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.10 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	25,00.00			
		25,95.00	25,95.00	..
पुनर्वि०	95.00			

योजना

(ii) मूल	2,78.00			
		3,99.43	3,99.43	..
पुनर्वि०	1,21.43			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,16.43 लाख का आवर्धन राजस्व विभाग के भवनों के रखरखाव/मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-
योजना

मूल	2,94.80			
		3,35.00	3,35.00	..
पुनर्वि०	40.20			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.20 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

12- अतिरिक्त उपायुक्त काजा के कार्यालय पर व्यय-
गैर योजना

मूल	3.88			
		5.39	5.38	(-)0.01
पुनर्वि०	1.51			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.51 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के भुगतान और कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के कारण हुआ।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों द्वारा समन/वारंट पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	15.00				
		20.36	20.36	..	
पुनर्वि०	5.36				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.36 लाख का आवर्धन समन वितरण के लिए होम गार्ड को भुगतान करने के लिए व्यय के कारण हुआ।					
07- सुरक्षा सम्बन्धित व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
मूल	38.94				
		63.91	63.92	+0.01	
पुनर्वि०	24.97				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.97 लाख का आवर्धन विशेष पुलिस अधिकारियों की अधिक आवश्यकता, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत के कारण हुआ।					
08- पुलिस विभाग के साथ कानून एवं व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय - गैर योजना					
मूल	3,95.62				
		5,75.31	5,75.31	..	
पुनर्वि०	1,79.69				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,79.69 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों के अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।					
2059- लोक निर्माण-कार्य-					
<i>01- कार्यालय भवन-</i>					
<i>796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</i>					
<i>07- उच्चन्त (स्टॉक) के अन्तर्गत व्यय-</i>					
गैर योजना					
(i)	मूल	10,00.00	10,00.00	23,59.66	+13,59.66
08- उच्चन्त (स्टॉक मैन्युफैक्चर) के अन्तर्गत व्यय-					
गैर योजना					
(ii)	मूल	5,00.00	5,00.00	5,40.67	+40.67
09- उच्चन्त (विविध लोक निर्माण विभाग) के अन्तर्गत व्यय-					
गैर योजना					
(iii)	मूल	5,00.00	5,00.00	10,14.16	+5,14.16
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 19,14.49 लाख के अंतिम सारभूत आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

15- कोष एवं लेखा विभाग के भवनों की मरम्मत--
गैर योजना

पूरक	0.01			
		5.26	5.26	..
पुनर्वि०	5.25			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.25 लाख का आवर्धन कार्यालय के भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों
पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल	1,95.00			
		2,34.63	2,34.63	..
पुनर्वि०	39.63			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.63 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत व महंगाई भत्ते के कारण था जोकि बिजली, पानी और टेलिफोन के बिलों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

11- गर्म पका खाना, मध्याह्न आहार-
योजना

मूल	77.00			
		96.82	96.82	..
पुनर्वि०	19.82			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.82 लाख का आवर्धन मानदेय के अनुदान के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ ।

17- स्कूल प्रबंधन कमेटी को सहायता
अनुदान-
योजना

मूल	1,53.00			
		2,78.69	2,78.69	..
पुनर्वि०	1,25.69			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.69 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा स्टाफ पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	1,15.84				
		1,44.10	1,44.09	(-)0.01	
पुनर्वि०	28.26				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.26 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।					
06-	छात्राओं के लिए शौचलयों का निर्माण- योजना				
मूल	1.00				
		3.00	3.00	..	
पुनर्वि०	2.00				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।					
10-	अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सहायता अनुदान - योजना				
(i)	मूल	25.00			
			36.99	36.98	(-)0.01
पुनर्वि०	11.99				
14-	स्कूल प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान- गैर योजना				
(ii)	मूल	1,00.00			
			2,64.15	2,64.15	..
पुनर्वि०	1,64.15				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.14 लाख का आवर्धन अनुदान सहायता अधिक जारी करने के कारण हुआ।					
18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक से पहल की छात्रवृत्ति- योजना				
मूल	12.00				
पूरक	0.01		19.26	19.26	..
पुनर्वि०	7.25				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.25 लाख का आवर्धन अनुदान सहायता के लिए विद्यार्थियों की अधिक पात्रता के कारण हुआ।					
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	डिग्री कॉलेजों पर व्यय- योजना				
मूल	1,50.00				
		2,02.37	2,02.37	..	
पुनर्वि०	52.37				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.37 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता के कारण हुआ जोकि बिजली पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय होने के कारण बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2203- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- बहुतकनीकी संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक विकास पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) पूरक	0.01			
		2.58	2.58	..
पुनर्वि०	2.57			

2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- पुस्तकालयों पर व्यय (विशेष केन्द्रीय सहायता) -
योजना

(ii) मूल	13.00			
		31.90	31.90	..
पुनर्वि०	18.90			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.47 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अतिरिक्त अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-
योजना

मूल	6,05.20			
पूरक	0.01	8,51.08	8,51.57	+0.49
पुनर्वि०	2,45.87			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.87 लाख का आवर्धन दवाईयों की खरीद, चिकित्सा जागरूकता शिवरों पर अधिक व्यय, महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत का भुगतान, मजदूरी की दर में वृद्धि, सहायता अनुदान अधिक देने के कारण हुई थी जोकि बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, पेट्रोल, तेल, वर्दी व स्नेहकों पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय

(प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र)-

योजना

मूल	5,29.25			
		6,75.90	6,89.25	+13.35
पुनर्वि०	1,46.65			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,46.65 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत, सहायता अनुदान तथा दवाई की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि बिजली, पानी, टेलिफोन के बिलों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-				
योजना				
मूल	4,70.50			
		5,20.96	5,24.35	+3.39

पुनर्वि० 50.46

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.46 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान, मशीनों की खरीद, बिजली, पानी और टेलिफोन के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि वस्तुओं की कम खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

06- लोक स्वास्थ्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03- क्षय रोग आरक्षण तथा आवासीय परिचर्चा पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	6.86			
		11.98	11.98	..

पुनर्वि० 5.12

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.12 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता के बचाव तथा नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
योजना				
मूल	14.90			
		19.74	19.74	..

पुनर्वि० 4.84

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.84 लाख का आवर्धन वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2211- परिवार कल्याण-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
10- राष्ट्रीय एम्बुलेंस योजना-				
योजना				
मूल	23.00			
		1,86.40	1,86.40	..
पुनर्वि०	1,63.40			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.40 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

2215- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-
गैर योजना

मूल 3,60.70

3,40.31

4,86.44

+1,46.13

पुनर्वि० (-)20.39

₹ 1,46.13 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.39 लाख की कमी ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 1,46.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

04- स्कन्ध-
योजना

(i) 2,49.66 +2,49.66

05- स्कन्ध विनिर्माण-
योजना

(ii) 6.94 +6.94

06- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-
योजना

(iii) 47.56 +47.56

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,04.16 लाख का व्यय प्रावधान के बिना किया गया, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

08- ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं हेतु विद्युत प्रभार-
योजना

मूल 3.50

10.00

10.00

..

पुनर्वि० 6.50

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.50 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में पानी के लिए विद्युत प्रभार के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	1,16.00			
		1,47.00	1,47.00	..
पुनर्वि०	31.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.00 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों में पूंजीगत सम्पत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
03- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
पूरक	0.01			
		5.13	5.13	..
पुनर्वि०	5.12			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.12 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 7.29 लाख का अनुदान प्राप्त किया गया।				
04- प्रधान मंत्री आवास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
पूरक	0.01			
		15.60	15.60	..
पुनर्वि०	15.59			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.59 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों में वृद्धि के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 15.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजना				
पूरक	0.01			
		1.56	1.56	..
पुनर्वि०	1.55			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.55 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों में वृद्धि के कारण हुआ।				
2225- अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
02- अनुसूचित जनजातीय का कल्याण-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
09- बाल बालिका आश्रम (विभाग द्वारा संचालित)- योजना				
मूल	15.00			
		18.17	18.17	..
पुनर्वि०	3.17			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.17 लाख का आवर्धन वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण से हुई बचत के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

10- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए गृह अनुदान-
योजना

मूल	1,76.00			
		1,93.60	1,93.60	..
पुनर्वि०	17.60			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.60 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- बेटी है अनमोल पर व्यय -
योजना

मूल	6.00			
		19.67	19.67	..
पुनर्वि०	13.67			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹13.67 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत संगोष्ठियों और सम्मेलनों के अधिक आयोजनों के कारण हुआ।

06- बाल/बालिका आश्रम में रहने वालों को पुर्नवास अनुदान-
योजना

मूल	2.00			
		3.00	3.00	..
पुनर्वि०	1.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन बाल/बालिका आश्रम के पुर्नवास पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

07- मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना-
योजना

मूल	10.80			
		25.83	25.83	..
पुनर्वि०	15.03			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.03 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत योग्य आवेदकों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

20- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-
योजना

पूरक	0.01			
		4.40	4.40	..
पुनर्वि०	4.39			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.39 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अधिक प्रोत्साहन अनुदान के कारण हुआ।

22- विकलांगों का उत्थान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक	0.01			
		1.36	1.36	..
पुनर्वि०	1.35			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.35 लाख का आवर्धन विकलांगों के उत्थान के लिए पथ मार्गों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सामाजिक कल्याण तथा वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय-
योजना

मूल	5,79.30			
		7,36.63	7,36.63	..
पुनर्वि०	1,57.33			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,57.33 लाख का आवर्धन वृद्धा पेंशन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि विधवा पेंशन के संवितरण पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- विधवा पेंशन पर व्यय-
योजना

मूल	1,74.05			
		2,28.99	2,29.00	+0.01
पुनर्वि०	54.94			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.94 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्ति के कारण हुआ।

2236- पोषण-

02- पोषक खाद्य तथा सुपेय का वितरण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य कार्यक्रम पर व्यय-
योजना

(i) मूल	6,61.00			
		8,13.88	8,13.88	..
पुनर्वि०	1,52.88			

योजना

(ii) मूल	73.00			
		1,03.90	1,03.90	..
पुनर्वि०	30.90			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,83.78 लाख का आवर्धन विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के अधिक कवरेज के कारण हुआ।

2251- सचिवालय सामाजिक सेवाए-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- जनजातीय अध्ययन संस्थान को सहायता अनुदान-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना**

पूरक 0.01

1,06.80

1,06.80

..

पुनर्वि० 1,06.79

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.79 लाख का आवर्धन जनजातिय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि
विस्तार तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त)-
योजना

मूल 1,05.45

पूरक 0.01

1,41.02

1,41.02

..

पुनर्वि० 35.56

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.56 लाख का आवर्धन उपदानों पर अधिक हिस्सेदारी के कारण था जोकि इमारतों के रखरखाव पर कम व्यय और पेट्रोल, तेल स्नेहको की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
योजना

मूल 11.00

पूरक 0.01

22.18

22.18

..

पुनर्वि० 11.17

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.17 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक पात्रता के कारण था जोकि भारत सरकार से धन की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2403- पशु पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय
लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के
अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय-
योजना

पूरक 0.01

15.00

15.00

..

पुनर्वि० 14.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.99 लाख का आवर्धन शिमला में ऊनी निर्यात के मेले के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

12- पशुओं की बीमारी की नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) पूरक	0.03			
		4.44	4.45	+0.01
पुनर्वि०	4.41			

15- खुर और मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) पूरक	0.03			
		60.31	60.30	(-)0.01
पुनर्वि०	60.28			

योजना

(iii) पूरक	0.03			
		6.02	6.02	..
पुनर्वि०	5.99			

16- पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iv) पूरक	0.04			
		3.60	3.60	..
पुनर्वि०	3.56			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.24 लाख का आवर्धन दवाईयों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

17- राष्ट्रीय पशुधन मिशन -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक	0.01			
		51.68	51.68	..
पुनर्वि०	51.67			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.67 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत पशुधन मिशन पर अधिक व्यय कारण हुआ।

योजना

पूरक	0.01			
		2.87	2.87	..
पुनर्वि०	2.86			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.86 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

2405- मछली पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- नील क्रान्ति-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) पूरक	0.04				
		76.32	76.32		..
पुनर्वि०	76.28				
योजना					
(ii) पूरक	0.02				
		5.07	5.07		..
पुनर्वि०	5.05				

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.33 लाख का आवर्धन सब्सिडी के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण था जबकि क्रम संख्या (i) में भारत सरकार से ₹ 1,57.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) मूल	62.00				
		3,19.99	3,19.99		..
पुनर्वि०	2,57.99				
योजना					
(ii) मूल	9.00				
		1,07.81	1,07.81		..
पुनर्वि०	98.81				

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,56.80 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत उपदान के लिए अधिक पात्रता के कारण हुआ ।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल कृषि-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पर पशु
अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	25.00			
पूरक	0.01	45.00	45.00	..
पुनर्वि०	19.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.99 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को अधिक अनुदान सहायता देने के कारण हुआ।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-**योजना**

मूल	18.00			
		96.00	96.00	..
पुनर्वि०	78.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से सहायता अनुदान अधिक जारी करने के कारण था जबकि भारत सरकार से 96.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

योजना

मूल	2.00			
		10.67	10.67	..
पुनर्वि०	8.67			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.67 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत रखरखाव के कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती राज योजनाओं पर व्यय-

योजना

मूल	5,62.87			
		7,68.63	7,80.08	+11.45
पुनर्वि०	2,05.76			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,05.76 लाख का आवर्धन मानदेय पर अधिक व्यय के कारण था जोकि पंचायत योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	1,08.00			
		6,99.20	6,99.20	..

पुनर्वि० 5,91.20

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,91.20 लाख का आवर्धन रखरखाव व मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

16- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1.00			
पूरक	0.01	49.28	49.28	..
पुनर्वि०	48.27			

योजना

(ii) मूल	0.13			
पूरक	0.01	5.48	5.48	..
पुनर्वि०	5.34			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.61 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत पूंजीगत और परिसंपत्तियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जबकि क्रम संख्या (i) में भारत सरकार से ₹ 49.28 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उद्धारसिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत)

मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	29.11			
		56.30	98.29	+41.99
पुनर्वि०	27.19			

₹ 41.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.19 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अप्रत्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 41.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव एवं
मरम्मत पर व्यय (जल बहाव सिंचाई योजना)-

गैर योजना

मूल	2,13.50			
		2,25.74	2,91.25	+65.51
पुनर्वि०	12.24			

₹ 65.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय (जल बहाव सिंचाई योजना)- गैर योजना	मूल	2,45.38			
				2,56.14	3,14.06	+57.92
		पुनर्वि०	10.76			
	₹ 57.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
08-	उच्चंत पर व्यय (स्टॉक)- योजना					
(i)		3,58.16		+3,58.16
09-	उच्चंत पर व्यय (स्टॉक विनिर्माण) योजना					
(ii)		21.79		+21.79
10-	उच्चंत पर व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)- योजना					
(iii)		2,07.13		+2,07.13
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,87.08 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					
(vi)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-					
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	
			(₹ लाख में)			
2702-	लघु सिंचाई-					
80-	सामान्य-					
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
03-	अन्य लघु सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मतें) गैर योजना					
(i)	पूरक	3.35	3.35	..		(-)3.35
3054-	सड़के तथा पुल-					
04-	जिला तथा अन्य सड़के-					
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
04-	तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के अन्तर्गत जिला एवं अन्य सड़कों का रख-रखाव- गैर योजना					
(ii)	पूरक	33.10	33.10	25.80		(-)7.30
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10.65 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

- 01- कार्यालय भवन-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
- 05- न्यायालय पर व्यय-
योजना

(i) मूल 16.00

पुनर्वि० (-)16.00

मार्च 2019 में ₹ 16.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

- 01- सामान्य शिक्षा-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
- 05- महाविद्यालय भवन-
योजना

मूल 2,50.00

2,12.23

2,12.23

..

पुनर्वि० (-)37.77

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.77 लाख की कमी निर्माण कार्यो पर कम व्यय के कारण हुई।

06- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवनों का निर्माण-

योजना

पूरक 5.24

..

..

..

पुनर्वि० (-)5.24

मार्च 2019 में ₹ 5.24 लाख का समस्त प्रावधान जोकि फरवरी 2019 में पूरक अनुदान से प्राप्त किया था। शिक्षा विभाग के निर्माण कार्य पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

- 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
- 01- भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	4,80.00			
		4,61.00	4,60.99	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)19.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।				
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- जल आपूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
मूल	6,54.00			
		5,06.75	5,06.03	(-)0.72
पुनर्वि०	(-)1,47.25			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.25 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 5,06.75 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
16- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)- योजना				
मूल	90.00			
	
पुनर्वि०	(-)90.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 90.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- सरकारी रिहायशी भवन-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03- आवास भवनों के निर्माण पर व्यय (वन विभाग)- योजना				
(i) मूल	1,00.00			
		70.54	70.54	..
पुनर्वि०	(-)29.46			
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01- कृषि भवनों पर व्यय- योजना				
(ii) मूल	18.00			
		4.00	4.00	..
पुनर्वि०	(-)14.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.46 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- राष्ट्रीय एकीकृत निधि के अन्तर्गत पोली हाउस एवं माइक्रो सिंचाई का निर्माण-
योजना

मूल	80.00			
पूरक	25.93	90.61	90.61	..
पुनर्वि०	(-)15.32			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.32 लाख की कमी पोली हाउस के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारी समितियों में निवेश-
योजना

मूल	1.50			
	
पुनर्वि०	(-)1.50			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.50 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

4701 - मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

02- मुख्य सिंचाई- गैर वाणिज्यिक-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्य सिंचाई योजनाएं (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	6,75.00			
	
पुनर्वि०	(-)6,75.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,75.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (उठाऊसिंचाई योजना)
योजना

मूल	16.20			
		29.45	17.18	(-)12.27
पूरक	(-)13.25			

₹ 12.27 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (प्रवाह योजनाएं)-
योजना

मूल	5,52.80			
		5,19.37	5,19.33	(-)0.04
पुनर्वि	(-)33.43			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.43 लाख की कमी लघु सिंचाई योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

08- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	9,00.00			
		2,45.68	2,45.68	..
पुनर्वि	(-)6,54.32			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,54.32 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई।

योजना

मूल	1,22.00			
		27.55	27.50	(-)0.05
पुनर्वि	(-)94.45			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 94.45 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	7,20.00			
	
पुनर्वि	(-)7,20.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7,20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

योजना

(i) मूल	72.00			
	
पुनर्वि	(-)72.00			

4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	बाढ नियंत्रण कार्य पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	4,50.00			
	पुनर्वि०	(-)4,50.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5,22.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
02-	ग्रामीण स्वीकृत विकास निधि तथा नाबार्ड के अन्तर्गत बाढ नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय- योजना				
(iii)	मूल	15.00			
			9.40	8.70	(-)0.70
	पुनर्वि०	(-)5.60			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.60 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
4851-	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	औद्योगिक सहकारिता में पूंजी निवेश- योजना				
	मूल	1.50			
			0.50	0.50	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
05-	औद्योगिक भवन/इस्टेट का निर्माण- योजना				
	मूल	17.00			
			5.50	5.50	..
	पुनर्वि०	(-)11.50			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11.50 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।				
5054-	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
03-	राज्य राजमार्ग-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण- योजना				
	मूल	6,44.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6,44.00			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,44.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय- योजना				
(i)	मूल	31,16.60			
			38,72.40	38,02.71	(-)69.69
	पूरक	7,55.80			
03-	ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय- योजना				
(ii)	मूल	4,00.00			
			4,03.50	3,76.44	(-)27.06
	पूरक	3.50			
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	प्रमुख पुलों पर व्यय- योजना				
(iii)	मूल	5,58.00			
			7,74.15	7,55.59	(-)18.56
	पूरक	2,16.15			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,15.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
06-	रोपवे अथवा केबलवेज पर व्यय- योजना				
	मूल	22.00			
			19.06	6.68	(-)12.38
	पुनर्वि०	(-)2.94			
	₹ 12.38 लाख लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।				
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	परिवहन नगर- योजना				
	मूल	36.00			
		
	पुनर्वि०	(-)36.00			
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
6801-	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम की परियाजनाओं हेतु ऋण-
योजना

(i) मूल 46,11.00

..

पुनर्वि० (-)46,11.00

12- उर्जा परियोजनाओं के लिए के०एफ० डब्ल्यू शेयर-
योजना

(ii) मूल 9.00

..

पुनर्वि० (-)9.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,20.00 लाख का समस्त प्रावधान उर्जा प्रोजेक्ट के लिए ऋण जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

(viii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02- अन्य प्रशासनिक व्यय- योजना			
(i) मूल 2,15.00			
पूरक 69.76	2,94.76	2,95.89	+1.13
पुनर्वि० 10.00			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
03- माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण- योजना			
(ii) मूल 40.00			
	83.93	83.93	..
पुनर्वि० 43.93			
06- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन का निर्माण केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(iii) पूरक 0.01			
	47.15	47.15	..
पुनर्वि० 47.14			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.07 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02-	<i>तकनीकी शिक्षा-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	क्षेत्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों छात्रावास भवनों का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना			
	पूरक	0.01		
			15.00	15.00
				..
	पुनर्वि०	14.99		
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.99 लाख का आवर्धन मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			

03-	<i>खेलकूद तथा युवक सेवाएं-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन- योजना			
(i)	मूल	78.00		
			93.91	93.91
				..
	पुनर्वि०	15.91		
04-	<i>कला तथा संस्कृति-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन- योजना			
(ii)	मूल	50.00		
	पूरक	55.05	1,52.93	1,52.17
	पुनर्वि०	47.88		(-)0.76

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.79 लाख का आवर्धन निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4406-	विनिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	<i>वानिकी-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	सड़कों के निर्माण पर व्यय- योजना			
	मूल	1,00.00		
			1,27.49	1,27.49
				..
	पुनर्वि०	27.49		
	मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.49 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			

4702-	लघु सिंचाई योजना पर पूंजीगत परिव्यय-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

10- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक	0.01			
		90.00	90.00	..
पूरक	89.99			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.99 लाख का आवर्धन पानी के उठाने पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर पूंजी निवेश-
योजना

मूल	4,95.00			
		5,31.00	5,31.00	..
पूरक	36.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.00लाख का आवर्धन बसों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

वनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(ix) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 48,05.73 लाख (₹ 48,05.73 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (xiii) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2018-19 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व शीर्ष				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय स्कन्ध-	(-)21,97.72	23,59.66	23,63.09	(-)22,01.15*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध विनिर्माण)	+6,79.24	5,40.67	2,96.56	+9,23.35
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-	+48,50.50	10,14.16	13,34.89	+45,29.77
कुल 2059-	+33,32.02	39,14.49	39,94.54	+32,51.97
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)2,94.98	2,49.66	2,06.55	(-)2,51.87*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	+1,56.71	6.94	0.47	+1,63.18
06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-	(-)11.10	47.56	14.97	+21.49
कुल 2215-	(-)1,49.37	3,04.16	2,21.99	(-)67.20*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई				
80- सामान्य-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना- उच्चंत -				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्टॉक)-	+63.72	3,58.16	5,38.38	(-)1,16.50*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	+1,04.21	21.79	3.29	+1,22.71
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध कार्य अग्रिम)-	+3,61.44	2,07.13	61.88	+5,06.69
कुल-2702-	+5,29.37	5,87.08	6,03.55	+5,12.90
कुल राजस्व प्रवर्ग-	+37,12.02	48,05.73	48,20.08	+36,97.67
कुल मांग -	+37,12.02	48,05.73	48,20.08	+36,97.67

टिप्पणी:- * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उपयोजना

(शीर्ष -2029- भू-राजस्व, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला तथा संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2407-बागान,2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054- सड़कें तथा पुल, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिक आपूर्ति 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	13,49,89,20		
		13,49,89,45	9,59,02,14 (-)3,90,87,31
पूरक	25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,90,80,86

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग
दत्तमत

मूल	10,61,55,05			
		10,77,08,31	9,23,00,08	(-)1,54,08,23
पूरक	15,53,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,53,21,58

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,54,08.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2019 में प्राप्त ₹ 15,53.26 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 1,53,21.58 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला-
योजना

मूल	50.00			
		8.40	8.40	..
पुनर्वि०	(-)41.60			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.60 लाख की कमी पूँजीगत शीर्ष से मशीनरी और उपकरणों की खरीद के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्राथमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-
योजना

मूल	6,24.00			
		4,15.42	4,15.42	..
पुनर्वि०	(-)2,08.58			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,08.58 लाख की कमी रिक्त पदों न भरने, और कार्यालय वस्तुओं तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03- माध्यमिक विद्यालय-
योजना

मूल	10,50.00			
		9,11.46	9,11.47	+0.01
पुनर्वि०	(-)1,38.54			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.54 लाख की कमी रिक्त पदों न भरने, सामग्री की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- मध्याह्न आहार-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	23,38.00			
		20,68.93	20,68.93	..
पुनर्वि०	(-)2,69.07			

07- सर्व शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल	90,68.00			
		88,01.88	88,01.88	..
पुनर्वि०	(-)2,66.12			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.19 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 22,21.86 लाख और क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,00,75.82 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	10,08.00			
		9,77.28	9,77.28	..
पुनर्वि०	(-)30.72			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.72 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

11- अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता
अनुदान पर व्यय-
योजना

मूल	17,93.00			
		6,78.34	6,78.35	+0.01
पुनर्वि०	(-)11,14.66			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,14.66 लाख की कमी रिक्त पदों

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

को न भरने और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-
योजना

मूल 6,27.00

..

पुनर्वि० (-)6,27.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,27.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

15- विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-
योजना

मूल 4,28.00

3,86.36 3,86.36 ..

पुनर्वि० (-)41.64

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.64 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

16- जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 5,47.00

3,47.27 3,47.27 ..

पुनर्वि० (-)1,99.73

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

18- उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 35.00

21.14 21.14 ..

पुनर्वि० (-)13.86

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 46,48.00

19,17.74 19,17.74 ..

पुनर्वि० (-)27,30.26

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,44.12 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 27,51.18 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	5,16.00			
		2,13.08	2,13.08	..
पुनर्वि०	(-)3,02.92			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.92 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

04- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल	13,75.00			
		10,38.33	10,38.33	..
पुनर्वि०	(-)3,36.67			

योजना

(ii) मूल	1,36.00			
		18.33	18.33	..
पुनर्वि०	(-)1,17.67			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,54.34 लाख की कमी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं का समग्र शिक्षा अभियान में विलय होने के कारण हुआ।

12- विधार्थियों के लिए डिजिटल योजना-

योजना

मूल	4,53.00			
	
पुनर्वि०	(-)4,53.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,53.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

14- उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल	27,04.00			
	
पुनर्वि०	(-)27,04.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल 3,01.00

पुनर्वि० (-)3,01.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30,05.00 लाख का समस्त प्रावधान योजनाओं को समग्र शिक्षा अभियान में विलय होने के कारण कम कर दिया गया।

15- अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 6,39.00

पुनर्वि० (-)6,39.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,42.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

18- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए
समावेशी शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 36.00

पुनर्वि० (-)36.00

योजना

(ii) मूल 4.00

पुनर्वि० (-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 40.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का समग्र शिक्षा अभियान में विलय होने के कारण कम कर दिया गया।

19- स्कूल शिक्षा के वातावरण का उन्मुखीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत दायित्वों को अनुदान संख्या 8 से पूरा करने के कारण कम कर दिया गया।				
21- मुख्यमंत्री वर्दी योजना-				
योजना				
(i) मूल	3,27.00			
	
पुनर्वि०	(-)3,27.00			
22- बोर्ड परीक्षाओं के समय सी०सी०टी०वी० किराये पर लेना-				
योजना				
(ii) मूल	50.00			
	
पुनर्वि०	(-)50.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,77.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
23- शिक्षा तकनीकी कार्यक्रम-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत दायित्वों को अनुदान संख्या 8 से पूरा करने के कारण कम कर दिया गया।				
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	15,11.00			
		4,43.27	4,43.27	..
पुनर्वि०	(-)10,67.73			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,67.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,43.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल	1,51.00			
		49.25	49.25	..
पुनर्वि०	(-)1,01.75			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.75 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- निदेशन और प्रशासन-

योजना

मूल	2,00.00			
		1,76.00	1,76.00	..
पुनर्वि०	(-) 24.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.00 लाख की कमी कार्यो के कम निष्पादन के कारण हुई।

2205- कला तथा संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- कला खजाना और पुरातनता अधिनियम 1972-

योजना

मूल	63.00			
		12.65	12.65	..
पुनर्वि०	(-)50.35			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.35 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजना

मूल	11,25.00			
		8,61.80	8,61.81	+0.01
पुनर्वि०	(-)2,63.20			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,63.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और दवाईयों की कम खरीद के कारण हुई।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	3,02.00			
			58.27	58.27	..
	पुनर्वि०	(-)2,43.73			
04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(ii)	मूल	86,67.00			
			77,29.00	77,29.00	..
	पुनर्वि०	(-)9,38.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,81.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धति-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
03- विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(i)	मूल	1,94.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,94.00			
योजना					
(ii)	मूल	14.00			
		
	पुनर्वि०	(-)14.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,08.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया। इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।					
06- लोक स्वास्थ्य-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
02- अभिघात केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(i)	मूल	2,27.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,27.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल 25.00

पुनर्वि० (-)25.00

2211- परिवार कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(iii) मूल 5,86.00

पुनर्वि० (-)5,86.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8,38.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- निदेशन तथा प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(i) मूल 2,50.00

2,26.03

2,25.94

(-)0.09

पुनर्वि० (-)23.97

04- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(ii) मूल 14,30.00

11,75.76

11,75.76

..

पुनर्वि० (-)2,54.24

05- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(iii) मूल 1,44.00

91.66

91.66

..

पुनर्वि० (-)52.34

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,30.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- इंदिरा आवास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 8,46.00

..

पुनर्वि० (-)8,46.00

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- स्वच्छ भारत मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 4,53.00

..

पुनर्वि० (-)4,53.00

योजना

(iii) मूल 50.00

..

पुनर्वि० (-)50.00

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iv) मूल 11,33.00

8,26.20

8,26.20

..

पुनर्वि० (-)3,06.80

योजना

(v) मूल 1,25.00

82.62

82.62

..

पुनर्वि० (-)42.38

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,98.18 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त करने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल	10,00.00			
पूरक	0.01	3,03.69	3,03.68	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)6,96.32			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,96.32 लाख की कमी विविध वस्तुओं की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मुरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि रख रखाव और कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

10- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-
योजना

मूल	11,65.00			
पुनर्वि०	(-)11,65.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11,65.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	62,09.00			
पुनर्वि०	(-)26,83.67	35,25.33	35,25.33	..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26,83.67 लाख की कमी आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, दर, कर और यात्रा भत्ते के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	7,43.00			
पुनर्वि०	(-)6,61.38	81.62	81.62	..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,61.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बकाया राशि को लम्बित न होने और दैनिक वेतन भोगियों को कम नियमित करने के कारण हुई।

03- किशोरियों (सबला) के सशक्तिकरण
के लिए राजीव गांधी योजना के
अन्तर्गत पोषण प्रावधान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना**

मूल 7.00

पुनर्वि० (-)7.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए योजना सीमा को कम कर दिया गया।

09- विधवा पुनर्विवाह-
योजना

(i) मूल 17.00

13.00

13.00

..

पुनर्वि० (-)4.00

10- विशेष महिला उत्थान योजना-
योजना

(ii) मूल 22.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)22.00

13- मदर टेरेसा योजना-
योजना

(iii) मूल 20.00

13.24

13.24

..

पुनर्वि० (-)6.76

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.76 लाख की कमी आवेदनों/प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

18- विकलांग बच्चों का कल्याण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 10.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान लम्बित देनदारियों को अनुदान संख्या 8 से पूरा करने के कारण कम कर दिया गया।

20- समेकित बाल संरक्षण योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(i) मूल	4,70.00			
		2,21.50	2,21.50	..
पुनर्वि०	(-)2,48.50			

योजना

(ii) मूल	48.00			
		21.60	21.60	..
पुनर्वि०	(-)26.40			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,74.90 लाख की कमी शिशु देखभाल संस्थान में कम प्रवेश के कारण हुई।

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-
योजना

मूल	58.00			
		43.91	43.91	..
पुनर्वि०	(-)14.09			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 14.09 लाख की कमी भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण हुई तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	18,50.00			
		9,88.29	9,88.29	..
पुनर्वि०	(-)8,61.71			

योजना

(ii) मूल	2,06.00			
		1,25.00	1,25.00	..
पुनर्वि०	(-)81.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,42.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। इसलिए राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी भी जारी नहीं का जा सकी।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- उर्वरक वितरण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
मूल	1,62.00				
		51.69	51.69	..	
पुनर्वि०	(-)1,10.31				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.31 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
11- फसल बीमा योजना-					
योजना					
मूल	2,00.00				
		1,42.24	1,42.24	..	
पुनर्वि०	(-)57.76				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.76 लाख की कमी विभिन्न कृषि कंपनियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
13- उद्यान विकास-					
योजना					
(i) मूल	68.50				
		42.14	42.14	..	
पुनर्वि०	(-)26.36				
14- मधुमक्खी पालन योजना-					
योजना					
(ii) मूल	18.00				
		11.18	11.18	..	
पुनर्वि०	(-)6.82				
15- पुष्प विकास-					
योजना					
(iii) मूल	20.00				
		13.44	13.44	..	
पुनर्वि०	(-)6.56				
16- सरकारी तथा पौधशालाओं की					
स्थापना तथा रख रखाव-					
योजना					
(iv) मूल	25.50				
		19.20	19.20	..	
पुनर्वि०	(-)6.30				
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.04 लाख की कमी सामग्री और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
17- खुम्ब खेती परियोजना-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
मूल	28.00				
		15.30	15.30	..	
पुनर्वि०	(-)12.70				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.70 लाख की कमी खाद की कम माँग की प्राप्ति के कारण हुई।					
19- फल विपणन योजना-					
योजना					
मूल	36.00				
		28.75	28.75	..	
पुनर्वि०	(-)7.25				
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.25 लाख की कमी मशीनरी की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(कृषि)-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(i) मूल	4,08.00				
		1,11.96	1,11.96	..	
पुनर्वि०	(-)2,96.04				
योजना					
(ii) मूल	45.00				
		12.52	12.52	..	
पुनर्वि०	(-)32.48				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,28.52 लाख की कमी राज्य स्तरीय समिति के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा परियोजना की कम मंजूरी के कारण हुई।					
26- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(बागवानी)-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
मूल	1,81.00				
		54.19	54.19	..	
पुनर्वि०	(-)1,26.81				
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	20.00			
		5.90	5.90	..
पुनर्वि०	(-)14.10			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.10 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
27- कृषि विविधता परियोजना-				
योजना				
मूल	4,54.00			
		2,60.80	2,60.80	..
पुनर्वि०	(-)1,93.20			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,93.20 लाख की कमी निधीयन एजेंसी द्वारा सलाहकारों को परामर्श शुल्क के सीधे भुगतान के कारण हुई।				
34- अदरक का विकास-				
योजना				
मूल	17.00			
		12.56	12.56	..
पुनर्वि०	(-)4.44			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.44 लाख की कमी लाभार्थियों से माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
35- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
योजना				
(i) मूल	4,99.00			
		2,10.91	2,10.91	..
पुनर्वि०	(-)2,88.09			
योजना				
(ii) मूल	55.00			
		23.03	23.03	..
पुनर्वि०	(-)31.97			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,20.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
(i)	मूल	3,74.00		
			2,89.94	2,89.94
	पुनर्वि०	(-)84.06		..
योजना				
(ii)	मूल	42,00		
			32.73	32.73
	पुनर्वि०	(-)9.27		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
38-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
	मूल	9,97.00		
			5,94.00	5,94.00
	पुनर्वि०	(-)4,03.00		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,03.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
41-	उठाऊ सिंचाई योजना एवं बोरवेल्स- योजना			
	मूल	2,72.00		
			2,47.71	2,47.71
	पुनर्वि०	(-)24.29		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 24.29 लाख की कमी किसानों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
43-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
	मूल	2,77.00		
			1,50.00	1,50.00
	पुनर्वि०	(-)1,27.00		..
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,27.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से 7,83.34 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
44-	फसल विविधीकरण (जापान अंतराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण) चरण-II -			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	50.00			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	(-)40.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी योजना के पूरा न होने के कारण हुई।				
46- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-				
योजना				
मूल	7,56.00			
		6,86.00	6,86.00	..
पुनर्वि०	(-)70.00			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी किसानों से कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।				
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	4,99.00			
		2,64.29	2,64.29	..
पुनर्वि०	(-)2,34.71			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,34.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
योजना				
मूल	55.00			
		28.21	28.21	..
पुनर्वि०	(-)26.79			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.79 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसलिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी की गई।				
2403- पशु पालन-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05- कुक्कुट विकास पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	60.00			
		29.99	29.99	..
पुनर्वि०	(-)30.01			
मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.01 लाख की कमी उपदान के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

09- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	3,17.00			
		1,11.80	1,11.80	..
पुनर्वि०	(-)2,05.20			
योजना				

(ii) मूल	35.00			
		12.44	12.44	..
पुनर्वि०	(-)22.56			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,27.76 लाख की कमी योजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

11- पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	21.62			
पूरक	0.02	9.78	9.65	(-)0.13
पुनर्वि०	(-)11.86			

योजना

(ii) मूल	2.13			
पूरक	0.02	1.11	1.11	..
पुनर्वि०	(-)1.04			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.90 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

14- व्यावसायिक निपुणता विकास योजना
के अन्तर्गत पशु चिकित्सा परिषद को
सहायता अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

योजना

(ii) मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

16- पेस डेस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स
नियन्त्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	9.88			
		6.60	6.72	+0.12
पुनर्वि०	(-)3.28			

22- खुर तथा मुंह रोग नियन्त्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल	1,54.70			
		1,22.00	1,21.99	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)32.70			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

योजना

मूल	17.19			
		13.54	13.54	..
पुनर्वि०	(-)3.65			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.65 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

2405- मत्स्य पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	33.90			
		6.89	6.89	..
पुनर्वि०	(-)27.01			

योजना

(ii) मूल	4.10			
		0.77	0.77	..
पुनर्वि०	(-)3.33			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.34 लाख की कमी मामलों की कम स्वीकृति के कारण हुई।

2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबन्धन का तीव्रीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 11.00

..

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों की आवश्यकता न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- हिमाचल प्रदेश वन इको- सिस्टम
जलवायु प्रूफिंग परियोजना(बाह्य सहायता परियोजना)-
योजना

मूल 6,30.00

4,20.51 4,20.51 ..

पुनर्वि० (-)2,09.49

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.49 लाख की कमी विविध वस्तुओं पर कम व्यय, सामग्री की कम खरीद और निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई जोकि कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

09- राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1,01.00

..

पुनर्वि० (-)1,01.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 12.00

..

पुनर्वि० (-)12.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

- 10- एकीकृत उद्यान विकास मिशन
के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैम्बू मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना
- | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|
| मूल | 4.00 | | | |
| | | .. | .. | .. |
| पुनर्वि० | (-)4.00 | | | |
- मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।
- 11- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना
- | | | | | |
|----------|----------|-------|-------|----|
| मूल | 64.00 | | | |
| | | 25.17 | 25.17 | .. |
| पुनर्वि० | (-)38.83 | | | |
- मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.83 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।
- योजना**
- | | | | | |
|----------|---------|------|------|----|
| मूल | 5.00 | | | |
| | | 2.79 | 2.79 | .. |
| पुनर्वि० | (-)2.21 | | | |
- मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.21 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।
- 13- स्मृति वन योजना-
योजना
- | | | | | |
|----------|----------|------|------|----|
| मूल | 28.00 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | .. |
| पुनर्वि० | (-)25.00 | | | |
- मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, निधियों की आवश्यकता न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।
- 15- हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना-
योजना
- | | | | | |
|----------|-------------|------|------|----|
| मूल | 12,60.00 | | | |
| | | 0.86 | 0.86 | .. |
| पुनर्वि० | (-)12,59.14 | | | |

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,59.14 लाख की सारभूत कमी विश्व बैंक द्वारा योजना को स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

- 16- हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकीय प्रबंधन
और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-
योजना

मूल	3,78.00			
		1,85.00	1,85.00	..
पुनर्वि०	(-)1,93.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,93.00 लाख की कमी अन्य विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय, कार्यों के रख रखाव और प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति और सामग्री की खरीद पर हुए व्यय के आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

- 17- समेकित और जलवायु लचीली वर्षा
आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना-
योजना

मूल	8,81.00			
		58.52	58.56	+0.04
पुनर्वि०	(-)8,22.48			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8,22.48 लाख की सारभूत कमी अन्य विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, सामग्री की खरीद न करने और रख रखाव कार्य पर कम व्यय के कारण हुई।

- 02- पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन-
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
01- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-
योजना

मूल	52.00			
		34.35	34.35	..
पुनर्वि०	(-)17.65			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.65 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी के कारण कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

- 02- हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और
प्रजनन समाज के लिए सहायता अनुदान-
योजना

मूल	2,48.00			
		48.00	48.00	..
पुनर्वि०	(-)2,00.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की सारभूत कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विपणन बोर्ड को विपणन यार्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

योजना

मूल 2,72.00

..

पुनर्वि० (-)2,72.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.00 लाख का समस्त प्रावधान विपणन बोर्ड से उपयोग प्रमाण पत्र और निधियों की आवश्यकता की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 5,04.00

2,00.27 2,00.27 ..

पुनर्वि० (-)3,03.73

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,03.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,00.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 1,76.00

..

पुनर्वि० (-)1,76.00

योजना

(ii) मूल 13.00

..

पुनर्वि० (-)13.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,89.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण
कौशल योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 17,63.00

..

पुनर्वि० (-)17,63.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 17,63.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 6.64 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल 1,76.00

62.00 62.00 ..

पुनर्वि० (-)1,14.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 7,56.00

..

पुनर्वि० (-)7,56.00

योजना

(ii) मूल 76.00

..

पुनर्वि० (-)76.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8,32.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल 1,47,37.00

..

पुनर्वि० (-)1,47,37.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,47,37.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पंचायती राज सहायता-

योजना

मूल 2,50.00

..

पुनर्वि० (-)2,50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण कम कर दिया गया।

04- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 5,04.00

..

पुनर्वि० (-)5,04.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5,04.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

09- महिला प्रोत्साहन योजना-

योजना

मूल 33.00

25.64

25.64

..

पुनर्वि० (-)7.36

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.36 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- जिला औद्योगिक केन्द्र-

योजना

मूल 29.00

..

पुनर्वि० (-)29.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 29.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण कम कर दिया गया।

10- रेशम उद्योग का विकास-
केन्द्रगत योजना
योजना

मूल 55.00

..

पुनर्वि० (-)55.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 34.00

25.80 25.80 ..

पुनर्वि० (-)8.20

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.20 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

15- हथकरघा और हस्तशिल्प कला के लिए एकीकृत योजना-
योजना

मूल 25.00

..

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को अन्तिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया।

17- विभागों का ऑनलाइन कम्प्यूटरीकरण (राष्ट्रीय ई-शासन योजना)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1,76.00

..

पुनर्वि० (-)1,76.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,76.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

19- ग्रामीण अभियंत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-
योजना

(i) मूल 50.00

40.00 40.00 ..

पुनर्वि० (-)10.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

20- लघु उद्योग इकाइयों को उपदान-
योजना

(ii) मूल	15.00			
		4.49	4.49	..
पुनर्वि०	(-)10.51			

उपरोक्त दो मामलों में, मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.51 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22- बांस शिल्प के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र-
केन्द्रगत योजना
योजना

मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-
योजना

मूल	21.00			
		1.56	..	(-)1.56
पुनर्वि०	(-)19.44			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.44 लाख की कमी लाभार्थियों से कम माँग की प्राप्ति के कारण हुई।

30- खाद्य विधायन उद्योग हेतु
राज्य मिशन-
योजना

मूल	1,26.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,26.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,26.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	8.00			
	
पुनर्वि०	(-)8.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल 38.00

पुनर्वि० (-)38.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 46.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- जिला उद्योग केंद्र भवनों का रखरखाव-

योजना

मूल 30.00

39.97

39.97

..

पुनर्वि० 9.97

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.97 लाख का आवर्धन, रखरखाव के कार्य पर अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- मध्याह्न आहार-

योजना

मूल 2,11.00

5,44.43

5,44.43

..

पुनर्वि० 3,33.43

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,33.43 लाख का आवर्धन मानदेय राशि में वृद्धि के कारण हुआ जोकि केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को कम जारी करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उच्चतर पाठशालाएं-

योजना

पूरक 14,00.00

17,48.23

17,48.22

(-)0.01

पुनर्वि० 3,48.23

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2018 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,48.23 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते की किस्त और अंतरिम राहत की बकाया राशि के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

<i>03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-</i>					
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	34,29.00			
			53,25.00	53,25.00	..
	पुनर्वि०	18,96.00			
2203- तकनीकी शिक्षा-					
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05-	पॉलिटेक्निक योजना के माध्यम से बहुतकनीक योजन द्वारा सामुदायिक विकास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	पूरक	0.01			
			4.98	4.98	..
	पुनर्वि०	4.97			
06- नए बहुतकनीकी सस्थानों की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(iii)	पूरक	0.01			
			30.00	30.00	..
	पुनर्वि०	29.99			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-					
05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	पूरक	0.01			
			6,01.32	6,01.32	..
	पुनर्वि०	6,01.31			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,32.27 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

पूरक	0.01			
		66.81	66.81	..
पुनर्वि०	66.80			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.80 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-
योजना

मूल	65.00			
		5,20.80	5,20.80	..
पुनर्वि०	4,55.80			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,55.80 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

04- गन्दी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	38.00			
		88.47	88.47	..
पुनर्वि०	50.47			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.47 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल	4.00			
		9.83	9.83	..
पुनर्वि०	5.83			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.83 लाख का आवर्धन, केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा
अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- आवास-

योजना

मूल 11,57.00

13,25.05

13,25.05

..

पुनर्वि० 1,68.05

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68.05 लाख का आवर्धन, उपदान प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

13- अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा-

योजना

मूल 80.00

3,37.98

3,37.98

..

पुनर्वि० 2,57.98

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.98 लाख का आवर्धन, क्षतिपूर्ति के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

01- पुनर्वास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विकलांग पुनर्वास-

योजना

मूल 8,60.00

9,45.99

9,45.99

..

पुनर्वि० 85.99

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.99 लाख का आवर्धन, नए मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

16- महिला विकास निगम-

योजना

पूरक 0.01

29.72

29.72

..

पुनर्वि० 29.71

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.71 लाख का आवर्धन, प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

23- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
पूरक	0.01			
		14.06	14.06	..
पुनर्वि०	14.05			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.05 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03- वृद्धावस्था पेंशन-				
योजना				
मूल	32,75.00			
		40,26.47	40,26.47	..
पुनर्वि०	7,51.47			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,51.47 लाख का आवर्धन, नए मामलों की प्राप्ति और पेंशन प्रभारों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2401- फसल कृषि-कर्म-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07- पौध संरक्षण-				
योजना				
मूल	5.00			
		14.69	14.69	..
पुनर्वि०	9.69			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.69 लाख का आवर्धन, किसानों से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।				
33- विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i) मूल	6,80.00			
		8,42.11	8,42.11	..
पुनर्वि०	1,62.11			
योजना				
(ii) मूल	76.00			
		90.26	90.26	..
पुनर्वि०	14.26			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.37 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-
योजना

(i)	मूल	1,11.00			
	पूरक	0.01	1,64.10	1,64.10	..
	पुनर्वि०	53.09			

43- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
योजना

(ii)	मूल	30.00			
	पूरक	0.01	85.52	85.52	..
	पुनर्वि०	55.51			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.60 लाख का आवर्धन राज्य की अतिरिक्त हिस्सेदारी उपलब्ध होने के कारण हुआ।

2403- पशुपालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- कुक्कुट विकास पर व्यय-
योजना

	मूल	30.00			
	पूरक	0.01	59.98	59.98	..
	पुनर्वि०	29.97			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.97 लाख का सारभूत आवर्धन, उपदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

15- पशुधन गणना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i)	मूल	0.02			
			5.50	5.50	..
	पुनर्वि०	5.48			

20- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii)	पूरक	0.02			
			2,00.96	2,00.96	..
	पुनर्वि०	2,00.94			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,06.42 लाख का सारभूत आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

	पूरक	0.03			
			17.73	17.73	..
	पुनर्वि०	17.70			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.70 लाख का सारभूत आवर्धन, केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2405- मत्स्य पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- नीली क्रांति-एकीकृत मत्स्य पालन का

प्रबंधन एवं विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	1,09.00			
पूरक	0.02	2,84.64	2,84.63	(-)0.01
पुनर्वि०	1,75.62			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.62 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,52.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	15.55			
पूरक	0.01	34.70	34.69	(-)0.01
पुनर्वि०	19.14			

मार्च 2018 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.14 लाख का सारभूत आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2408- खाद्य भंडारण तथा भाण्डागार-

01- भोजन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल	1,75.00			
		17,84.53	17,84.53	..
पुनर्वि०	16,09.53			

योजना

(ii) मूल	25.00			
		2,99.49	2,99.49	..
पुनर्वि०	2,74.49			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,84.02 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2425- सहकारिता-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- उपदान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) पूरक 0.01

4,67.03 4,67.03 ..

पुनर्वि० 4,67.02

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(ii) मूल 50.00

5,94.00 5,94.00 ..

पुनर्वि० 5,44.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,11.02 लाख का सारभूत आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल 5.00

66.00 66.00 ..

पुनर्वि० 61.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.00 लाख का आवर्धन, केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- पंचायती राज विभाग का उन्नयन-

योजना

मूल 1,09.80

3,59.80 3,59.80 ..

पुनर्वि० 2,50.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख का आवर्धन, रख-रखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

12- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 1.00

2,16.40 2,16.40 ..

पुनर्वि० 2,15.40

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,15.40 लाख का सारभूत आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 9,76.89 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	0.20			
		24.15	24.15	..

पुनर्वि० 23.95

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.95 लाख का सारभूत आवर्धन, केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

19- ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केंद्र-

केन्द्रीय योजना**योजना**

(i) मूल	30.00			
		40.00	40.00	..

पुनर्वि० 10.00

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन, लाभार्थियों से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- पुलिस आवास-

योजना

(i) मूल	10,08.00			
		9,53.00	9,53.00	..

पुनर्वि० (-)55.00

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- आवासीय भवन-

योजना

(ii) मूल	9,74.00			
		6,22.04	6,18.50	(-)3.54

पुनर्वि० (-)3,51.96

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,06.96 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

**02- न्यायपालिका आधारिक संरचना का उन्नयन-
योजना**

मूल	76.00
पुनर्वि०	(-)76.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 76.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

**4202- शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-
योजना

(i) मूल	2,74.00	42.61	42.61	..
पुनर्वि०	(-)2,31.39			

05- भवन (महाविद्यालय)-
योजना

(ii) मूल	14,48.00	13,92.50	13,92.50	..
पुनर्वि०	(-)55.50			

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन निर्माण-
योजना

(iii) मूल	3,02.00	1,97.74	1,97.74	..
पुनर्वि०	(-)1,04.26			

उपरोक्त तीन मामलों में, मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,91.15 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल	18,50.00			
		17,87.83	17,87.83	..
पुनर्वि०	(-)62.17			

मार्च 2019 में, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.17 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुमानों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

*04- लोक स्वास्थ्य-***789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-****01- भवन-****योजना**

(i) मूल	50.00			
		10.50	10.50	..
पुनर्वि०	(-)39.50			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.50 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

02- आयुष संस्थानों का उन्नयन-**योजना**

मूल	10.00			
	
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान, कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-*01- जलापूर्ति-***789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-****09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य**

सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

योजना

(i) मूल	2,52.00			
	
पुनर्वि०	(-)2,52.00			

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-*01- सरकारी आवासीय भवन-***789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-****01- सरकारी आवासीय भवन-**

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल 1,50.00

पुनर्वि० (-)1,50.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान, कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए

विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-

योजना

मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 1,52.50

99.97

99.97

..

पुनर्वि० (-)52.53

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.53 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 1,91.00

..

पुनर्वि० (-)1,91.00

योजना

(ii) मूल 21.00

..

पुनर्वि० (-)21.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,12.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसके अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

**4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर
पूँजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पोलीहाउस एवं माइक्रो सिंचाई परियोजना
योजना

मूल 5,60.00

3,45.11 3,45.11 ..

पुनर्वि० (-)2,14.89

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.89 लाख की कमी किसानों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 2,72.00

51.44 51.44 ..

पुनर्वि० (-)2,20.56

योजना

(ii) मूल 30.00

5.14 5.14 ..

पुनर्वि० (-)24.86

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.42 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसलिए इसके अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई- योजना				
	मूल	3,65.00			
			3,34.66	3,34.66	..
	पुनर्वि०	(-)30.34			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.34 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-				
	01- वानिकी-				
	789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
	02- भवन- योजना				
	मूल	2,50.00			
			1,89.46	1,89.46	..
	पुनर्वि०	(-)60.54			
	मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.54 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और नई निविदा प्रणाली की प्रस्तावना के कारण हुई।				
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
	01- मध्यम सिंचाई पर व्यय (गैर वाणिज्यिक)-				
	789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
	06- कोसिल झरेरा मंडप प्रोजेक्ट पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	(i) मूल	25.19			
		
	पुनर्वि०	(-)25.19			
	योजना				
	(ii) मूल	2.51			
		
	पुनर्वि०	(-)2.51			
	08- परचू खड्ड में वर्षा जल संचयन संरचना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	(iii) मूल	25.19			
		
	पुनर्वि०	(-)25.19			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
(iv)	मूल	2.51
	पुनर्वि०	(-)2.51
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.40 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
20- फीना सिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04- फिना सिंह परियोजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i)	मूल	8,82.73
	पुनर्वि०	(-)8,82.73
21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना -				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(ii)	मूल	8,82.00
	पुनर्वि०	(-)8,82.00
योजना				
(iii)	मूल	1,17.00
	पुनर्वि०	(-)1,17.00
उपरोक्त तीन मामलों में, मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 18,81.73 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
25- मध्यम सिंचाई परियोजना (सुक्काहर) (गैर वाणिज्यिक)-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- कांगड़ा जिले में सुक्काहर परियोजना				
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i)	मूल	25.19
	पुनर्वि०	(-)25.19

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	2.51
	पुनर्वि०	(-)2.51			
02-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी, जिला कुल्लू- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	25.19
	पुनर्वि०	(-)25.19			
	योजना				
(iv)	मूल	3.38
	पुनर्वि०	(-)3.38			
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी(गैर वाणिज्यिक)-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ज्वालामुखी क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	25.19
	पुनर्वि०	(-)25.19			
	योजना				
(vi)	मूल	2.51
	पुनर्वि०	(-)2.51			
उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 83.97 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।					
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05-	नाबार्ड के अंतर्गत विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजना- योजना				
	मूल	9,71.00	8,64.85	8,64.86	+0.01
	पुनर्वि०	(-)1,06.15			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.15 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

06- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल	15,11.00			
		7,71.77	7,71.78	+0.01
पुनर्वि०	(-)7,39.23			

योजना

(ii) मूल	2,01.00			
		85.97	85.97	..
पुनर्वि०	(-)1,15.03			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,54.26 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसलिए राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।

07- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह बहाव सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल	10,08.00			
		5,14.33	5,14.33	..
पुनर्वि०	(-)4,93.67			

योजना

(ii) मूल	1,39.00			
		56.90	56.91	+0.01
पुनर्वि०	(-)82.10			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,75.77 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसलिए राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल	20,15.00			
	
पुनर्वि०	(-)20,15.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(ii) मूल 2,02.00

पुनर्वि० (-)2,02.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 22,17.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड

से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-

(बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(i) मूल 68.00

पुनर्वि० (-)68.00

योजना

(ii) मूल 8.00

पुनर्वि० (-)8.00

09- पंजाब सीमा तक स्वां नदी का तटीयकरण (चरण-III)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(iii) मूल 1,13.00

पुनर्वि० (-)1,13.00

योजना

(iv) मूल 13.00

पुनर्वि० (-)13.00

11- जिला ऊना में लिकरी खड्ड का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(v) मूल 14.00

पुनर्वि० (-)14.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
(vi)	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00
उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,18.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
13-	जिला कुल्लू में पलवान से औट तक तटीयकरण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00
14-	ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों नदौन, हमीरपुर, ज्वालामुखी और रक्कर जिला हमीरपुर में ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(ii)	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00
15-	जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(iii)	मूल	1,13.00
	पुनर्वि०	(-)1,13.00
(iv)	मूल	13.00
	पुनर्वि०	(-)13.00
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 130.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
16-	जिला कांगड़ा में जब्बर और गरली खड्ड, का तटीयकरण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

(i) मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(ii) मूल 4,27.00

पुनर्वि० (-)4,27.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,29.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 1,15.00

पुनर्वि० (-)1,15.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,15.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

03- राजकीय राजमार्ग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-

योजना

मूल 89,68.00

86,67.50

86,76.77

+9.27

पुनर्वि० (-)3,00.50

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजना/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.50 लाख की कमी अनुमानों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

03- ग्रामीण सड़क विश्व बैंक-

योजना

मूल 12,60.00

पुनर्वि० (-)12,60.00

मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12,60.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत कार्य की स्वीकृति न मिलने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04- जिला तथा अन्य सड़कें-				
789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
केन्द्रीय योजना				
योजना				
मूल	1,81.00			
		1,16.50	62.45	(-)54.05
पुनर्वि०	(-)64.50			
₹ 54.05 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टि से मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 54.05 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019) ।				
04- पुलों का निर्माण-				
योजना				
मूल	48,00.00			
		37,08.64	37,31.59	+22.95
पुनर्वि०	(-)10,91.36			
₹ 22.95 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 10,91.36 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
₹ 22.95 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019) ।				
05- सड़कों के किनारे सुविधा-				
योजना				
मूल	11.00	11.00	6.33	(-)4.67
₹ 4.67 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019) ।				
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05- परिवहन नगर-				
योजना				
मूल	1,01.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,01.00			
मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान, कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों				
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण				
के लिए ऋण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों
के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

योजना

(i) मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-
योजना

(ii) मूल 61,17.00

पुनर्वि० (-)61,17.00

04- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए के०एफ०डब्ल्यू० शेयर-
योजना

(iii) मूल 25.00

पुनर्वि० (-)25.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2019 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 61,72.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03- भवन(फोरेंसिक विज्ञान) योजना			
मूल	1,64.00		
पूरक	0.01	2,05.60	(-)0.01
पुनर्वि०	41.59		

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.59 लाख का आवर्धन, मशीनरी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

योजना

मूल	8,81.00			
पूरक	0.01	12,72.79	12,72.79	..
पुनर्वि०	3,91.78			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,91.78 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

04- भवन (सर्व शिक्षा अभियान)-

योजना

पूरक	0.01			
		48.91	48.91	..
पुनर्वि०	48.90			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.90 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

04- कला एवं संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन/बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर-

योजना

(i) मूल	2,40.00			
		2,89.09	2,89.09	..
पुनर्वि०	49.09			

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना-

योजना

(ii) मूल	42,15.00			
		43,29.89	43,29.89	..
पुनर्वि०	1,14.89			

उपरोक्त दो मामलों में, मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.98 लाख का आवर्धन, कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	18,30.00			
पूरक	4,92.50	31,66.50	31,66.50	..
पुनर्वि०	8,44.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,44.00 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

(ii) मूल	1,83.00			
पूरक	70.87	3,51.88	3,51.88	..
पुनर्वि०	98.01			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.01 लाख का आवर्धन, केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजनाएँ-

योजना

(i) मूल	1,03.00			
		1,52.99	1,53.00	+0.01
पुनर्वि०	49.99			

02- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-

योजना

(ii) मूल	2,57.00			
		3,17.94	3,17.94	..
पुनर्वि०	60.94			

03- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-

योजना

(iii) मूल	1,40.00			
		2,34.60	2,34.61	+0.01
पुनर्वि०	94.60			

04- विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई योजनाएं-
योजना

(iv) मूल	13,35.00			
		16,40.52	16,40.53	+0.01
पुनर्वि०	3,05.52			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,11.05 लाख का आवर्धन, कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (समाप्त)

योजना

मूल	1,04,27.00			
पूरक	5,49.64	1,15,65.75	1,15,07.43	(-)58.32
पुनर्वि०	5,89.11			

₹ 58.32 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,89.11 लाख का आवर्धन, चालू कार्य के लिए निधियों की व्यवस्था करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 58.32 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019) ।

02- उच्च मार्गों के साथ पंचायतों को लिंक सड़क द्वारा जोड़ना-
योजना

मूल	5,80.00			
		6,40.00	6,40.89	+0.89
पुनर्वि०	60.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन, चलते हुए कार्य के लिए निधियों की व्यवस्था करने के कारण हुआ।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में निवेश-
योजना

मूल	13,85.00			
		14,86.00	14,86.00	..
पुनर्वि०	1,01.00			

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2018-19 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	वृद्धि (+)	ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ हजार में)			
5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन	5,07,76,81	..	+5,07,76,81	..
10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-	12,86,45,44	..	14,66,07,49	..	+1,79,62,05	..
11-कृषि-	46,73,10	..	+46,73,10
12-उद्यान-	..	12,93,10	..	10,48,22	..	(-)2,44,88
13-सिंचाई जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	8,94,79,56	..	11,42,63,07	..	+2,47,83,51	..
31-जनजातीय विकास-	1,62,84,49	..	1,28,55,87	..	(-)34,28,62	..
सकल जोड़	23,44,09,49	12,93,10	32,45,03,24	57,21,32	+9,00,93,75	(+)44,28,22

*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in

विनियोग लेखे 2018-19 - हिमाचल प्रदेश सरकार